(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 17 वां दिवस [संख्या 13

बुधवार,

5 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, आयुर्वेद, कारागृह, पंचायत, स्वायत्त शासन, समाज कल्याण, श्रम, गृह एवं विद्युत् विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्रीमती प्रभा मिश्रा।

पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव

319. **श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राजस्थान में विभिन्न पंचायतों में हुए रिक्त स्थानों का चुनाव कराया जायगा? यदि हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव का संबंध चुनाव विभाग से है, अतः उनसे प्रार्थना की गयी है कि इस सम्बन्ध में विधान सभा में उत्तर देवें।

श्री अध्यक्ष : चुनाव विभाग यह कहता है कि पंचायत विभाग देगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : इसका उत्तर तो मंत्री महोदय ही देंगे। चुनाव विभाग तो देने वाला नहीं है। यह तो चुनाव पंचायत विभाग के कहने पर ही करायेगा। यदि मंत्री महोदय चुनाव नहीं करवा रहे हैं पंचायतों के, तो जो पंचायतों में रिक्त स्थान हैं, उनके तो चुनाव करायें। उसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष : फिर चुनाव विभाग इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न आवे तब दे।

श्री राम गोपाल (किशनगंज) : अभी तो यह तय ही नहीं हुआ कि चुनाव विभाग उत्तर देगा या पंचायत विभाग।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पंचायत विभाग ही रिक्त स्थानों के बारे में जवाब देगा।

चुनाव मंत्री (श्री खेतसिंह) : मेरा यह निवेदन है कि पंच, सरपंच, प्रधान, उपप्रधान के चुनाव करवाने हैं या नहीं यह तो पंचायत

Page No 2

(2)

(श्री खेतसिंह)
विभाग ही तय करेगा। चुनाव विभाग तो उसको एक्जीक्यूट करेगा।

श्री अध्यक्ष : इसी सन्दर्भ में मैंने यह कहा था। चुनाव विभाग ने कहा कि पंचायत विभाग जवाब देगा और पंचायत विभाग कहता है कि चुनाव विभाग इसका उत्तर देगा। इसके लिए पंचायत विभाग पहले निर्णय कर ले। Postponed.

श्री किशन मोटवानी।

अजमेर लॉ कालेज में एल.एल.एम. की कक्षायें

320. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में लॉ कालेज कितने हैं ? उनके नाम, विवरण और आरम्भ होने की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालेजों में से एल.एल.एम. की कक्षायें किन किन कालेजों में व कौनसी तिथि से आरम्भ की गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर लॉ कालेज में एल.एल.एम. की कक्षायें आरम्भ न करने का क्या कारण है ? राज्य सरकार यहां लेबर लॉ की कक्षायें क्यों नहीं खोल रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) राजस्थान विश्व विद्यालय लॉ कालेज के अतिरिक्त 13 अन्य महाविद्यालयों में लॉ की कक्षायें चलती हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) डूंगर कालिज, बीकानेर में एल.एल.एम. की कक्षायें सन् 1970 से चल रही हैं।

(3) वित्तीय स्थिति के फलस्वरूप अभी सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची दी है प्रश्न के सन्दर्भ में, उसमें बड़ी गलती की हुई है। अजमेर में एल.एल.एम. क्लासेज 1967 से नहीं हैं। जब कि लॉ कालेज अगले साल 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। सन् 1956 में मैंने एडमीशन लिया था और मेरे से पहले दो बैच निकल चुके थे। क्या यह बड़ी भूल डेलिबरेटली नहीं की गयी है ?

श्री खेतसिंह : डेलिबरेटली नहीं की है। झगड़ा क्या है ?

श्री किशन मोटवानी : इतना बड़ा कालेज है, एल.एल.एम. की क्लासेज आप नहीं खोलना चाहते हैं कुछ दिन पहले स्ट्राइक हुई थी। आपने स्वयं ने आश्वासन दिया था तब स्ट्राइक को तोड़ा। आप अब इतना भी नहीं कहते कि अगले वर्ष इसको खोलने की सोचेंगे या प्रावधान रखेंगे। स्टाफ की कहां बात है ? तीन फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर्स हैं एल.एल.एम.। स्थान की भी आपको जरूरत नहीं है। इवनिंग क्लासेज चलती हैं। इतना बड़ा गवर्नमेंट कालेज है।

(श्री किशन मोटवानी)

आपको इसके लिये कोई दिक्कत नहीं होगी। एल. एल. एम. की बुक्स के लिये फुलफ्लेज्ड लायब्रेरी है। जांच करवा सकते हैं। फाइनेन्स का भी सवाल नहीं है। इतना बड़ा पुराना कालेज है, शिक्षा की दृष्टि से इसकी बड़ी ख्याति है। एल एल. एम. की क्लासेज आप खोल सकते हैं। इतना बड़ा स्टाफ है या नहीं ? इतना बड़ा स्थान है या नहीं और इतनी बड़ी लायब्रेरी है या नहीं ?

श्री राम गोपाल : मेरा भी निवेदन है। आपने इसके लिये आधार निर्धारित कर रखे हैं। क्या उसमें कोटा को भी शामिल किया गया है ? वहां पर भी कब तक एल एल. एम. की क्लासेज खोल देंगे ?

श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या राजस्थान में अजमेर कालेज सबसे पुराना कालेज नहीं है जिसमें एल एल. बी. की क्लासेज पुरानी चल रही हैं ? क्या पुराना कालेज होने के नाते इसको एल एल. एम. की क्लासेज के खोलने में प्राथमिकता देंगे ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा अजमेर से आये माननीय सदस्यों ने कहा मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पुराना कॉलेज है। 1967 से पहले एल. एल. बी. की क्लासेज चल रही हैं उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। चल रही होंगी। मैंने गलत निवेदन किया तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री किशन मोटवानी : आप खुद कर सकते हैं...

श्री खेत सिंह : हो सकता है, मुझे जो इन्फोर्मेशन दी गयी है उसमें प्रिन्टेड मिस्टेक हो, मैं इसे मान लेता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट कालेज पुराना कालेज है, एल एल. बी. की क्लासेज पुराने समय से चल रही हैं। एल. एल. एम. क्लासेज की पुरानी मांग है। आपने कहा कि लायब्रेरी है और तीन लेक्चरार्स हैं जो एल एल. एम. हैं और एल एल. एम. पढ़ा सकते हैं। इन सबकी मैं जांच कर लूंगा। आपके प्रिन्सिपल से बात कर लूंगा और यह सम्भव हो सकेगा, आज ही इस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री राम गोपाल : माननीय मन्त्रीजी ने कोटा के लिये कोई जवाब नहीं दिया है। क्या आधार रखा है। कोटा भी पुराना कालेज है। अजमेर के लिये कहा तो वैसे ही कोटा में भी कब तक इसकी क्लासेज खोलेंगे ?

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : अजमेर के लिये जहां तक बात आती है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप आश्वासन दें...

श्री अध्यक्ष : कह दिया है। यह तो रिपीटिशन है।

श्री शंकर सिंह रावत : यह आश्वासन दें आप कि साधन उपलब्ध हैं तो खोल देंगे।

श्री खेत सिंह : माननीय सदस्यों ने विधान सभा में बात कही उसमें मुझे कोई

Page No 4

(५)

(श्री खेतसिंह)

सन्देह नहीं है। एल एल.एम. पढ़ाने के लिये कौन व्यक्ति कौनसा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है यह सब जानकारी हांसिल करनी पड़ेगी। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के कहने से हां कर लूं और फिर ना कर दूं तो और भी भद्दी बात लगेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राम गोपाल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है।

श्री खेतसिंह : कोटा के बारे में यह निवेदन करना है कि डिवीजनल हैड क्वार्टर है, बहुत बड़ा जिला है, बड़े जिले का हैड क्वार्टर है, डवलपिंग सिटी है, लड़कों की तादाद भी अच्छी होनी ही चाहिये लेकिन वित्तीय स्थिति के फलस्वरूप मैं मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष : हाजी श्री जान मोहम्मद।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : केवल आपकी कृपा नहीं है।

आयुर्वेद एवं यूनानी दवाखाने

321. **हाजी श्री जान मोहम्मद खां (धिड़ावा)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के कितने यूनानी दवाखाने हैं ? और वे कहां कहां हैं व दूसरी केटेगरी के कितने दवाखाने हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में फर्स्ट व दूसरी केटेगरी के कुल कितने आयुर्वेद दवाखाने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार के पास यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखानों का बजट अलग अलग करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यूनानी हकीमों और आयुर्वेदिक वैद्यों की तनख्वाह बराबर है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान में 'अ' श्रेणी के तीन यूनानी दवाखाने—अजमेर, जयपुर एवं टोंक में स्थित हैं।

'बी' श्रेणी के यूनानी दवाखाने—धौलपुर, प्रतापगढ़, चूरू, जयपुर, देवली एवं उदयपुर में स्थित हैं।

(2) राजस्थान में 146 'बी' श्रेणी व 34 'ए' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

(3) आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों का बजट अलग-अलग लेखा शीर्षकों में स्वीकृत है।

(4) जी हां। यूनानी तथा आयुर्वेदिक वैद्यों के वेतनमान समान हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : सदरे मोहतरिम, मुझे दवाखानों की सूची नहीं मिली है।

Page No 5

(5)

श्रीमती कमला बेनीवाल : 'ए' श्रेणी और 'बी' श्रेणी के नाम मैंने पढ़कर सुना दिये हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां: राजस्थान में 'सी' श्रेणी के कितने यूनानी दवाखाने हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बता सकती हूं। इस प्रश्न में राजस्थान में, आपने पूछा है, कितने फर्स्ट ग्रेड यूनानी दवाखाने हैं और कहां कहां, सूची सदन की मेज पर रखें। वह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें मैंने (ए) श्रेणी और (बी) श्रेणी दोनों के नाम बता दिये हैं। इसके अलावा (सी) श्रेणी के नहीं पूछे हैं, अब पूछे हैं। मुझे निवेदन करना है (सी) श्रेणी के 36 दवाखाने और हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : सदरे मोतरिम राजस्थान में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने बराबर काम कर रहे हैं और जनता का दोनों में ही विश्वास है फिर यह भेद भाव क्यों है? जयपुर में कितने अच्छे अच्छे हकीम हैं। क्या वजह है। बराबर का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। (सी) श्रेणी के दवाखाने आपने बहुत कम बताये हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य में यूनानी दवाखाने खोलने का और विचार करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक आदि सभी के लिये अलग-अलग बजट प्रावधान हैं। उसी के अनुसार हम दवाखाने खोलते रहते हैं। 1975-76 में जो बजट प्रावधान है उसके अनुसार और खोले जायेंगे।

हाजी श्री जान मोहम्मद : कितने खोले जायेंगे, यह बता दीजीये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पिछले 1974-75 में यूनानी दवाखानों के लिये 5 लाख 87 हजार का बजट प्रावधान था और इस वर्ष 1975-76 के लिये यूनानी दवाखाने के लिये 6 लाख 87 हजार का बजट प्रावधान है। इसके अन्तर्गत दवाखाने और खोल दिये जायेंगे।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : सदरे मोहतरिम, झालावाड़ में 10–15 साल से यूनानी दवाखाने हैं। जनता की मांग है कि एक यूनानी दवाखाना और खोला जाय तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप तो अलग मुलाकात फर्मा दीजियेगा कहां खोलें और कहां नहीं खोलें।

श्री राम गोपाल : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में जनता की मांग है। इसलिये इसका भी जवाब दिया जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दवाखाने क्रमोन्नत करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। न आयुर्वेदिक औषधालय के लिये है और न किसी और औषधालय के लिये है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

Page No 6

(6)

अकाल राहत से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य।

322. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

1. राज्य में अकाल से इस वर्ष किस किस जिले में काश्त को कितनी क्षति पहुंची है ?

2. राज्य में अकाल सहायता के नाम से भारत सरकार ने कितनी धनराशि दी है और राज्य सरकार ने धनराशि प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

3. राज्य सरकार ने अकाल के स्थायी समाधान के लिये क्या क्या प्रयास किये हैं ?

4. राज्य सरकार ने अकाल से प्रभावित क्षेत्र में राहत के लिये क्या 2 कदम उठाये हैं ?

राज्य मंत्री, अकाल (श्री गुलाबसिंह शक्तावत):–1. इस वर्ष 24 जिलों में खरीफ की फसल को जो हानि पहुंची है उसकी तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

2. राज्य सरकार के निवेदन पर सितम्बर-अक्टूबर, 1974 में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और भारत सरकार को अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 10.24 करोड़ रुपया अग्रिम योजना मद में आवंटित किये गये। राज्य सरकार ने अकाल के स्थायी समाधान के लिये निम्न कदम उठाये हैं:–

बृहत् सिंचाई योजनाओं एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण हाथ में लिया गया, जैसे राजस्थान नहर परियोजना, माही, जाखम, सेई, जेतपुरा आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार के लघु सिंचाई के कार्य भी हाथ में लिये गये हैं।

3. भारत सरकार के सहयोग से 10 जिलों एवं 6 तहसीलों में जिनमें सूखा निरन्तर पड़ता रहता है। एक विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना (डी.पी.ए.पी.) प्रारम्भ की गई है।

4. राज्य सरकार ने बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजना के अतिरिक्त लघु सिंचाई एवं सड़क के कार्य विभिन्न जिलों में प्रारम्भ किये हैं। राजस्थान नहर परियोजना पर श्रमिकों को सरकारी खर्च पर भेजा जा रहा है एवं उनके रहन सहन, निवास एवं स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था दी गई है।

निराश्रित व्यक्तियों को जनवरी मास से अब तक 11,23,000 रु. की धनराशि का आवंटन किया गया है।

पशुओं के लिये विभिन्न वनों में घास कटवा कर उपलब्ध करने की सुविधा प्रदान की गई है। 51 फीडिंग सैन्टर खोले गये हैं जिनमें राज्य सरकार 60 पैसे प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान देती है। 1 मार्च से सांड सहायता अनुदान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विभिन्न जिलों में टैंकरों, रेल मार्ग एवं नलकूपों से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

Page No 7

(7)

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, यह जो आपने कहा है, काम खोल दिये हैं, मैं कहता हूं जहां जहां अकाल की स्थिति है वहां एक नाम मात्र का काम खोला है बाकी कहीं भी काम नहीं खुला है। गांवों में कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। आप यह बताइये कि काम कौनसी तारीख से खुल रहे हैं ?

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : जो आपने बताया माही बान्ध पर मजदूर काम कर रहे हैं, आप यह बतायेंगे कितने हजार मजदूर काम कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 9 कार्य, सड़कों के अन्तर्गत 2 कार्य, (मिनिमम नीड्स प्रोग्राम) में एक सड़क का काम चालू है तथा बाढ़ के करीब 20 काम प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

श्री विट्ठल भाई : काम तो कर रहे हैं, हम भी जानते हैं पर कितने कर रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : मैं यह पूछना चाहती हूं अजमेर में जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अजमेर जिले के विधायकों की राय लेकर काम चालू किया गया है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो इस समय सहायता के काम करने का पेटर्न है वह भिन्न हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने जो राजस्थान सरकार को राशि योजना मद के तहत दी है वह योजना मद में तीन करोड़ की राशि दी है और इसी प्रकार सड़क योजना मद में दी गई है। इसलिये जो काम प्रारम्भ किये गये हैं वे योजना में सम्मिलित किये गये हैं और उन्हीं कार्यों को हाथ में लिया गया है।

श्री किशन मोटवानी : कौनसी दो सड़कों का काम योजना के अन्तर्गत चल रहा है ?

श्री केसरीमल : पिछले साल के बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, तालाब अधूरे पड़े हैं, बांध अधूरे पड़े हैं उनको योजना के मातहत लेकर काम शुरू क्यों नहीं कराया जाता ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, योजना के अन्तर्गत कार्य हो रहा है। योजना के मायने योजना है। जो प्लान वर्क्स सेंक्शन्ड हैं उन पर यह खर्चा होगा। अन-सेंक्शन्ड प्लान वर्क्स में मान लीजिये काम अधूरे पड़े हैं तो उन पर योजना में तो खर्चा नहीं किया जा सकता है। मगर हमारी कोशिश यह होगी, अगले कुछ दिनों में जो लेबर का इनफ्लेक्स होगा उसमें और काम को सेंक्शन करवायें। जो पिछले साल आया 1 करोड़ 19 लाख क्योंकि वह खत्म हो चुका है इसलिए जो सहायता अगले वर्ष की एक तारीख से मिलेगी उसमें हम शुरू करवा सकते हैं।

श्री किशन मोटवानी : दो सड़कों के नाम बतायें और कितनी राशि स्वीकृत की गई है, यह भी बतायें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जयपुर जिले में ऐसे कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं और कहां कहां खोले गए हैं ?

Page No 8

(8)

श्री विजय सिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, जो कार्य प्रारम्भ किये गये हैं क्या जो सलाहकार समिति बनी हुई है उससे शुरू किये गए हैं ? प्लान वर्क्स में ही मान लीजिये 4 या 5 वर्क्स हैं. तो क्या सलाहकार समिति की राय ले ली गई है कि पहले कौनसा कार्य खोला जाय ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, राहत कार्यों के पेटर्न की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रपोजल्स हैं वे संभव नहीं थे, क्योंकि हम उन्हीं कामों को हाथ में ले सकते हैं जो योजना में लिये जा सकते थे।

श्री विजय सिंह : उनको प्रायोरिटी दी क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रायोरिटी दी है। जो कन्टीजेन्सी प्लान है और विधायकों की राय से जो कमेटी बनी है, उनके कामों को हमने प्रायोरिटी दी है।

श्री किशन मोटवानी : वह नाम बता नहीं रहे हैं।

श्री केसरीमल : एम. एल. एज. को इसकी जानकारी नहीं कराई जाय, एम.एल. एज. की राय नहीं ली जाय तो क्या यह कमेटी के लिये राय लेना जरूरी नहीं है ? क्या इसको बताना भी आवश्यक नहीं है कि किन किन कामों को योजना के तहत लिया जा रहा है ? कम से कम बताइये तो सही बताने से भी इन्कार किया जा रहा है। उस सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाना उचित नहीं क माननीय सदस्यों को नहीं बताया जाता है या बताया नहीं गया है, यह बात गलत है। माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र भी लिखा था और मैंने स्वयं ने उनको जानकारी दी है कि आपकी तहसील में डी.पी.ए.पी. की योजना के तहत जो कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं, क्या काम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि एक और फीडर का काम शुरू किया जाना चाहिए तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब तक यह योजना में शामिल नहीं हो तब तक अकाल राहत कार्य के तहत हाथ में लिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार की मंशा कोई ऐसी नहीं है कि कोई काम माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं लाये जायं। जो माननीय सदस्य जिस जिले की जानकारी चाहते हैं उनके पास वह सूची भेज देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : इसका मतलब है कि आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है, पेटर्न में। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि योजना के काम ही हाथ में लिए जा सकते हैं और उनके उत्तर से स्पष्ट है कि एम.एल.एज. को कोन्फिडेन्स में लिया जाय एट प्रजेन्ट इसकी कोई मंशा नहीं है। तो स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह हुआ कि एम.एल.एज. के व्यूज अन्डर टेक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि योजना के कार्यों में भी जो तीन-चार तरह की योजनायें हैं उनमें एम.एल.एज. के कहने से प्रायोरिटी देंगे। इस बात की स्पष्ट पालिसी सामने आनी चाहिये कि एम.एल.एज. की राय लेंगे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो वर्क कन्टीन्यूड वर्क

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं उनके अन्दर तो राय फिर से लेने की जरूरत नहीं है। उस पर तो लेबर की संख्या बढ़ाने की बात है। सो फार एग्जाम्पल राजस्थान केनाल एक प्रोजेक्ट रहा है, अब उसके अन्दर अभी तक संकेन्ड स्ट्रेंन्थ दस हजार लेबर की है। अब पांच करोड़ रुपये और दिये तो अपन दस हजार की जगह बीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हर कंटीन्यूड वर्क में यही पॉलिसी अख्तियार की गई है। उसको एक्सलरेट कर दिया है और लेबर की संख्या बढ़ा दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आम तौर पर प्रश्नकर्ता को मैं प्रिफरेंस देता हूं। जब आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा तो यह भ्रम हो गया कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। पूछिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न इतनी अहमियत का था कि दूसरे माननीय सदस्य पूछ रहे थे। (व्यवधान-अश्रव्य) माननीय मंत्री जी, पिछले साल दो सौ करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए अकाल राहत के नाते।

श्री हरिदेव जोशी : कब दिए दो सौ करोड़?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गत वर्ष आपको अकाल राहत के लिए जो कुछ भी पैसा मिला उसके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि अकाल राहत कार्य में उसका दुरुपयोग हुआ और उनका कहना है कि ये मंत्री लोग भिखमंगों की तरह आते हैं, पैसा मांगते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस पैसे का सदुपयोग अब तो होगा या नहीं यह माननीय मुख्य मंत्रीजी बतावें। और जो दुरुपयोग हुआ है, क्या उसकी जांच के लिये एम. एल. एज. की एक समिति का गठन करके करवायेंगे? देश की प्रधान मंत्री जी हाल ही में यहां आयीं और दिल्ली का आप बारबार राजस्थान के अकाल के नाते चक्कर काटते हैं, क्या अकाल सहायता इस वर्ष में आपको देने के लिए उन्होंने कहा है? मैं समझता हूं कि यह बात मंत्रीजी नहीं बता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप विराजिये।

(व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य को भ्रम है कि प्रधान मंत्री जी ने कुछ इस प्रकार की बात कही है। प्रधान मंत्रीजी ने केवल यही बात कही थी कि अकाल राहत के कामों के अन्दर योजना कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ऐसे काम लिए जाने चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हों...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दुरुपयोग सम्भव नहीं हो।

श्री हरिदेव जोशी : अब रह जाता है प्रश्न प्रोडक्टिव वर्क में कौन से काम लिए जावें। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उनकी राय ली जाय और आप यह चाहते हैं

(श्री हरिदेव जोशी)

कि कहीं से कुछ भी काम शुरू कर दिए जावें चाहे उसमें प्रोडक्शन हो या नहीं। सरकार वर्तमान रूप में यही चाहती है कि जो प्रोग्राम बनाया गया है उस प्रोग्राम के मुताबिक ही काम हाथ में लिए जायें और उनमें आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा।

और दूसरा यह है कि कहीं भी किसी ने भी यह नहीं कहा है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है यह भ्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे प्राईमरी चीज अकाल राहत के अन्दर यह है कि अभी जैसे बाड़मेर की स्थिति है। बाड़मेर में हम यूटिलिटी के वर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मिलते हैं। प्रश्न यह है कि लोगों को किस प्रकार से जिन्दा रखा जाता है। पिछली बार जब वर्क नहीं मिले तो लोगों को लोन दिया गया है। जब वर्क नहीं मिले तो अकाल के अन्दर लोगों को जिन्दा कैसे रखा जाय, यह प्रश्न मुख्य होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : There is no point of order during Question Hour. This disposes of your point of order.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक अर्ज है . . .

श्री अध्यक्ष : Don't try to mislead me in the name of point of order. It does not arise in the question hour. You can request me to ask a supplementary.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : It is my request, Sir. कि प्रधान मंत्रीजी का नाम ले कर के यह बात कही गई कि भिखमंगों की तरह हमारे मंत्री वहां गये हैं, यह अनपार्लियामेंट्री है इनको एक्सपंज किया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। मैंने कह दिया है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन का दुरुपयोग हुआ है यह निश्चित है।

श्री हरिदेव जोशी : कहीं कोई दुरुपयोग होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है यह तो स्थिति को सम्भालने की बात है। जब आवश्यकता होगी उस समय काम देते रहेंगे और लोगों को जिन्दा रखेंगे।

प्रश्न सं. 323

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री अजीत सिंह।

गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल, टौंक की बस

324. **श्री अजीत सिंह** (टौंक) : **क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल, टौंक की बस कितने समय से क्यों नहीं चल रही है?

(2) क्या राज्य सरकार बस पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) वर्तमान सत्र में ड्राइवर की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण गर्ल्स सैकन्डरी स्कूल, टोंक की बस नहीं चल सकी।

(2) अब 14-2-75 को राज्यादेश प. 8(18) शिक्षा।ग्रुप-2।75 से यहां ड्राइवर का पदस्थापन कर दिया गया है, आशा है बस शीघ्र प्रारम्भ हो जावेगी।

श्री अजीतसिंह : आपने जो हुक्म दिया मेरी समझ से यह बात नहीं है। ड्राइवर की बात नहीं थी, वह गाड़ी खराब हो गई है और वहीं पहियों पर ही खड़ी रहती है और आउट आफ डेट हो गई है। इसको तो वहां चलाना भी मुश्किल है। अब तो नई गाड़ी लगाने की व्यवस्था होना आवश्यक है। ड्राइवर क्या कर सकता है जब गाड़ी ही खराब हो। बस चलते-चलते खड़ी हो जाती है। गाड़ी केवल नमूने के लिए वहां रख छोड़ी है। इससे काम चलने वाला नहीं है। माननीय मंत्रीजी आपको मालूम है कि टोंक मुस्लिम एरिया है और वहां पर पर्दा सिस्टम बहुत है जिससे लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है। जब स्कूल जाती हैं तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए नई गाड़ी की बहुत आवश्यकता है। गर्ल्स स्कूल के लिए अगर आप नई बस की व्यवस्था करा दें तो आपकी बडी कृपा होगी।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को गम्भीरता से लेता हूं और इस पर गम्भीरता से विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बेगाराम।

पैरा मेडिकल मल्टीपरपज प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को आर्थिक सहायता

325. **श्री बेगाराम** (रायसिंहनगर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पैरा मेडिकल मल्टीपरपज प्रशिक्षण चालू किया गया? यदि हां, तो कितने छात्रों का?

(2) राज्य सरकार उन छात्रों को योग्यता के अनुसार सर्विस कब तक, किस पद पर तथा कौनसी वेतन श्रृंखला में देगी? क्या तीन माह से बेकार बैठे प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे के रूप में आर्थिक सहायता देने का सरकार इरादा रखती है?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। 200 छात्रों के लिए।

(2) प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्त करने का मामला विचाराधीन है इस अवधि में वजीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, बहुत से लड़के आज तीन माह से बेकार पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या उनको नौकरी दी जायेगी? और दी जायेगी, तो कब दी जायेगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रशिक्षण दिलवाया गया था वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के एम्पलायमेंट प्रोग्राम के तहत में दिलाया गया था और फैमिली प्लानिंग में कुछ पोस्टें वेकेंट

Page No 12

(12)

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

चल रही थी उनके अगेंस्ट एम्पलायमेंट देने का प्रावधान रखा गया था लेकिन प्रशिक्षण के बाद कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने उन पोस्टों को भरने के लिए बैन लगा दिया, इसलिए स्थिति इस प्रकार से बनी। लेकिन फिर भी राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से बराबर पत्र व्यवहार कर रही है कि उनको भरने की इजाजत दी जावे ताकि इन प्रशिक्षित लोगों को भर्ती किया जा सके।

श्री बेगाराम : कब तक ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी डेट बताना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

राज्य कर्मचारियों को परीक्षा की अनुमति

326. श्री **विजयसिंह राठौड़** (मांडल): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को परीक्षाओं के लिए अनुमति देने की प्रणाली नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. 13 (17) नियुक्ति (क)/55 दिनांक 31–7–61 द्वारा निर्देशित है ? कृपया इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. 4 (1) नियुक्ति (क)/61 दिनांक अप्रेल 61 के अनुसार जिन कर्मचारियों ने बिना पूर्व स्वीकृति के या अनाधिकृत या मौखिक स्वीकृति से राज्य सेवा में होते हुए आगे की कोई परीक्षा पास कर ली हो तो ऐसी योग्यता को विभागीय परीक्षाओं, पदोन्नति या नियुक्ति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी ?

(3) क्या उपरोक्त विज्ञप्तियां एवं राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स, 58 की धारा 14 (ख) के होते हुए भी श्री अशोक भट्टाचार्य जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक हैं, बिना पूर्व स्वीकृति के लगातार 20 वर्षों तक एम. एस–सी. (केमिस्ट्री) की परीक्षाएं देते रहे हैं ? यदि श्री अशोक भट्टाचार्य ने पूर्व स्वीकृतियां ली हैं तो उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या श्री भट्टाचार्य को ऐसी अनाधिकृत उपाधि के कारण पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो नियमों का निरन्तर उल्लंघन करने के लिये राज्य सरकार इस विषय में क्या नीति अपनायेगी एवं श्री भट्टाचार को क्या सजा देगी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। नियुक्ति विभाग द्वारा इस विषय से सम्बन्धित जारी किये गये परिपत्र संख्या एफ. 13 (17) नियुक्ति (क)/55 दिनांक 31–7–65 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है किन्तु इस आदेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में बाद में समय समय पर संशोधन किये गये हैं।

(2) जी हां, किन्तु इस परिपत्र संख्या एफ.4 (1) नियुक्ति/61 दिनांक 24-4-61 को राज्य सरकार ने परिपत्र संख्या 4(1)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
नियुक्ति (क.)/61 दिनांक 1-5-64 द्वारा वापस ले लिया है इसके फलस्वरूप बिना अनुमति प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता कर्मचारी की पदोन्नति के लिये मान्य है किन्तु उसके इस आचरण के लिये उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जी नहीं। श्री अशोक भट्टाचार्य को सन् 1951, 1954–55 व 1966–67 में एम. एस-सी. (रसायन) के अध्ययन हेतु अनुमति दी गई थी। इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति एवं अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी नहीं। श्री भट्टाचार्य द्वारा सन् 1968 में एम.एस-सी. (रसायन) की परीक्षा में अनधिकृत रूप से बैठने सम्बन्धी मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान द्वारा कर ली गई है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इस मामले की जांच की जा सकती है और कोई पनिशमेन्ट दिया जा सकता है। क्या कोई मौखिक स्वीकृति दी गई थी और रिटिन में नहीं दी गई थी? दूसरी बात यह है कि इन्होंने 1952 से लेकर 1966 तक परीक्षाएं दीं एम.एस-सी. केमिस्ट्री पास की और किसी तरह से कोई स्वीकृति नहीं ली। कोई जांच नहीं हुई। फिर मुख्य मंत्री को किसी ने लिखा और उसके बाद इन्वेस्टीगेशन हुए और डी. आई. जी. यूनिवर्सिटी और डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ के बीच में लिखा पढ़ी हुई। यह भी तथ्य है कि ये परीक्षाओं के दौरान ड्यूटी पर रहे। यह फैक्ट सामने आया है। डाइरेक्टर कम्पलेन्ट जो सैक्रेटेरियेट में सी. एम. आफिस में बैठते हैं उनके व रजिस्ट्रार के बीच में लिखा पढ़ी हुई। अब इस आदमी के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के प्रिवेन्शन आफ फूड अडल्ट्रेशन ने लिखा है कि इस आदमी को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। इसको एक्सपीरियन्स नहीं है। उसके बावजूद इसको पदोन्नति दी गई है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न के भाग एक में आपने पूछा है, बिना स्वीकृति के ये परीक्षाओं में बैठे हैं। मैंने प्रश्न के भाग दो में स्पष्ट तौर पर बताया है कि सी. सी. ए. रूल्स के तहत इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इन्होंने जिन जिन वर्षों में राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष की बिना स्वीकृति लिए परीक्षाएं दी हैं उन सब पर जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा करायी गयी है और उसकी जांच रिपोर्ट आ गयी है और इस जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा और जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके आधार पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।

श्री विजयसिंह : इसके बावजूद भी आपने उसको पदोन्नत कर दिया है। इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जो आपने लास्ट में पूछा है वह प्रश्न इस प्रश्न से रिलेवेन्ट नहीं है। इसलिए इसको सम-

(श्री हरिदेव जोशी)
भरना होगा। यह प्रश्न मेडिकल विभाग से संबंधित है। इस व्यक्ति ने अन-ग्राथोराइज्ड वे में परीक्षाएं दी हैं इसकी रिपोर्ट आ गई है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगर परिषद् के स्थान पर कार्पोरेशन

3 7. **श्री श्रीराम गोटेवाला** : (किशनपोल, जयपुर) : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर की वर्तमान में आबादी क्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार जयपुर शहर में नगरपरिषद् के स्थान पर कार्पोरेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) वर्ष 1971 की जनगणनानुसार 6,15,258 है।

(2) जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्पोरेशन की स्थापना में क्या कोई दिक्कत है ? कई बार यह मांग इस सदन के द्वारा की जा की है। हमारे यहां पर विभागों का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। सड़क बनती है और टूटती रहती है। लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रश्न की फिजिबिलीटी को गवर्नमेन्ट ने एग्जामिन कर लिया है और इस बारे में क्या कोई कदम उठाया गया है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेन्ट ने कार्पोरेशन बनाने के लिए कोई आधार भी मुकर्रर किया है या नहीं ? आप कितनी आबादी पर कार्पोरेशन बनाना चाहते हैं ताकि फेमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को फ्रस्ट्रेड करके आबादी को बढ़ाया जावे। आपको चाहिए कि आप कोई न कोई आधार तय कर दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि जयपुर में राजस्थान की राजधानी होते हुए भी यहां पर कार्पोरेशन का गठन सरकार नहीं कर रही है। चौमूं, आमेर में भी म्युनिसिपैलिटी है और जयपुर में भी वही म्युनिसिपैलिटी है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए क्या आप इसको कार्पोरेशन बनाना उपयुक्त नहीं समझते हैं ? जयपुर में नगर निगम न होने के कारण इसका दूसरे प्रान्तों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इससे राजस्थान की प्रतिष्ठा में फर्क पड़ रहा है। नगर निगम को सरकार इसलिए टालना चाहती है कि उसे समय पर इसके चुनाव

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करवाने होंगे, वह कार्पोरेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। और अपनी मर्जी के अनुसार भंग नहीं कर सकेगी। क्या यह सरकार को भय है? यह एक मौलिक प्रश्न है, राजस्थान का प्रश्न है। नगर निगम की स्थापना होने से जयपुर के विकास को बल मिलेगा इसलिए इस प्रश्न को टाला नहीं जाये।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): कार्पोरेशन बनाने के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं? अगर इन भूलभूत आधार की परिपालना नहीं होती है और जयपुर नगर परिषद् को कार्पोरेशन नाम देने से सन्तोष होता है तो यह नाम देने में कोई आपको आपत्ति है?

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्न एक जैसे हैं। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर प्रश्न उठाया कि क्या जयपुर में म्युनिसिपिल कार्पोरेशन हो, इसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन करा लिया गया है? जी हां जांच करा ली गई है और जयपुर में कार्पोरेशन बनाना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि सरकार को जयपुर में कार्पोरेशन बनाने में शर्म आ रही है। जी नहीं। और सवाल यह पूछे गये हैं कि कार्पोरेशन बनाने के लिए आधारभूत सिद्धान्त क्या है? एक सिद्धान्त है आबादी····

श्री श्रीराम गोटेवाला: कितनी आबादी पर?

श्री रामनारायण चौधरी: यह कोई निश्चित नहीं है। हर जगह अलग अलग है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह तो आपको बनाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: पहले आप सुन लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: जब आपने उत्तर में ना कर दिया तो उत्तर देने का आधार ही क्या है?

श्री अध्यक्ष: वह क्या कहना चाहते है सुनिये।

श्री रामनारायण चौधरी: जहां पर कार्पोरेशन बनाया जाने वाला हो वहां की आबादी और उस क्षेत्र में होने वाली आमदनी यह मुख्य आधार कार्पोरेशन के होते हैं, और यहां पर जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल की आमदनी के जरिये और मीन्स इस वक्त मुकर्रर हैं इनको देखते हुए कार्पोरेशन बनाया जाना उपयुक्त नहीं है। केवल म्युनिसिपल कौन्सिल के बजाय म्युनिसिपल कार्पोरेशन कर देने से ही कोई तात्पर्य हल नहीं होता है।

नम्बर दो कार्पोरेशन बनाये जाने के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहती है कि म्युनिसिपल कौन्सिल को भंग करने का उसको अधिकार है और कार्पोरेशन बनाने से नहीं होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कार्पोरेशन एक्ट बनाया जाता है तो उसमें यह प्रावधान रखा जा सकता है। किसी को

Page No 16

(16)

(श्री रामनारायण चौधरी)

भी हटाने का किसी भी संस्था से किसी भी व्यक्ति को हटाने का, किसी को भी अधिकार न हो यह दुनिया में सिद्धान्त नहीं है। कहीं कोई विधान नहीं है। कार्पोरेशन को ऐसे असीमित अधिकार और ऐसी शक्तियां नही दी जा सकती कि उसका काम नहीं हो तो भी उसको नहीं हटाया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि यह जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये इसी आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त नहीं सोचा गया। म्युनिसिपल कौन्सिल के तहत जो अधिकार हैं उनके तहत काफी काम कर सकती हैं, वे सक्षम हैं कि उनसे जयपुर की पूरी सेवा की जा सकती है और जयपुर का विकास करने में उनसे कोई बाधा नहीं आती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता था····

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आ गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब में उलझा दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सन्तोषप्रद जवाब नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितनी आबादी की आवश्यकता है और उस आबादी के होने का क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है?

दूसरे नम्बर पर मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी आमदनी की बात है?

तीसरी बात यह है कि जो आज नगर निगम की मांग करते हैं वह इसलिए करते हैं कि पहले 15 हजार और अब 25 हजार से ज्यादा कामों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बार बार आना पड़ता है। आबादी और आमदनी का जो क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया को मेहरबानी करके फर्मा दें कि कितनी आमदनी होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट वर्क्स में हमारी जो म्युनिसिपल कौन्सिल है उसके कान्स्टीट्यूशन से कोई बाधा पहुँचती हो तो कार्पोरेशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उससे लाभ होता है तो इस चीज को फिर से एक्जामिन कर सकते हैं, और फैसला कर सकते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य कौन्सिल नहीं बल्कि डवलपमेंट है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री जगमोहनसिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इस सम्बन्ध में विधान सभा में कब तक बिल लायेंगे या कोई आर्डिनेन्स निकाल कर कार्पोरेशन बनायेंगे?

हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना का सर्वे

328. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या छबड़ा तहसील में रेतड़ी नदी पर हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना का सर्वे विभाग द्वारा करवाया गया है?

(श्री जगमोहन सिंह)

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सिंचाई योजना को मध्यप्रदेश सरकार ने भी बनाने की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो सिंचाई योजना की स्वीकृति कर इसका निर्माण कब शुरू करावाया जावेगा ?

(3) उक्त योजना की कितनी लागत है और इसमें कितनी सिंचाई होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं, मध्यप्रदेश से इस योजना पर अभी सहमति प्राप्त नहीं हुई है । मध्यप्रदेश सरकार की स्वीकृति मिलने व वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

(3) हिंगलोट सिंचाई परियोजना की कुल लागत 90,00,000 रुपये होगी । इससे सिंचाई 6,000 एकड़ होगी ।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान के बोर्ड की बैठक जयपुर में हुई थी । जहां तक मुझे विदित है, उसमें यह तय किया गया कि मध्यप्रदेश सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एन्केचमेंट एरिया जो उनका लगता है वह कम है, क्या यह सही है ?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि पिछले 27 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा किसी तरह की नहीं बनाई गई है, और यह एक पोटेन्शियल एरिया है । यहां की जमीन काफी उपजाऊ है । अगर यह योजना बन जाती है तो प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा । अब तक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही है कि जिन इलाकों में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनमें डेवलपमेंट किया जाय । क्या इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चालू कराने का आश्वासन दिया जायगा ?

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि पिछले सत्र में यह सवाल पूछा गया था तो आपने कहा था कि पंचवर्षीय योजना में लेने का विचार कर रहे हैं । इन सारी बातों का जवाब देने की कृपा करें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह हिंगलोट सिंचाई योजना क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उपयुक्त होने के आधार पर ही तैयार की गई है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कोई योजना नहीं बनाई गई है, उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए और योजना का लाभ राजस्थान को मिल सकता है सिंचाई की दृष्टि से, उसी दृष्टि से, यह योजना बनाई गई है । सर्वे होकर एस्टीमेट्स वगैरह बन गये हैं । जिस नदी पर यह योजना बनाई जानी है वह नदी मध्यप्रदेश से होकर आती है इसलिए 33 स्क्वायर माइल उसका एन्केचमेंट एरिया मध्यप्रदेश में पड़ता है। उसका 60 स्क्वायर मील का कुल एरिया है जिसमें से 27 स्क्वायर मील का एन्केचमेंट एरिया आता है। तो इस क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश सरकार से पूछने की आवश्यकता है । मध्यप्रदेश से जितना पानी आता है उसका

(श्री हीरालाल देवपुरा)
20 पर्सेन्ट राजस्थान के अन्दर से आता है तो उनसे बात करने की बात है।

आपने कहा कि मीटिंग हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में तो चम्बल बोर्ड की मीटिंग हुई है और उसमें इस पर भी विचार हुआ है। मध्य प्रदेश ने अपनी सहमति नहीं दी है। आपको जो सूचना मिली है कि सहमति दे दी है वह ठीक नहीं है। मध्यप्रदेश ने कहा है कि यह देखना है कि कहीं उनके क्षेत्र को इस योजना से लाभ मिल सकता है। अगर लाभ मिल सकता है तो इसको जोइन्ट योजना बना सकते हैं और बड़ी योजना बना सकते हैं तो उसकी फीजेबिलिटी को इस प्रास्पेक्ट में देखा जा रहा है। राजस्थान यह चाहता है कि यह योजना जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो और उसका लाभ इस क्षेत्र को मिले।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह कोटा जिले से सम्बन्धित है और मेरा गांव भी वहीं है इसलिये मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या छबड़ा उप-जिले में 27 वर्षों में लगातार एक के बाद एक जगह सर्वे होता आ रहा है। लेकिन सर्वे होने के बाद भी आज तक एक भी योजना वहां के लिए स्वीकृत नहीं की गई है ?

दूसरा, आपने यह बताया है कि जिस नदी पर यह योजना बनाई जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार का उससे भी सम्बन्ध जुड़ा हुआ है इसलिए उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो छबड़ा उप-जिले के अन्दर ऐसी कई छोटी-मोटी योजनाएं हैं जिनका हमारे से ही सिर्फ ताल्लुक है। आपने यह कहा है कि इस योजना के लिए 90,00,000 रुपये के एस्टीमेट्स बनाये गये हैं तो उससे भी कम के एस्टीमेट्स के कई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट हाथ में लिये जा सकते हैं। आपने अब तक उस क्षेत्र की उपेक्षा की है तो क्या आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि कई छोटी-मोटी योजनाएं जो हैं उनको लें पंचवर्षीय योजना में।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, सारे छबड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम है कि कई योजनाएं चल रही हैं वहां पर जैसे कि गोपालपुरा की योजना इसी क्षेत्र में है।

श्री रामगोपाल : वह इसमें शामिल नहीं है। छबड़ा और छीपा बड़ौद को गोपालपुरा योजना का नाम लेकर नहीं भुला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामगोपाल : आप देखिये कि कितना वहां पर काम हुआ है। आप छोटी-मोटी स्कीमों को लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सांवरमल मोर।

श्री जगमोहन सिंह : I want to put one question, if you permit. मैंने आकाशवाणी से सुना है जो कि जयपुर से ब्राडकास्ट होती है। यह आप जानते हैं कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें सेठी साहब भी पधारे

(श्री जगमोहन सिंह)
थे और इस योजना के बारे में उन्होंने नो-आब्जेक्शन कहा था। कोई एरिया नहीं आता है इसलिये बना लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : उस मीटिंग में मैं भी था। जो कुछ उसमें हुआ वह मैंने माननीय सदस्य को बता दिया। आकाशवाणी ने कुछ भी कहा हो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं आती है।

प्रश्न संख्या 329

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द।

दौसा चिकित्सालय में एक्स-रे की मशीन

330. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन किस तारीख को, कितने में खरीदी गई ?

(2) क्या उक्त मशीन से अब वांछित कार्य लिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इसे अब तक भी चालू नहीं किया ?

(4) क्या उक्त चिकित्सालय में हर रोगी के लिए रूई, पट्टी, मरहम आदि उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) दौसा चिकित्सालय के लिए एक्स-रे मशीन 1964 में रु. 11,000 में खरीदी गई।

(2) उक्त मशीन से स्क्रीनिंग का कार्य लिया जा रहा है।

(3) मशीन कार्य कर रही है।

(4) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में समुचित व्यवस्था है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगी कि जो दूसरी कमियां हैं, उनको दूर करके मशीन को सक्षम बनायेंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके साथ में एक्स-रे प्लेट लिये जाने के लिए 5 हजार रुपये का अतिरिक्त प्रावधान होना जरूरी है। इसको वहां की म्युनिसिपैलिटी ने करने के लिए अपना विचार जाहिर किया था लेकिन बीच में ही म्युनिसिपैलिटी हटने के कारण और प्रशासक लग जाने के कारण यह रह गया है। अब पुनः नयी नगरपालिका बनी है तो उससे यह कहा गया है कि पूर्व नगरपालिका ने यह कार्य सम्पन्न करने को कहा था। वह पूरा कराने की बातचीत चल रही है। आशा है, उसमें शीघ्रता की जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या राज्य सरकार द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए नगरपालिका का प्रावधान किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्यों नहीं किया जा सकता है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : इसीलिए कि वित्तीय साधन की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या 5 हजार का वित्तीय साधन भी नहीं है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5 हजार क्या, एक करोड़ का भी हो तो भी ऐसा हो जाता है। वहां की म्युनिसिपैलिटी भंग हो गई तो यह प्रस्ताव उसकी लपेट में आ गया। 5 हजार कर दें तो एक्स-रे मशीन आ जायेगी। इसमें कितना लगता है, माननीय सदस्य उसे जल्दी से जल्दी पूरा करा दें तो अटेन्डेन्ट लगाकर कार्य शुरू कर दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर यह सही है कि जो उस समय चिकित्सा मंत्री थे उन्होंने सदन में यह घोषणा की थी कि इसे चालू कर दिया जायेगा ? उन्होंने नगरपालिका की कण्डीशन नहीं लगाई थी। विदाउट इट्स एण्ड बट्स उन्होंने यह एश्योरेंस दिया था। म्युनिसिपैलिटी अगर नहीं दे तो 5 हजार रुपया कोई चीज नहीं है। 1974 से 11,000 रु. लगे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या यह सही है कि नगरपालिका ...

श्री अध्यक्ष : यह दोसा के मतलब का है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रस्ताव जो माननीय मन्त्री महोदय के पड़ौस में बैठे हैं, उनकी कूटनीति की लपेट में आ गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : निदेशक, स्थानीय चिकित्सा ने मंजूरी भेज दी। पर उसके बीच में स्थिति कुछ ऐसी लफड़े में उलझ गई कि मामला उलझ गया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, वह जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करा दें। 5 हजार दे दें उसके बावजूद भी, अगर म्युनिसिपैलिटी से नहीं मिलना है तो कह दें तो सरकार उसको किसी न किसी प्रकार पूरा कराने की कोशिश करेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप तो किसी प्रकार से इसे करा दें। 5 हजार रुपये के लिए राजस्थान सरकार को किसी प्रकार का बाधा नहीं है। आप कहें तो मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूं। वह 5 हजार रुपये के लिए बीच में नहीं अटकायें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

तहसील टोडारायसिंह क्षेत्र के बांध

331. **श्री चतरभुज** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:— क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में 4 टैंक सन् 1966-67 व 1972 में फैमिन वर्क कार्यों में ग्राम पंचायत भावता में ज़ोड़ली बांध व पंचायत पवालिया में नया बांध व पंचायत बावड़ी में रतवाड़ा बांध व पंचायत अरियाली में धोलाई बांध बांधे हैं और ये चारों टैंक करीबन 500–600 एकड़ सिंचाई होने की क्षमता के हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें सिंचाई विभाग

(श्री चतरभुज)

के अन्तर्गत ले लिया गया है? क्या सरकार द्वारा पिलाई वसूल की गई? यदि हां, तो कितनी और नहीं की तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अकाल कार्यों के अन्तर्गत ये चारों बांध नहीं बांधे गये हैं। इनमें दो बांध रतवाड़ा (पंचायत बावड़ी) व नया तालाब (पंचायत पवालिया) सिंचाई विभाग के तालाब हैं जिनकी सिंचाई की क्षमता क्रमश: 90 व 60 एकड़ है। इनकी पिलाई का अंकन व वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाती है, जिसका विवरण संलग्न है। दूसरे दो बांध जोड़ली (पंचायत भावता) व नाड़ी ग्रोलाई (पंचायत अणियारी) पंचायत समिति के तालाब हैं जिसकी सिंचाई क्षमता का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इनकी पिलाई की वसूली राज्य सरकार के सिंचाई अथवा राजस्व विभागों द्वारा नहीं की जाती।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री चतरभुज: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है, कि न तो अपने हैं, और न पंचायत समितियों के हैं। उनमें रुपया लगाया गया है। 500 एकड़ सिंचाई होती है। 6 हजार रुपया सालाना की आमदनी है। वहां पर मनमानी करते हैं। जिनको चाहें उनको पानी देते हैं गरीब आदमी को पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप रिकार्ड मंगालें और देख लें। आप उनको सिंचाई विभाग के सुपुर्द कर दें और आप सारी व्यवस्था करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह: एक मेरा भी प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि बहुत से ऐसे तालाब हैं, जो कि न तो पंचायत समितियों के पास हैं और न सिंचाई विभाग के पास हैं? उनमें बहुत से टूटे पड़े हैं। पंचायत समितियां कहती हैं कि हमारे नहीं हैं। सिंचाई विभाग कहता है कि हमारे नहीं है। क्या सरकार ऐसा सर्वे कराने का इरादा रखती है, जिससे कि उनका स्वामित्व राज्य सरकार के सिंचाई विभाग या पंचायत समितियों के पास में हो? इस बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत समितियों के क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब हैं, पंचायत समिति इरिगेशन के अन्दर लेना चाहती है। क्या राज्य सरकार ऐसे बांधों और तालाबों को अपने अण्डर में लेकर उनका उपयोग करेगी जिससे कि बहुत सी जमीन की सिंचाई हो सके?

श्री अजीतसिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ नये तालाब बने हैं। राज्य सरकार का उनमें लाखों रुपया खर्च हुआ है। इस बारे में डिपार्टमेन्ट से भी निवेदन किया गया है। उसकी जिम्मेदारी कोई सम्भालने के लिए तैयार नहीं है। यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है। सरकार उनको लेने के बारे में क्या व्यवस्था कर रही है? उनकी मोरियां भी नहीं बनाई गई हैं। यह कहा गया था कि मोरियां बनायेंगे। लाखों रुपया लगाया गया है लेकिन ठीक तरह से कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या आप इसको डिपार्टमेन्ट में लेकर ठीक तरह से चालू करेंगे जिससे कि आमदनी और बढ़े?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता महोदय ने कहा है कि बहुत बड़े बड़े तालाब हैं जिनसे 500–600 एकड़ की सिंचाई हो सकती है। यह रिकार्ड के आधार पर ठीक नहीं है। जो बड़े तालाब हैं, 90 और 60 एकड़ की क्षमता के हैं उन्हें राज्य सरकार देखती है। इससे नीचे की क्षमता के पंचायत समिति देखती है। वे राज्य सरकार के पास नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, छोटे तालाब हैं उनकी देख रेख नहीं होती है। राज्य का सिंचाई विभाग 50 एकड़ और 60 एकड़ से ऊपर की क्षमता के तालाबों की देख रेख करता है और उससे नीचे की पंचायत समितियां। इनमें फेमिन रिलीफ के वक्त में काम कराया गया था। पंचायत समितियों के पास में फण्ड नहीं है। वित्तीय स्थिति के कारण पंचायत समितियां नहीं देख पाती हैं। अधूरे पड़े तालाबों का 65% काम पूरा हो चुका है और 35% काम बाकी है। इतनी धन राशि नहीं मिलती है इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं। अलबत्ता यह बात जरूर है कि इन तालाबों को पंचायत समितियों के माध्यम से, चाहे डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो फेमिन के काम चल रहे हैं, उनमें प्रायोरिटी में लेकर पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री चतरभुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, क्या मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करते हैं कि उनको या तो इरीगेशन विभाग में ले लिया जायेगा या पंचायत समितियों को दे दिया जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 50 एकड़ से ज्यादा की सिंचाई की क्षमता वाले जो हैं, उनकी देख-रेख सिंचाई विभाग करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं, भरतपुर जिले में बहुत से ऐसे तालाब हैं, जो राजा-महाराजाओं के समय से बने हुये हैं और जो 50 एकड़ से ज्यादा की सिंचाई करते हैं। राजा-महाराजाओं के जमाने में उनसे सिंचाई होती थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य यदि ऐसे कोई पर्टीक्यूलर तालाबों की सूची मुझे दें, तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री दीपंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 348 नं. का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मन्त्री महोदय ने सूची भी नहीं दी है। कृपया इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भिक्षा वृत्ति बहुत पनप रही है, इसको रोकने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ? इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न तो तालाबों में ही डूब गया, अगर आप पोस्टपोन कर दें तो···

श्री अध्यक्ष : 5–6 सवाल तो पोस्टपोन नहीं कर सकता फिर भी सदन की अनुमति हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी मर्जी तो सदन के साथ चलती है।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 348 का सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यदि चाहें तो पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सम्मति हो तो मुझे क्या एतराज है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सदन की अनुमति तो आपके साथ चलती है। अगर आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति तो सदन के साथ चलती है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील पचपदरा में बांधों एवं खडीनों का कार्य

323. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत कितने बांधों व खडीनों के काम हाथ में लिये गये ? कृपया बांधों, खडीनों के नाम व गांव के नाम भी बतायें।

(2) इन कार्यों में प्रत्येक पर अनुमानित स्वीकृति और व्यय की गई धनराशि कितनी कितनी थी ?

(3) इनमें से अब तक कौन कौन से बांध खडीन, अभी अधूरे हैं ? अधूरे रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत 6 कार्यों को हाथ में लिया गया जिनका नाम व ग्राम संलग्न सूची में अंकित है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) केवल बेरिया खडीन का पिचिंग का कार्य शेष है जिसको धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा कराया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ग्राम अजीतगढ़ एवं थोई के स्कूलों में स्टॉफ की व्यवस्था

329. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो-तीन साल पूर्व सीकर जिले के ग्राम अजीतगढ़ व थोई में शिक्षा विभाग की ओर से उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय क्रमोन्नत किये गये थे ? यदि हां, तो नियमानुसार शिक्षा विभाग को वहां जो स्टॉफ पूरा देना चाहिये था, वह दे दिया गया था या नहीं ?

(2) नियमानुसार अब तक पूरे स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से बालिकाओं के अध्ययन में काफी दुविधा होती रही है ? ऐसी परिस्थिति में किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जावेगा तथा नियमानुसार स्टाफ कब तक कार्यरत हो जावेगा ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। स्टाफ की नियुक्ति की गयी थी परन्तु नव-आशार्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पुन: दोनों विद्यालयों में नियुक्तियाँ कर दी गयी हैं।

(2) इन विद्यालयों में आवश्यकता से कुछ कम स्टाफ है। थोई में प्रधानाध्यापिका के अतिरिक्त 3 अध्यापिकायें और अजीतगढ़ में 2 अध्यापिकायें कार्यरत हैं। दोनों विद्यालय दुर्गम स्थानों पर स्थित होने के कारण जिन नयी नियुक्त अध्यापिकाओं को नियुक्तियां दी गयी थीं, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पुनः नियुक्तियां कर दी गयी हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विराट नगर तहसील के गांवों में स्वास्थ्य सुविधायें

167. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि मंत्री-मण्डलीय सलाहकार समिति द्वारा यह निर्णय किया गया है कि एक ग्राम में एक ही प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा रखी जावें ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सच है कि अनेकों ग्रामों में एक साथ एक ही ग्राम में एक से अधिक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो राजस्थान प्रान्त में ऐसे गांवों की सूची मय गांव की जनसंख्या के दी जावे, जिसमें एक स्वास्थ्य सुविधा से अधिक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(3) राज्य में ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं जहां पर कि स्वास्थ्य उप केन्द्र–परिवार नियोजन केन्द्र, मेडिकल डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि एक से अधिक केन्द्र वर्तमान में चालू हैं ?

(4) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा एक से अधिक सुविधा केन्द्र होने के कारण तहसील विराटनगर के कस्बा मेड़ एवं आंतेला से औषधालयों को जनता की मांग के विरुद्ध अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया था ? यदि हां, तो फिर अन्य ग्रामों के क्यों नहीं स्थानान्तरण किए गए ?

(5) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के अनेकों ग्रामों में परिवार नियोजन केन्द्र के भवन सरकार द्वारा बनाए गए हैं ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में और इन केन्द्रों में कब से कौन कौन कर्मचारी (स्टाफ) कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सच है कि पंचायत मुख्यावास रामपुरा, देवन, कांट, छारसा बागावास, चौरासी, जगतपुरा, महार खुर्द, नवलपुरा, बिदारा, नाथावाला, जोधूला, सोढ़ाना तहसील विराटनगर में किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र नहीं हैं ? यदि हां, तो इन स्थानों पर सरकार कब तक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

(स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) विधान सभा परामर्शदात्री समिति द्वारा यह सर्वे किया गया था कि उन सभी स्थानों की जानकारी प्राप्त करली जाय, जहां एक से अधिक स्वास्थ्य संस्थाएं कार्यरत हैं।

सूचना आने पर संबंधित विधायक से परामर्श कर एक के अलावा केन्द्रों को उनके क्षेत्रों में ही अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दी जाए।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) भाग दो की सूची में अंकित है।

(4) ये मामले परामर्शदात्री समिति के निर्णय से पूर्व के हैं।

(5) तहसील विराटनगर में परि. नियो. केन्द्र भवन केवल ग्राम मेड़ में बनाया गया है। वहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम एवं कार्यकाल का विवरण निम्न-लिखित है :—

पद	नाम	तिथि
1. सी.ए.एस.	डा. ए. के. शर्मा	11-1-75
2. बी.ई.ई.	श्री पी. सी. जैन	1-7-74
3. एल.एच.बी.	श्रीमती कन्जम्मा ई.एन.	21-1-72
4. संगणक	श्री बी.एल. शर्मा	4-12-69
5. ए.एन.एम.	रिक्त	—
6. यू.डी.सी.	श्री नाथू लाल	11-10-71
7. प्रसाविका	श्रीमती विमलेश चांद के स्थानान्तरण के कारण दिनांक 3-12-74 से रिक्त है।	

(6) प्रत्येक पंचायत मुख्यावास पर सुविधा केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य में करीब 7,361 पंचायत मुख्यावास है। प्रत्येक पर सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील अनूपगढ़ में हरिजनों को ऊंट एवं बैलों के लिए अनुदान

168. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह-नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ तहसील उपनिवेशन क्षेत्र राजस्थान नहर में जो भूमि (कृषि हेतु) स्थाई आवंटन की गई है उसमें हरिजनों को ऊंट-बैलों व औजारों के लिये अनुदान 1000-1200 प्रति व्यक्ति के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ?

(2) क्या यह अनुदान सरकार वापिस लेगी ? अगर वापिस लेगी तो, किस अवधि तक ?

(3) क्या यह सही है कि ऊंट, बैलों के लिए रुपये दिये गये हैं ? क्या यह कर्ज के रूप में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान के रूप में किस-

(श्री बेगाराम चौहान)
किस व्यक्ति को कितने कितने रुपये दिये गये ? नाम और वल्दियत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नहरी क्षेत्र में पुनः स्थापित होने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को कृषि पशु तथा कृषि औजार के लिए क्रमशः 1000 रुपये व 250 रुपये की सहायता दी जाती है। इस वर्ष 171 व्यक्तियों को कृषि पशु हेतु तथा 75 व्यक्तियों को कृषि औजार हेतु उपरोक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

(2) यह रकम अनुदान के रूप में दी जाती है। अतः वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। यह सही है कि कृषि पशु के लिए अनुदान दिया गया है। यह अनुदान के रूप में है न कि ऋण के रूप में, क्योंकि योजना अनुदान देने की ही है।

(4) इस वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान की राशि में जिन जिन व्यक्तियों को जितना जितना अनुदान दिया गया है, उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्रमिक संघों द्वारा ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स पर खर्च

169. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिसम्बर, 1967 से दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्षों की अवधि में निम्नलिखित श्रमिक संघों ने प्रत्येक वर्ष में ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी में अलग अलग कितना कितना खर्च किया :—

(1) जिंक स्मेलटर मजदूर संघ, उदयपुर।

(2) राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर।

(3) उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर।

(4) सीमेन्ट माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर।

(5) सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौडगढ़।

(6) मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा।

(7) पेस्टि साईड मजदूर संघ, उदयपुर।

उपरोक्त श्रमिक संघों द्वारा प्रतिवर्ष किया गया खर्च का अंक तथा डिस्प्यूट्स की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

दिसम्बर, 1967 से दिसम्बर 1974 को समाप्त होने वाले वर्षों की अवधि में सम्बन्धित श्रमिक संघों द्वारा प्रत्येक वर्ष में ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी पर किये गये खर्च की सूचना संयोजक, श्रमिक

(श्रम मंत्री)
संघ को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के आधार पर संलग्न परिशिष्ट में हैं।

श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में डिस्प्यूटस की विस्तृत सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः डिस्प्यूटस की सूची सदन के पटल पर रखने में असमर्थता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

170. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले में सन् 1972-73 में फोडर रखने हेतु विविध स्थानों पर कई बाड़े (कांटों की बाड़) छपवाये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां, और किस किस से कितने कितने में? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उन बाड़ों की मजदूरी कई लोगों को नहीं दी गई है? यदि हां, तो बकाया लोगों के नामों की सूची, मय पते व राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सूरपुरा एवं नोखा में भी ऐसे बाड़े छपवाये गये थे? यदि हां, तो क्या छपाने की मजदूरी चुका दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या बीकानेर जिले के सन् 1972-73 के अकाल राहत में कार्य करने वाले मजदूरों की कोई मजदूरी अब भी बकाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका चुकारा करने का कोई इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि सन् 72-73 के अकाल में काम करने वाले कई मेट, सुपरवाइजर एवं ठेकेदारों के द्वारा किये गये कुछ कामों की आज भी कोई धनराशि बकाया है? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) जी हां, केवल 2 व्यक्तियों को बाड़ों की मजदूरी नहीं दी गई। उनके नाम (1) प्रभुराम पुत्र श्री आसाराम जाट सा. सूरपुरा एवं (2) श्री हेतराम पुत्र श्री घूडाराम सा. रोढा तहसील, नोखा को 292) रुपये 50 पैसे का भुगतान करना है।

(3) जी हां, केवल दो व्यक्तियों की मजदूरी बाकी है जिसके लिए तहसीलदार नोखा को कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(4) जी हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कुछ शेष मजदूरी चुकाये जाने के मस्टर रोल प्राप्त हुए थे जिन्हें तहसीलदारों के पास चुकारे हेतु भेज दिया गया है और चुकारा किये जाने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी हां, सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 28

(28)

दौसा एवं जमवा रामगढ़ तहसीलों में अकाल-ग्रस्त घोषित गांव

171. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा व जमवा रामगढ़ तहसीलों के कौन कौन से गांवों में अकाल घोषित किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त गांवों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिए? यदि हां, तो निम्न प्रकार सूचना दें:—

(क) कार्य का नाम,

(ख) गांव का नाम मय तहसील,

(ग) कब से प्रारम्भ किया गया,

(घ) अनुमानित लागत क्या होगी, व

(च) कितने लोगों को कार्य दिया जा सकेगा?

उत्तर

(1) दौसा एवं जमवा रामगढ़ तहसील के जिन जिन ग्रामों में अकाल घोषित किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने जयपुर जिले में 56 राहत कार्य प्रारम्भ कर रखे हैं जिसमें 5 प्लान रोड एवं 51 बाढ़ के कार्य हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अलवर जिले में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामले

172. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिलाधीश, अलवर श्री चन्द्रप्रकाश ने अपने आदेश परिपत्र सं. 4160–238 दिनांक 28-9-1972 द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु जारी कराके समस्त अलवर जिले की सूची मय नक्शों के सार्वजनिक निर्माण विभाग से तैयार कराई थी? यदि हां, तो सूची सम्पूर्ण विवरण सहित, सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त भूतपूर्व जिलाधीश, अलवर ने प्राप्त सूची के अनुसार अतिक्रमण-कारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की और किस किस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की? सम्पूर्ण सूची वर्गवार सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उक्त जिलाधीश ने परिपत्र के अन्तर्गत किन्हीं व्यक्तियों के मकान या डण्डे तुड़वाये और किन्हीं के केसेज रेग्युलराइज किये? यदि हां, तो वर्गवार विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बीकानेर जिले में सड़कों का निर्माण

173. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में 1 अप्रेल, 1972 से 31 दिसम्बर, 74 तक किस किस सड़क का निर्माण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र की सड़कों पर मिट्टी डालने के कार्यों में भयंकर भ्रष्टाचार उपरोक्त अवधि में किया गया है ?

(3) क्या लूणकरणसर– सरदार शहर सड़क चूरू जिले की सीमा तक तारकोल कर पक्की बनाई जा चुकी है ? यदि नहीं तो कितनी कमी है और वह कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 1 अप्रेल 1972 से 31 दिसम्बर, 74 तक जिन-जिन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) बीकानेर जिले में लूणकरणसर. सरदारशहर, सड़क लूणकरणसर से कालू तक पक्की डामर रोड़ बन चुकी है। शेष 18 किलोमीटर डामर रोड़ की स्वीकृति सहायता विभाग ने 27–2–75 को दी है।

उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्य पूरा किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

चौमू तथा जयपुर विद्युत खण्डों में कृषकों द्वारा कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी की जमा राशि

174. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि एडवान्स डिपोजिट स्कीम के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव इंजीनियर क्षेत्र, चौमू तथा जयपुर के अधीनस्थ विद्युत खण्डों में अनेकों कृषकों द्वारा दरख्वास्तें जमा कराई गई थीं ? यदि हां, तो उनके नाम, पते एवं सिक्योरिटी जमा की जाने की तिथि तथा कनेक्शन दिए जाने की तिथि एवं सिक्योरिटी नहीं जमा की गई, तो उनके कारणों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सच है कि सिक्योरिटी जमा किए जाने एवं कनेक्शन दिये जाने में प्राथमिकता का ध्यान नहीं रखा गया ? यदि नहीं, तो एडवान्स डिपोजिट स्कीम के कनेक्शनों की दरख्वास्तें ग्राम राडावास, शाहपुरा, देवन, बिशनपुरा, धूलकोट आदि की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सब प्रार्थियों के नाम पते एवं सिक्योरिटी जमा किये जाने की तिथि, कनेक्शन दिये जाने की तिथि एवं सिक्योरिटी जमा नहीं कराने के कारणों के बारे में सम्पूर्ण सूचना एकत्र करने में समय चाहिए। तथापि प्रश्न 2 में दिये गए 5 गांवों के बारे में पूरी सूचना देते हुए सूची 'अ' संलग्न है।

(विद्युत् मंत्री)

(2) जी नहीं, कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर ही दिये गये हैं। चाहे गये ग्रामों के बारे में वांछित सूचना देते हुए सूची 'ब' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में डामर एवं ग्रेवल सड़कें

175. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में कुल कितनी किलो मीटर डामर एवं ग्रेवल सड़कें थीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस समय तक कितनी किलो मीटर डामर एवं ग्रेवल सड़कें विभिन्न जिलों में निर्माण की जा चुकी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री गंगानगर में सिंचाई की दरें

176. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी सिंचित भूमि है? जिलेवार, फसलवार व किस्मवार (नहर, बांध, ट्यूबवैल व कुए आदि से सिंचित) व श्रीगंगानगर जिले में तहसीलवार दर्शाते हुए पिछले पांच सालों का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्रत्येक जिले से व श्रीगंगानगर जिले की प्रत्येक तहसील से फसलवार व किस्मवार क्या क्या सिंचाई दर पिछले पांच सालों में वसूल हुई और इस वर्ष 1974-75 में बढ़ी हुई सिंचाई दर व सिंचित भूमि की मालगुजारी पर बढ़ा हुआ सरचार्ज कितना कायम किया गया और रबी में क्या बढ़ी हुई दरें व सरचार्ज कायम होने की संभावना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में मार्च 74 के आंकड़ों के अनुसार 26.40 लाख हैक्टर भूमि सिंचित हुई है। विविध स्रोतों से सिंचित भूमि की तालिका परिशिष्ट (1) पर संलग्न है। सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित भूमि का जिलेवार ब्योरा परिशिष्ट (2) पर तथा गंगानगर जिले का तहसीलवार ब्योरा परिशिष्ट (3) पर है।

(2) सिंचाई की दरों की प्रतियां परिशिष्ट 4 पर हैं। भूमि मालगुजारी पर बढ़ा हुआ सरचार्ज सिंचाई विभाग द्वारा कायम नहीं किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण रा. वि. सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में श्रमिक एवं निर्माण सहकारी समितियों का विस्तार

177. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में श्रमिक एवं निर्माण सहकारी समितियों का विस्तार, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य क्या है ? दूसरे राज्यों

(श्री नत्थासिंह)
विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात आदि से अभियान के पिछड़ने का क्या कारण है, तथा राज्य सरकार अभियान के विकास के लिये क्या कर रही है ?

(2) क्या राज्य में श्रमिक एवं निर्माण सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था पंजीकृत है ? यदि हां, तो संस्था के गठन का औचित्य उद्देश्य, योजना, प्रगति, वर्तमान प्रबन्ध तथा सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक भागीदारी स्पष्ट की जावे। क्या सरकार शीर्ष संस्था के प्रति समानता सहयोग व सहानुभूति का व्यवहार तथा दूसरे राज्यों की श्रमिक शीर्ष संस्थाओं को प्राप्त सरकारी मान्यता के अनुरूप मान्यता प्रदान कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) श्रमिक सहकारी समितियों के लिये राज्य के बजट तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है तथा सरकार उपरोक्त प्रावधान कराने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ? वित्तीय प्रावधान के सम्बन्ध में भारत सरकार के निवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

(4) भारत सरकार द्वारा हाल ही में श्रमिक सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की 10 वीं बैठक की सिफारिशों सहित अब तक प्रेषित समस्त सिफारिशें व मार्ग दर्शन सिद्धांत क्या हैं तथा उनका क्रियान्वयन किस सीमा तक हुआ है ? अक्रियान्वित सिफारिशों का क्रियान्वयन कब तक संभव है तथा नहीं माने जाने वाली सिफारिशों के नहीं मानने के क्या कारण हैं ?

(5) श्रमिक सहकारी समितियों को राज्य में क्या क्या सुविधायें व सहयोग प्राप्त हैं तथा कार्य उपलब्ध कराने वाले अभिकरण, उनका पालन किस सीमा तक कर रहे हैं ? सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रभावी राज्यादेशों का पालन कार्य उपलब्ध कराने वाले अभिकरणों के लिये अनिवार्य है अथवा ऐच्छिक ? क्या समितियों की घोषित सुविधायें प्राप्त करने तथा सुविधाओं के अनुरूप कार्य उपलब्ध नहीं कराने के कारण संभावित हानि की पूर्ति के लिये कानूनन संरक्षण भी प्राप्त है ?

(6) क्या राज्य सरकार श्रमिक सहकारी समितियों के विकास के लिये राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम, 1965 की धारा 46 के अन्तर्गत अपना दायित्व निभाने में सफल रही है ? यदि हां, तो सरकार सोदाहरण स्थिति स्पष्ट करे।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

23 बी. बी. (पदमपुर) में ईंटों के भट्टे

178. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में कितनी ऐसी आबादियां हैं जिनमें पक्की ईंटें पकाने के भट्टे मंजूर किये हैं और उन भट्टों को मंजूर किये जाने का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सच है कि गांव अलूका (5,6 आर. बी.) 23 बी. बी. (बेरा व डेलवा) की आबादी में उस गांव के लोगों

Page No 32

(32)

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

की मरजी के बिना भट्टे चल रहे हैं और गांव के बाहर निकलने के रास्ते रुक गये हैं?

(3) क्या यह सच है कि 23 बी.बी8 के सरपंच ने 23 बी.बी. में और डेलवा के सरपंच ने डेलवा में अपने हिस्सेदारी में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भट्टे मंजूर कर रखे हैं ?

(4) क्या यह सच है कि 23 बी. बी. (बेरा) के नागरिकों ने बार-बार 23 बी. बी. के भट्टे के सम्बन्ध में अधिकारियों के पास विरोध करने पर भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई ? क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में उन भट्टों को बन्द करने के बारे में कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति सांचोर में प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षक

179. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में कई प्राथमिक पाठशालाओं में कई महीनों से शिक्षक नहीं हैं ? अगर हां, तो किसमी प्राथमिक पाठशालाओं में कितने शिक्षक कब से नहीं लगाये गये हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) शिक्षकों की पूर्ति कब तक करदी जायगी ? शिक्षकों के अभाव में ऐसी पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

180. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) विभिन्न जिलों के सरपंचों के विरुद्ध 17/4 की कार्यवाही सम्बन्धी कितने मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(2) इन मामलों में ऐसे कितने मामले हैं जो दो साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

(3) क्या भविष्य में उक्त मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार कोई निर्णय लेने के बारे में विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) 26 जिलों के सरपंचों के विरुद्ध 709 मामले राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही में चल रहे हैं।

(2) 353 मामले हैं।

(3) यथा संभव मामले शीघ्र निपटाये जा रहे हैं। जिन मामलों में सम्बन्धित अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी तथा उप-खण्ड अधिकारियों को जांच के आदेश दिये गये हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। उन्हें समय समय पर स्मरण-पत्र भी दिये जाते हैं। राज्य सरकार के

(पंचायत मंत्री)

समक्ष सुनवाई में जो मामले चल रहे हैं उसमें सुनवाई का दिनांक निश्चित् किया हुआ है। सरपंचों को सुनने के पश्चात् निर्णय लिया जायगा।

अध्यापिका का स्थानान्तरण

181. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विद्यालय वरिष्ठ उप निरीक्षक, ब्यावर द्वारा कुमारी शैला भटनागर को प्रथम नियुक्ति किस क्रमांक व दिनांक से दी गई ?

(2) कुमारी शैला भटनागर की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् आज तक कितनी बार कहां-कहां, किन किन आदेशों व स्थितियों में स्थानान्तरण किया गया ? आदेश संख्या व दिनांक एवं स्थान जहां स्थानान्तरण किये गये, बताये जाने की कृपा करें।

(3) शैला भटनागर का स्थानान्तरण इतनी बार क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) आदेश क्रमांक व. उ. वि. नि./ब्या./संख्या 2(5)नियु./72/20801–811 दिनांक 28–11–72.

(2) कुमारी शैला भटनागर की नियुक्ति पश्चात् जहां जहां रखा गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) कुमारी शैला भटनागर का स्थानान्तरण नहीं किया गया अपितु स्थानीय समायोजन किया गया है जिसका कारण प्रश्न के खण्ड दो में संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

182. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां किन किन श्रेणी के शिक्षकों की जिलेवार हैं ? एवं किन किन श्रेणियों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां पूरे राज्य की हैं ?

(2) सेकेण्डरी स्कूलों, हायर सेकेण्डरी स्कूलों, शिक्षा निरीक्षकों की क्या वरिष्ठता सूचियां बन चुकी हैं ? यदि हां, तो इन सूचियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) शिक्षा विभाग में शिक्षा निरीक्षकों से ऊपर के दर्जे के कितने अधिकारी हैं ? उनकी सूची वरिष्ठता के आधार पर बना कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अध्यापिका को ग्रीष्म अवकाश के वेतन का भुगतान

183. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती प्रेमकान्ता शर्मा, सहायक अध्यापिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवी जी गली, अलवर ने सन् 1960–61 में उच्च प्राथमिक विद्यालय आबू पर्वत में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती शर्मा को 1960–61 का ग्रीष्म अवकाश का वेतन देय है जो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है ?

(श्री गोकुलचन्द)

यदि हां, तो क्यों, तथा इसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इनकी नियुक्ति तिथि 3-1-61 है। इनकी सेवायें 13-5-61 को समाप्त करदी गयीं।

(2) चूंकि इनकी नियुक्ति 3-1-61 को हुई थी अतः इस सत्र के लिए ग्रीष्मावकाश का वेतन नियमानुसार देय नहीं है। राजस्थान सरकार का निर्णय, जो राजस्थान सेवा नियम 97 के नीचे दिया हुआ है, के अनुसार ग्रीष्मावकाश का वेतन उसी अध्यापक को देय होता है जिनकी प्रथम नियुक्ति 31 अगस्त से पूर्व स्पष्ट रिक्त पद पर की गई हो। 31 अगस्त के पश्चात् नियुक्त अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश का वेतन देय नहीं है।

राजकीय प्राथमिक कन्याशाला की प्रधानाध्यापिका

184. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती उर्मिला शर्मा, राजकीय प्राथमिक कन्या शाला, फुलेरा में सहायक अध्यापिका का कार्य कर रही हैं और वे इन्टरमिजियेट पास हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शाला में श्रीमती दुर्गावती प्रधानाध्यापिका का कार्य कर रही है, और शिक्षा में विद्या विनोदिनी पास हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती दुर्गावती जो प्रधानाध्यापिका का कार्य कर रही हैं वे श्रीमती उर्मिला शर्मा से काफी जूनियर हैं ? यदि हां, तो श्रीमती उर्मिला शर्मा को प्रधानाध्यापिका का कार्य क्यों नहीं सौंपा गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्रीमती दुर्गावती जो एडवान्स अंग्रेजी सहित विद्या विनोदिनी, बी.एस.टी.सी पास हैं, तृतीय वेतन शृंखला पाने तथा प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक शाला के पद पर कार्य करने हेतु पूर्णतया योग्य हैं। प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापिका पद पर कार्य करने हेतु उच्च शैक्षणिक योग्यता मानदण्ड नहीं है। इनका ट्रेण्ड होना भी आवश्यक है। जब तक ट्रेण्ड व्यक्ति उपलब्ध है, प्रधानाध्यापिका का कार्य वही करेंगी।

नागौर जिले की औद्योगिक विकास योजनाएं

185. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने नागौर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर रखा है ? अगर हां, तो इस जिले के औद्योगिक विकास के लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस जिले के शहर लाडनूं में असिस्टेट इन्डस्ट्रियल स्टेट कायम करने का जिम्मा राजस्थान मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को दिया गया था ? अगर हां, तो इस कार्पोरेशन ने क्या योजना

Page No 35

(35)

(श्री दीपंकर)
बनाकर सरकार को पेश की है ? अगर योजना बनायी गयी है, तो उसमें किस प्रकार के कितने यूनिटों को लगाने का प्रावधान है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले में इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है ? अगर हां, तो उसकी ओर से आज तक कितने और किस प्रकार के औद्योगिक केन्द्रों को क्या-क्या सुविधाएं दिलवायी हैं ? व्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । नागौर जिले को ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना तथा पिछड़े जिलों के लिये 15 प्रतिशत अनुदान योजना में सम्मिलित किया गया है । इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । परियोजना प्रारम्भ होने से मार्च, 74 तक दी गई सुविधाओं की सूची परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

थाना बापचा में दर्ज मामला

186. श्री **जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) थाना बापचा, तहसील-छबड़ा जिला-कोटा में श्री हरलाल टाट्टू निवासी राहरोल तहसील छबड़ा के विरुद्ध सन् 73 व 74 में कितनी रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? ये किस-किस जुर्म की थीं व किन-किन व्यक्तियों ने दर्ज कराई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त व्यक्ति के विरुद्ध किस-किस केस में क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री हरलाल निवासी राहरोल तहसील छबड़ा के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बापचा पर सन् 1973 में 1 रिपोर्ट व सन् 1974 में 3 रिपोर्ट दर्ज कराई गईं । विवरण निम्न प्रकार है:--

सन् 1973

1. दिनांक 6-2-73 धारा 504 ता. हि. द्वारा श्री माधोलाल गूजर नि. राहरोल ।

सन् 1974

1. मुकद्मा नं. 5/74 धारा 457/380 ता.हि. द्वारा श्री गोपा चमार नि. राहरोल ।

2. दिनांक 6-9-74 धारा 426 ता.हि. द्वारा श्रीमती गजरी पत्नी चेतन चमार नि. राहरोल ।

3. दिनांक 2-6-74 धारा 504 ता. हि. द्वारा श्री गोपी चमार नि. राहरोल ।

(2) उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सन् 1974 में अभियोग संख्या 5 धारा 457/380 ता. हि.

(गृह मंत्री)
में पंजीबद्ध हुआ था जिसमें अन्तिम प्रतिवेदन 'अदम वकुआ' (Unoccured) में दिया गया। इसके अतिरिक्त जो रिपोर्ट पेश हुई जो नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस अपराध की होने से पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पंचवर्षीय योजना में बांसवाडा जिले के औद्योगिकरण हेतु राशि

187. **श्री राजेन्द्र भारतीय** (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

इस पंचवर्षीय योजना में बांसवाड़ा जिले के औद्योगिकरण में सन् 1977 तक कितनी राशि किस-किस सेक्टर से लगाई जायेगी और अब तक किस-किस सेक्टर द्वारा कितनी-कितनी राशि लगाई जा चुकी है ?

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में उद्योग विभाग की केवल ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना कार्य कर रही है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित है। भविष्य में उपलब्ध होने वाली राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इस परियोजना के लिए इस वर्ष रु. 2.77 लाख राशि आवंटित की गई है और दिसम्बर, 1974 के अन्त तक 57,691/–रु. व्यय किये गये हैं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत एक करोड़ के लागत की एक योजना बनाई गई है जिसमें से करीबन 45 लाख रुपया बांसवाड़ा जिले के लिये होगा। मार्च 74 तक खादी ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत बोर्ड की ओर से बांसवाड़ा जिले में कार्यरत संस्था/समितियों को दी गई धनराशि के उद्योगवार विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना में बांसवाड़ा या अन्य जिलों में 1977 तक कितना व्यय किया जायेगा–संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया है। वैसे बांसवाड़ा में 25000 स्पिन्डल्स की करीबन 4 करोड़ के लागत की मिल लगाई जा रही है। जिसमें उत्पादन 2-1/2 वर्ष बाद होने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

मृत कांस्टेबिल की पत्नी को सहायता

188. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर पुलिस रेंज का कांस्टेबिल नं. 1085 श्री हरिचन्द्र दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था ? अगर हां, तो कब एवं किस दुर्घटना में ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मृत कांस्टेबिल की पत्नी को राजस्थान पुलिस कल्याण कोष फण्ड में से 1000 रु. की सहायता प्रदान की गई थी ? अगर हां, तो कब व किसके द्वारा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मृत कांस्टेबिल की पत्नि को अभी तक उक्त सहायता नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों? अब वह सहायता कब तक दे दी जावेगी ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह भी सत्य है कि जोधपुर पुलिस अधीक्षक आरक्षी ने अपने पत्र सं-पी। 12। जे. डी.।आर.-वित्त। 74-75। 2793 दि. 5-10-74 द्वारा उक्त सहायता शीघ्र दिलाने बाबत स्मरण-पत्र पुलिस कल्याण कोष के अवैतनिक कोषाध्यक्ष को भेजा गया था ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? सहायता भुगतान में इतनी देरी लगने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त मृत कांस्टेबिल की धर्मपत्नी को राज्य कोष से और भी कोई अन्य सहायता देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस कल्याण कोष में अभी काफी रकम जमा है ? अगर हां, तो अब तक जमा कुल रकम कितनी है एवं यह रकम किन कामों में किस प्रकार खर्च की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 19-12-73 को ट्रक दुर्घटना में।

(2) जी हां, दिनांक 21-5-74 को पुलिस कल्याण कोष के चेयरमैन एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वीकृत की गई थी एवं दिनांक 27-2-75 को विशेष वाहक के साथ उक्त राशि पुलिस थाना लोहावट (सम्बन्धित थाना) भेज दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दिया जा चुका है।

(4) जी हां, सहायता का भुगतान जैसा कि पहले कहा गया है, किया जा चुका है। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

(5) राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस मामले पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

(6) इस समय राजस्थान पुलिस कल्याण कोष में 10,27,854.93 रुपये की राशि जमा है। यह राशि निम्न कार्यों में व्यय की जाती है:-

1. पुलिस कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ व टेक्नीकल स्टाफ के किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाती है।

2. उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. इस कोष के सदस्यों के बच्चों को पढ़ाई के लिये स्कॉलरशिप दी जाती है।

4. आरक्षी से निरीक्षक पुलिस तक के पदों के सदस्यों को, यदि उनकी मृत्यु-ड्यूटी पर हुई हो और उनके नाम महानिरीक्षक आरक्षी द्वारा लिस्ट ऑफ ऑनर में लिये गये हों, तो उनके परिवार को 1500) रुपये तक की एकमुश्त राशि सहायता के रूप में दी जाती है।

5. आरक्षी से निरीक्षक पुलिस तक के पदों के सदस्यों को ड्यूटी पर घायल होने पर और अस्पताल में भर्ती होने की दशा में 100) रुपये की मदद दी जाती है। यदि दुर्घटना में गम्भीर चोट आई हो जिससे

Page No 38

(38)

(गृहमंत्री)
उसकी मृत्यु अस्पताल में हो जावे तो 1500) रुपये तक की राशि की मदद दी जाती है।

6. राजस्थान पुलिस कल्याण कोष की कमेटी को 1500) रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का अधिकार है।

7. महानिरीक्षक एवं चेयरमैन, राजस्थान पुलिस कल्याण कोष को किसी भी उचित मामले में बिना कमेटी से पूछे 1000) रुपये तक की आर्थिक सहायता देने के अधिकार का प्रावधान है।

राजगढ़ तहसील में चोरियां

189. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) एक-डेढ़ साल के अर्से में राजगढ़ तहसील में कितनी चोरियां और डाके पड़े हैं ?

(2) इन चोरियों व डाके डालने वालों में से अब तक कितनों को पकड़ा गया है ?

(3) सारे जिलों में, एक डेढ़ साल के अन्दर कुल कितनी चोरियां, डकैतियां व हत्यायें हुई हैं ? पुलिस ने कितनी घटनाओं की अब तक जांच की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों 1973 तथा 1974 में तहसील राजगढ़ में एक डकैती तथा 86 चोरी के मुकद्मे दर्ज हुए।

(2) चोरी के 38 मुकद्मों में मुलजिमान पकड़े गए तथा चालान किया गया। 47 मुकद्में अदमवकूआ, अदमपता तथा अदमसबूत रहे। डकैती का मुकद्मा जेर तफतीश है।

(3) राजस्थान के समस्त जिलों में पिछले डेढ़ साल में 28471 चोरी, 236 डकैती, तथा 1092 हत्या के मामले दर्ज किये गये। इनमें सभी में जांच की गई है। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर के मजदूरों को बोनस का भुगतान नहीं करने तथा इस फेक्ट्री के गत 1 मार्च से बन्द हो जाने के विषय में।

2. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से झोटवाड़ा स्थित कमानी इण्डस्ट्रीज के मैनेजमेंट के द्वारा गत 3 मार्च से उक्त उद्योग की एक यूनिट को बन्द कर देने के विषय में।

3. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति के प्रबन्धकों द्वारा छुआछूत आदि करने के कारण बुनकरों द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस दिये जाने के विषय में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य चाहें तो बजट की आम बहस के समय इन पर चर्चा उठा सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 6 जनवरी को सहायक जिलाधीश, गंगानगर द्वारा श्री शंकरलाल चौथराम बिश्नोई के ट्यूब वैल को बन्द करवा देने के विषय में। यह प्रश्न किसी लोक-महत्व से सम्बन्धित नहीं है ।

5. श्री रतीराम यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग, अलवर में भ्रष्टाचार, गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतों के विषय में । यह एक प्रश्न का विषय है और इस पर भी बजट पर आम बहस के समय चर्चा उठाई जा सकती है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दिया है वह तो उचित है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले जो बार-बार सदन में, इस सदन के अन्दर लगातार उठाये जा रहे हैं और वह बातें जो हम सदन में कहे जा रहे हैं वह आगे जाकर सत्य हो रही हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उस बात के भी नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं जो हम सदन में रख रहे हैं। न तो सरकार ही इस तरफ कोई ध्यान दे रही है और न मुझको इजाजत ही मिल रही है कि इस चीज को ठीक से पेश कर सकूं । सवाई-माधोपुर फैक्ट्री के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही स्थगन प्रस्ताव इस सदन में आया था । वहां के मालिक कारखाने को खु र्द-बु कर रहे हैं, काम बन्द पड़ा हुआ है, मजदूरों का पैसा (पी. एफ. का) काट लिया है, परन्तु सरकार में जमा नहीं करवाया गया है, और कई गलत काम करते जा रहे हैं, परन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई सालों से मजदूरों को जो बोनस मिल जाना चाहिए था, वह उनको नहीं दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि कारखाने के मालिक कारखाने को बर्बाद कर रहे हैं। यह कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है जो हमारे राजस्थान में लगाया गया है। उसका प्रोडक्शन नष्ट हो रहा है, उसकी पैदावार को खत्म करने जा रहे हैं। इस फैक्ट्री में राज्य सरकार के लाखों रुपये लगे हुए हैं, फैक्ट्री इसको बर्बाद कर रही है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह कानून की स्पष्ट अवहेलना कर रही है, उसको सजा मिलनी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार का उद्योग विभाग इस ओर ध्यान देगा कि जहां इस फैक्ट्री में लाखों रुपया सरकार का लगा हुआ है और सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कारखाने को सरकार क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेती ? मैं आपके माध्यम से, आपने जो आदेश दिया वह तो शिरोधार्य है, परन्तु राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कि इससे पहले भी यह प्रश्न सदन में आया था और इसके लिए आवाज उठाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । अभी चार दिन ही घटना को हुए हैं अधिक से अधिक, और वह कारखाना बन्द पड़ा है। इधर किसान चिल्ला रहा है उसके पास सीमेंट नहीं, पैदा-

(श्री केसरीमल)

बार नष्ट हो रही है, और सरकार को इस बात की कुछ भी परवाह नहीं है कि इतना बड़ा कारखाना बन्द हो रहा है। पहले भी यह मामला सदन में लाया गया है, आज यह मसला दूसरी प्रकार से सदन में आया है। आप यह देखेंगे कि कारखानेदार सभी जगह मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, गड़बड़िया कर रहे हैं, गफ्फार साहब ने भी कहा था कि कमानी इन्डस्ट्रीज में मालिक लोग मजदूरों में झगड़े करवा रहे हैं, गुण्डागर्दी करवा रहे हैं, बार बार यही प्रस्ताव आ रहा है. कारखानों में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, कारखाने बन्द हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसके बाद भी राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है तो इसका क्या उपाय हो सकता है, यह आप ही बतलाने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगा कि आप उद्योग मंत्रीजी को और श्रम मंत्रीजी को कहें कि वे सदन में इस बारे में स्टेटमेंट देवें और कारखानों को चालू करने की बात करें ताकि मजदूरों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न एक किसान का ट्यूब वेल बन्द कर देने के सम्बन्ध में है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्यूब वेल बन्द करवाया जा रहा है जिसको बन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखेंगे कि जिला गंगानगर के सहायक जिलाधीश ने अपने आदेश द्वारा तारीख 6–2–75 को आदेश दिया कि श्री शंकरलाल चौथराम विश्नोई के ट्यूब वेल को बन्द कर दिया जावे। यह आदेश तहसीलदार को दिया गया। तहसीलदार वहां पर बन्द करने के लिए पहुंचा। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यदि उसका ट्यूब वेल बन्द कर दिया गया तो फसल बर्बाद हो जावेगी। आपके आदेश से बन्द कर दिया गया तो मुझे आदेश दिखाईये। इसकी शिकायत कलक्टर गंगानगर के पास पहुंची। 12 फरवरी को उन्होंने लिखा कि उनको ट्यूब वेल बन्द करने का अधिकार नहीं है और यह भी लिखा कि आपके खिलाफ जांच की जायगी। मगर इसके बाद भी किसान का ट्यूब वेल अभी बन्द पड़ा हुआ है और उसका कारण है, उसका बड़ा कारण है मैं इसमें तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि आज देश में अनाज की जरूरत है और उधर उस किसान की फसल सड़ रही है और उसको ट्यूब वेल चलाने की आज्ञा नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कलेक्टर, गंगानगर ने लिखा है कि आपने ट्यूब वेल क्यों बन्द किया, कैसे किया, आपको बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार मदाखिलत करें और उस किसान के ट्यूब वेल को चालू कराये, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी फसल बर्बाद हो जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय खादी उद्योग समिति, दौसा में जो ऊन विभाग है उसके बुनकरों को प्रबन्धकों द्वारा छुआछूत के कारण निकाल दिये जाने और बुनकरों द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस दिये जाने के विषय में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, बुनकरों को मनमाने तरीके से निकाल दिया

Page No 41

(५१)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जाता है और किसी दिन यदि काम पर बुलाते हैं तो मजदूरी पूरी नहीं देते हैं। इसके अलावा रोजगार देने का मामला है, यह मांग है कि अनावश्यक रूप से जिन्हें हटाया है, उनकी क्षति-पूर्ति करनी चाहिये। वहां पर पानी पीने के लिए प्याऊ के स्थान पर टंकी बना रखी है। उस टंकी को इसलिए बन्द करवाया कि वहां बुनकर थे छाजूलाल, घासीलाल, कन्हैयालाल, मोतीलाल उन्होंने उसमें से पानी खुद लेकर पी लिया। अछूत होने की वजह से, उनके प्रति घृणा होने की वजह से उस पानी की टंकी को बन्द करवा दिया और उसके बाद टंकी को उठा कर वहां से हटवा दिया। इस घृणा की वजह से पांच बुनकरों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनको हटाया गया है। लगातार उन्होंने प्रयास किया तो उसका नतीजा यह हुआ कि हमेशा के लिए कह दिया गया, आपको काम करना है, तो हमारी मर्जी पर और हमारी शर्तों पर काम कीजिये। छुआ-छूत के मामले में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती है, पानी की टंकी के हाथ नहीं लगा सकते हैं। इस चीज से परेशान होकर उन्होंने प्रयास किया और प्रयास सफल न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने का नोटिस दिया। यह पांच व्यक्ति छः मार्च कल से क्षेत्रीय खादी उद्योग समिति के द्वार पर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करेंगे। जब वह मरने की हालत में होंगे तब यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न हो जायगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय वक्तव्य दें ताकि वह भूख हड़ताल पर नहीं बैठें और इस कारण परेशानी नहीं हो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ रोज पहले एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन में रखा था। उस वक्त मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि यह जो कमानी इन्डस्ट्रीज वाले हैं और दूसरी इन्डस्ट्रीज वाले हैं, वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को मजदूरों से लड़ाकर उनका शोषण ज्यादा से ज्यादा किया जाय—इस सिलसिले में पुलिस ने जो कोताही दिखाई और पुलिस ने अपनी निष्क्रियता दिखलायी-उस कारण से बहुत से मजदूर जख्मी हुए। उसके बाद एक दिन के बाद में सीटू के साथी हैं, उन साथियों ने इन्टक के लोगों पर हमला किया। तीन तारीख को उन साथियों ने वहां पर कमानी इन्डस्ट्रीज के मैनेजमेंट से सांठ-गांठ करके दो यूनिट बन्द करा दीं, जिसके फलस्वरूप ढाई सौ आदमी बेकार हो गये। यह नीति चल रही है, यह खतरनाक नीति है। इसका न मार्क्स से ताल्लुक है, न लेनिन से ताल्लुक है। यहां मार्क्सिस्ट भाई बैठे हैं, उनको नागवार बात न लगे तो कहूंगा कि आप और हम मिलकर, मजदूरों को मजदूरों से लड़ा कर शोषण करने की नीति है एम्पलायर की, इनके खिलाफ संघर्ष करें। एक तरफ लाखों रुपया राज्य सरकार से प्राप्त करते हैं, दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण करने के लिये मजदूरों को आपस में लड़ाते हैं, एक यूनियन के लोगों को दूसरी यूनियन के लोगों से लड़ाते हैं। यह सिलसिला चल रहा है, यह लम्बा चल रहा है। उस वक्त मैंने राज्य सरकार के गृह विभाग का ध्यान आकर्षित किया था कि आप महरबानी करके इस इश्यू को टैकल कीजिए। पुलिस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एम्पलायर से मिलकर काफी बड़े पैमाने पर पैसा वसूल करके ऐसी नीति अपनाती है जिससे मजदूरों का शोषण होता है और मजदूरों का नुकसान होता है। ढाई सौ, दो सौ मजदूर इस लाक आउट में बेकार हो गये हैं, और उनकी परेशानी बढ़ गई है। इस कारण झोटवाड़ा एरिया में आतंक है, और लेबर अनरेस्ट, मजदूरों में बेचैनी फैल रही है, उसके फलस्वरूप खतरनाक नतीजा निकल सकता है। मैं श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय से कहूंगा कि इस सिलसिले में क्या नीति रखते हैं। एक तरफ लाखों रुपये एम्पलायर को देते हैं, सहूलियत देते हैं, और बिजली सस्ती देते हैं और दूसरी तरफ आपका जो वेलफेयर स्टेट है, उसमें यह स्थिति हो गई है कि मजदूरों को मजदूरों से लड़ा कर जितना शोषण किया जा सके, वह किया जाय। मैं श्रम विभाग के मंत्री जी से कहूंगा इस सिलसिले में ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, क्या नीति है, आपकी पालिसी क्या है, राज्य सरकार का इन मजदूरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यह सदन में आ जाना चाहिये ताकि पता चल जाय कि राज्य सरकार आज पूंजीवादी रास्ते पर चल कर क्या तबाही की ओर जा रही है या समाजवाद की ओर जाना चाहती है?

मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ निष्क्रियता दिखलाते हैं और जिस तरह वह मजदूरों को मजदूरों से लड़ाते हैं, एक पक्ष का सहारा लेकर दूसरे पक्ष को खत्म करना चाहते हैं। यह जो नीति गृह विभाग की चल रही है, इसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। बार बार मैंने निवेदन किया है कि आप इस मामले में मदाखलत करें। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप अपने गुड आफिसेज को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की क्या नीति है, इस पूरे सिलसिले में उसके ऊपर अगर बयान दिलवायें तो एक सन्तोषजनक स्थिति पैदा हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री रतिराम!

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव अलवर सिंचाई विभाग में हुए भ्रष्टाचार, गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में रखा है। अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों से अलवर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और वहां के स्टोर-कीपर ने मिलकर, वहां के बड़े बड़े ठेकेदारों से मिल कर जो घोटालेबाजी की है, उस सम्बन्ध में अखबारों के अन्दर बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है और वहां की राजनैतिक पार्टियों के द्वारा भी सरकारी उच्च अधिकारियों और राजस्थान के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में केवल बहुत संक्षेप में, मैं केवल दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिला कर अपनी बात पेश करना चाहता हूं। अलवर में सिलीबेरी नाम से बांध बनाया जा रहा है जिसमें 12 लाख खर्च हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बे में नहीं, मुख्तसर में कहें। पूछिये। आप जरूर कहें।

श्री रतिराम यादव : अध्यक्ष महोदय, एक भ्रष्टाचार का भयंकर मामला

(श्री रतिराम यादव)
है। यह मार्च का महीना है, जिसके अन्दर सारे बजट को काम में लाया जाना है। इसलिये यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे निवेदन करूं, दो तीन मिनिट विशेष रूप से कृपा करके आप दे दें।

अध्यक्ष महोदय, सिलीबेरी बांध के लिये अधिशासी अभियन्ता मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि इन्हीं के समय में सत्तर पर्सेन्ट काम इस पर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अभियन्ता की डायरी भरी पड़ी है, उन्होंने कितनी ही बार बांध पर जाकर निरीक्षण किया है, लेकिन निरीक्षण के बाद में उन्होंने यह नोट नहीं लगाया है कि खराब काम हो रहा है। जब जनता और राजनैतिक पार्टियों की तरफ से शिकायत आई, तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जयपुर से वहां गये और उन्होंने निरीक्षण किया उन्होंने काम में निहायत गल्ती पायी, और एस्टीमेट के मुताबिक काम नहीं मिला, और उन्होंने यह रिपोर्ट बनाई। उसके बाद अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और स्टोर कीपर ने मिल कर यह किया कि जो ठेकेदार था, उसका 1 लाख 27 हजार का बिल कैंसिल किया और 27 हजार का पेमेन्ट दिखलाया। यह कहा, इसने काम खराब किया है, जब कि पहले कहीं खराब काम का नोट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसे काम से हटा दिया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसके बाद दूसरा उदाहरण है···

श्री अध्यक्ष श्रीफली !

श्री रतिराम यादव : 400 बोरी सीमेन्ट, जो तस्करी करते हुए पुलिस ने 20 सितम्बर को रात को 3 बजे पकड़ीं, और बाद में बयान लेने पर साबित हो गया, यह सीमेन्ट सिंचाई विभाग के स्टोर से गया है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद स्टोर के अन्दर 27 हजार कट्टे गायब, 14 बड़े ड्रम गायब, एक पम्प गायब—यह केवल मैं वह आपको बता रहा हूं, जो अधिशासी अभियन्ता ने खुद अपनी रिपोर्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को लिखे हैं। उसने एक पत्र नहीं, सात पत्र भेजे हैं कि इतने सामान की शार्टेज है। यह कहें कि यह मामूली बात है, तो इसको अगर पूरी तरह से चैकिंग किया जाय तो इसके अन्दर और भी बड़े घोटाले मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह डिवीजनल स्टोर है, इसके इन्चार्ज हैं—अधिशासी अभियन्ता श्री कानोड़िया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा नम्र निवेदन के साथ कि यह वही कानोड़िया हैं जो तीन साल पहले····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। बहुत लम्बी बात कह दी। यह स्थगन प्रस्ताव है, कोई डिबेट नहीं है।

श्री रतिराम यादव : महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष: नामहत्वपूर्ण है यह नहीं कह रहा हूं। आप कहिये। लेकिन कहीं तो आपको समाप्त करना पड़ेगा।

श्री रतिराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कानोड़िया...

श्री अध्यक्ष : लम्बा बोलना हो तो बजट की डिबेट हो तब कहें। प्रश्न पूछ लें बहुत रेमेडी हैं।

Page No 44

(५५)

श्री रतिराम यादव : कोट कासिम बांध पर लाखों का घोटाला हुआ, कानोडिया उस समय वहां मौजूद थे। इनके खिलाफ आरोप लगाया गया। रुचिराम ठेकेदार था, जिससे पचास हजार रुपये जमा कराये। और तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता थे–श्री गहलोत, उनको सस्पेन्ड किया गया और कानोडिया का ट्रान्सफर किया गया। अभी जब कानोडिया को वापिस अलवर भेजा गया तो मैंने यहां मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, भ्रष्ट अधिकारी है, इसको मेहरबानी करके दुबारा अलवर में न भेजा जाय। मुख्य मंत्री का वापस पत्र मेरे पास पहुंचा कि मैं उचित कार्यवाही कर रहा हूं। उचित कार्यवाही यह हुई कि हमारी छाती पर दुबारा उनको बिठाया गया है, वह केवल इसलिए बिठाया गया कि कोट कासिम बांध पर घोटाले हुए थे जिसकी जांच चल रही है, उसके अन्दर यह अधिकारी पहुंच कर हस्तक्षेप करे। मैं तो मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे पास पैसे का अभाव है, हमारी योजनायें खटाई में पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ ऐसे स्पष्ट उदाहरण सामने आते हैं जहां सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है फिर भी आप इस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर तुरन्त जांच करायें और इन दोनों सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता को सस्पेंड करके इनके खिलाफ निष्पक्ष जांच बिठायें ताकि इस प्रकार से दूसरे अधिकारियों को सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का, गबन करने का, मौका न मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ने चूरू के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था लेकिन वह नियमों के अनुकूल नहीं पड़ता था क्योंकि उस स्थगन प्रस्ताव पर सदन में बहस हो चुकी थी। एक ही सत्र में दूसरा स्थगन प्रस्ताव उसी विषय पर नहीं आ सकता। इसलिए मैंने उसको अस्वीकार किया, उसका फैसला मैंने नहीं सुनाया और अब बता रहा हूं। लेकिन सदन की भावनाओं को देखते हुए और माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने आदेश दिए हैं कि चूरू के मामले में सरकार की तरफ से कल वक्तव्य दिया जाए।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(श्री रघुनाथ विश्नोई, अनुपस्थित)

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

(1) इस सदन के सदस्यों के द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 1975–76 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 1975–76 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

Page No 45

(४५)

(श्री खेतसिंह)

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1975–76 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि मुख्य सचेतक महोदय ने जो तीन प्रस्ताव वित्तीय समितियों के संबंध में रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए।

आय-व्ययक पर विचार

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर विचार।

श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कल मेरा भाषण अपूर्ण रहा।

श्री अध्यक्ष : मैं मालूम करता हूं, अगर आपका भाषण अपूर्ण रहा है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह स्वयं भी अपूर्ण हैं। उनका भाषण भी अपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि शुरू में ही मैंने आपको कुछ कष्ट दिया···

श्री अध्यक्ष : मुझे प्रसन्नता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जैसे वित्त मंत्री ने सोशली और इकानामीकली वीकर सैक्शन्स की बात अपने प्रेस नोट में कही, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30 पर्सेंट वीकर सैक्शन्स के लिए बांसवाड़ा में आपने 14 करोड़ रुपए की स्कीम्स ली हैं, जहां कि 58 पर्सेंट उसके अतिरिक्त राजस्थान में ट्राइबल पीपुल रहते हैं, उनके लिए सामूहिक रूप से, किसी प्रकार का इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। बल्कि किशनगंज जो मध्यप्रदेश मे लगता हुआ थिकली पापूलेटेड एरिया है, जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान इस बजट में नहीं रखा है। इतना ही नहीं, सब प्रकार की सुविधायें, सब प्रकार का डवलपमेंट बांसवाड़ा में हो रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि राजस्थान की राजधानी ही बांसवाड़ा बन गई है। काटन मिल भी वहीं खुलती है, जो भी काम होते हैं···

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : वहां डूंगरपुर एरिया भी है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां विकास नहीं चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : और भी 58 पर्सेंट लोग रहते हैं। चाहे एग्रो इण्डस्ट्रीज हैं या रेल्वे लाइन है, वह बांसवाड़ा में आएगी। बांसवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के केसेज साथ साथ राज्य सरकार को भेजे गए, उसमें बांसवाड़ा से रतलाम की रेल्वे लाइन मन्जूर हो गई और बूंदी को छोड़ दिया गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक वजन का बराबर

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मामूली से मामूली विधायकों के लिए भी वही राजनैतिक प्रेशर इस्तेमाल किया जाए,उनके इलाकों में ऐसी सुविधायें दिलवाई जायं। बूंदी जिले में गत दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर, चम्बल का जो कुछ खर्चा किया गया उसके बाद से मैं समझता हूं, राज्य सरकार हमेशा उन फिगर्स को लेकर ऐसा मानती है कि बूंदी जिला बैकवर्ड नहीं है। किन्तु मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि उस इर्रीगेशन से बूंदी का केवल 13 परसेंट एरिया ही कवर हो पाया है। उसके अतिरिक्त और जितना एरिया है वहां जैसे-राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों के माफिक 8-8, 10-10 मील तक पीने का पानी नहीं है, ट्राइबल लोग रहते हैं। अकाल से बहुत बड़ा एरिया ग्रस्त है किन्तु 24 जिले एक ओर, बाकी एक दो जिलों के गांवों की लिस्ट भेजी गई, उसको आज तक राज्य सरकार ने मन्जूर नहीं किया। अकाल की दृष्टि से कहा जाता है कि अब बूंदी में अकाल हो सकता है, राज्य के 24 जिलों को मंजूर किया जाता है और एक दो जिलों की उपेक्षा की जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान के 24 जिलों में जब अकाल घोषित किया गया है तो जरूर उनमें कोई पालिटिकल नार्म्स रखे गए हैं। अगर एक्यूट एरियाज को ही ध्यान में रखा जाता जो अकाल की एक्यूट मार से परेशान हैं, तो यह नहीं हो सकता कि राजस्थान के 24 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया जाए और दूसरे जिलों को नहीं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि वित्त मन्त्री जी ने जो यह प्लान बनाया है 110 करोड़ रुपये का, उसमें से आधा-करीब 50 करोड़ रुपये आपने फेमीन एफेक्टेड एरिया के लिये रखे हैं। उसकी मैं उपेक्षा नहीं करता। वह रखा जाना चाहिये क्योंकि वहां पर अकाल के कारण लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट और पिछले दो बजट, जब से हम विधान सभा में आये हैं, रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हर बजट में हर समय वित्त मन्त्री जी ने राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की हमेशा से ही उपेक्षा की है जब कि राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र एक ग्रेनरी है–राजस्थान की। वह एक ऐसा इलाका है जहां पर कि जमीन समतल है और जहां कि इर्रीगेशन के साधन बहुत ही अच्छे उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जहां कि हम हमारी पैदावार को आसानी से पैदा कर सकते हैं। किन्तु हमारे प्रदेश में आज ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार अपने बजट का पैसा राजस्थान केनाल में, जहां पर कि मिट्टी के ढेले ही ढेले हैं, समतल करवाने के लिये खर्च कर रही है। इसके अलावा हमने बजट भाषण में यह भी देखा कि राज्य सरकार डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड बना रही है। अध्यक्ष महोदय अगर राज्य सरकार अपने पूर्वी क्षेत्रों की जमीनों को समतल करने के साथ ज्यादा बिजली और ज्यादा खाद अगर दे, तो आपका पूर्वी क्षेत्र कम पैसों में ज्यादा डवलप हो सकता है और उससे आपकी इकानोमी ज्यादा सुधर सकती है। अगर आपकी इससे जब इकानोमी सुधर जाय तो आप सैल्फ सफिसियेन्ट हो जायेंगे तो

Page No 47

(47)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

फिर आप अपने राजस्थान के दूसरे इलाकों को अपने खर्च से ज्यादा डवलप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि उन्हें अपने बजट में प्रायोरिटी राजस्थान के पूर्वी इलाकों को देनी चाहिये। राजस्थान के पूर्वी इलाके को अगर आप प्राथमिकता खाद के लिहाज से, बिजली के लिहाज से और इर्रीगेशन के लिहाज से दें तथा एग्रीकल्चरल इम्पुट्स दें तो राजस्थान की हालत अनाज के मामले में बहुत अच्छी हो सकती है।

(12.00 मध्याह्न)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने बजट में जो 50 करोड़ रुपया रखा है उसमें राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है उसके लिए कोई भी प्लान आपने नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अपने बजट भाषण में डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड बनाने की बात कही गयी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में न केवल पश्चिमी हिस्से में बल्कि पूर्वी हिस्से में भी पीने के पानी की बहुत तकलीफ जनता को है। इसके लिये कोई बोर्ड बनाने की बात इस बजट भाषण में नहीं की गयी है। जैसा कि कल कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान निवेदन किया, पीने के पानी की व्यवस्था करने की राजस्थान में बहुत भारी आवश्यकता है उसके लिये बोर्ड बनाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कई माननीय सदस्यों ने पीने के पानी के लिये बोर्ड बनाने के लिये निवेदन किया उसी तरह मैं भी इस प्रकार के बोर्ड बनाने की वकालत करता हूं। दूसरी बात जो मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह है कोआपरेटिव सैक्टर के बारे में। कोआपरेटिव सैक्टर आज एक तरह से डेड होर्स हो गया है। क्योंकि जितना रुपया आपने इसमें लोगों को लोन के लिये दिया था आज तक आप उसे वसूल कर नहीं पाये और अब वह रुपया आपके लिये वसूल होना मुश्किल हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो रुपया काश्तकार को लोन के रूप में दिया गया है वह रुपया काश्तकार के ऊपर एक प्रकार से बोझा बन गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कोटा, बून्दी और झालावाड़ जिले में अभी गन्ने की फसल में बीमारी लग गयी थी। पहले के वर्ष में इसी तरह गन्ने की फसल में बीमारी लग गयी थी उसके लिये वहां पर इस बीमारी के लिये करीब 12 हजार रुपये की दवाई को छिड़का गया। इस साल भी एग्रोइन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से इस एरिया में करीब एक लाख और कुछ रुपये की दवाइयां छिड़की गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह दवाइयां किसी को भी पूछ कर नहीं छिड़की गयीं, काश्तकार से कोई प्रकार का एग्रीमेन्ट नहीं किया, उससे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और वहां फसल में दवाइयां छिड़क दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी काश्तकार के खेत में आप दवाइयां छिड़कें तो पहले आपको उससे अनुमति तो प्राप्त करनी चाहिये, उससे किसी भी प्रकार का एग्रीमेन्ट तो करना चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार की अनुमति काश्तकार से नहीं ली गयी। आज वहां पर भारी मात्रा में काश्तकार से

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

वसूली की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो दवाई वहां पर छिड़की गयी वह भी अच्छी दवाई नहीं थी लेकिन उसका विरोध करने पर भी राज्य सरकार द्वारा उसकी वसूली किसानों से जबरदस्त की जा रही है। बगैर अनुमति लिये किसी के खेत में दवाइयां डालना और बाद में उस किसान से पैसे वसूल करना कहां का न्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे नरोरा में जो कैम्प लगा था उसमें हमने यह फैसला किया था कि किसानों और मजदूरों की बहबूदी हमें करनी चाहिये। एक तरफ आप किसानों की बहबूदी की बातें करते हैं दूसरी तरफ आप किसानों से इस प्रकार वसूली कर रहे है। एक तरफ हमारे देश की प्रधान मंत्री किसानों और मजदूरों की बहबूदी की बातें करती हैं दूसरी तरफ आप अपना बजट इस प्रकार का बना रहे हैं। आपने किसानो और मजदूरों की बहबूदी के लिये कोई प्रोविजन नहीं रखा। जैसा कि हमारे नरोरा कैम्प के समय एक 13 सूत्री प्रोग्राम तय किया गया था उसमें 7, 8 और 9 सूत्र हैं उनके लिये बजट मे ध्यान नहीं दिया गया है। आपने बजट भाषण में कहा है कि हमने बांसवाड़ा और पहाड़ी इलाकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये भी रकम रखी है। आप कहते हैं कि हमने पांच लाख प्लोटस दिये हैं। यह आपने बहुत अच्छा किया इसके लिये तो मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन उसमें आपने सिर्फ 15 हजार लोगों को ही हाउसिंग फैसीलिटी देने की बात कही है। यह तो आपने दूसरे लोगों के साथ मखौल ही किया है। अगर आपने उनको प्लोट्स दिये है तो आपको उनको हाउसिंग फैसीलिटीज भी देनी चाहिये थी। सिर्फ प्लोट देने से कोई काम उन लोगों का नहीं चलता। आपने तो सिर्फ उनके लिये एक साईट दी उससे क्या काम चलेगा। इसी प्रकार मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा डिविजन के अन्दर आपने राजस्थान केनाल पर तो 139.20 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान रखा लेकिन चम्बल में आपने सिर्फ 73.20 करोड़ रुपये का ही प्रावधान रखा। इसको भी आप 6 साल में खर्च करेंगे। अगर इसका भी सालाना बंटवारा किया जाय तो सालाना बहुत कम रुपये उनके हिस्से मे आयेंगे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह खर्च आपने जो इन एरिया में करना बताया है वह वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। और उसका आपने वित्तीय भार हमारे गरीब काश्तकार पर डाल दिया है। आप किसानों को, जो कि आलरेडी दबा हुआ है कर्ज से, और कर्जदार बनाना चाहते है। आपने जो एग्रीमेन्ट वर्ल्ड बैंक से किया है वह भी ऐसा किया है जिसमें आपने हम लोगों को एक तरह से इन एरिया वालों को वर्ल्ड बैंक के हाथ में सौंप दिया है। आपने ऐसी शर्त मान ली है जैसे कि इरीगेशन की रेट्स एनहेन्स होंगी तो आपने उसे मानली। वर्ल्ड बैंक वालों ने जो शर्त रखी आपने उसी शर्त को मानली है। इसका कारण यह है कि पैसा देने वाला कर्ज लेने वाले से जो चाहे वह शर्त मना सकता है वही बात आपने मान ली। आपकी मजबूरी का फायदा वर्ल्ड बैंक ने उठाया है। जैसे वह कहेंगे वैसा ही आप काम करेंगे। जो आपने नोर्म्स और टाइज रखीं वह सभी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
मजबूर होकर रखी हैं ऐसा मालूम होता है। जहां तक एग्रीमेन्ट का सवाल है आपने हम लोगों को एक तरह से पूंजीवादी देशों के हाथों में बांध दिया है। आपने उनके 30 पर्सेन्ट और 70 पर्सेन्ट के फार्मूले को भी मान लिया। हम इस प्रकार बन्ध गये हैं डवलपमेंट के नाम से कि अगर उन्होंने कहा कि आप डवलपमेन्ट कोर्पोरेशन बनाओ तो आपने उसकी भी हां कर ली। इस प्रकार उनके कहने से डवलपमेन्ट का क्रियेशन हमारे लिये एक शर्म की बात है। आपने उनको हमारे इन्टरनल कामों में भी दखल करने का अधिकार दे दिया है। आपने उनके सामने झुककर जो शर्त उन्होंने रखी वह मान ली चाहे वह डवलपमेन्ट कारपोरेशन क्रियेट करने की हो चाहे इर्रीगेशन की एनहेन्स रेट करने की हो। आपने इस प्रकार का एग्रीमेंट करके अच्छा काम नहीं किया।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने अपने भाषण में डेयरी डवलपमेन्ट की बात की है और उसके लिये बीकानेर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि जिले में लगाने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा बून्दी, झालावाड़ राजस्थान में ग्रेनरी हैं और जहां पर एग्रीकल्चर फैसीलिटीज ज्यादा होने की वजह से केटल्स बहुत अधिक मात्रा में पायी जाती है आप उस इलाके में इस तरह की डेयरीज कायम करते तो आपको काफी लाभ होता और उस इलाके के लोगों को भी राहत मिलती। आज, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर की केटल्स हर साल अकाल के समय कोटा-बूंदी और झालावाड़ आती है और वहां पर हमारे यहां के लोग उनको उदार हृदय से अपने चारागाहों में चरने देते हैं। अपने पशुओं का चारा वह लोग अपने यहां जो पश्चिमी राजस्थान से पशु आते हैं उन्हें चराते हैं। इसके लिये आपको चिलिंग प्लान्ट वहां रखना चाहिये था। लेकिन आपने किसी भी प्रकार की डेयरीज की फेसीलिटीज कोटा, बूंदी और झालावाड़ में न खोलकर इन जिलों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इसलिये वित्त मंत्रीजी को मुझे यह निवेदन करना है कि उन्हें कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यह हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है। आज जहां अकाल पड़ता है चाहे वह कोई क्षेत्र हो आप उन्हें डाइरेक्शन देते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के लोग भी राजस्थान कैनाल पर जाकर काम करें। आज राजस्थान के पूर्वी हिस्से का किसान अपने मवेशी लेकर राजस्थान कैनाल में कैसे जा सकता है। अगर आप यहीं पर किसी प्रकार के प्लान बना कर, चम्बल प्लान में ही ज्यादा एलोकेशन करके यहां ही उन्हें रखें तो इस इलाके का ज्यादा विकास हो सकता है और यहां के लोगों को इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपसे यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि बावजूद उसके पश्चिमी राजस्थान वालों को यह कहें कि आप राजस्थान कैनाल पर अपने मवेशी लेकर चले जावो तो वह हजारों लोग वहां पर नहीं जाकर अपने लाखों मवेशी लेकर कोटा, बून्दी, और झालावाड़ में जाते हैं। तो आपने कुछ राजस्थान कैनाल में एलोकेशन किये हैं वह आप चम्बल में करते तो आपको अधिक अच्छे परिणाम मिलते। कैटल चरा सकते थे और पोजिटिव डवलपमेंट भी हो

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

सकते थे। जब हम पोजिटीव डवलपमेंट की बात करते हैं तो आप रिजेनेलिज्म की बात करने को भी हमको मजबूर करते हैं। एक व्यक्ति का यह फन्डामेंटल राइट है कि जो व्यक्ति जहां है वहां अपनी गुजर बसर के साधन उपलब्ध करे और आप उनको उपलब्ध करायें। लेकिन आज आप उसको मजबूर करते हैं कि वह राजस्थान कैनाल में जाय। जिसकी कैटल पर ही सारी इकोनोमी बेस्ड है वह वहां जावेगा तो उसको वहां वह चीज उपलब्ध नहीं हो सकती जो कि जहां वह रहता है वहीं ही उसको उपलब्ध हो सकती है। कैटल लेकर जहां आता है वहां ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

चम्बल में जगह जगह सीपेज आदि इतने काम की जरूरत है जिसके लिये आप प्लान एलोकेशन रखते तो आपका चम्बल से काफी पर्पज सर्व हो सकता था। लेकिन इस को न रख कर दूसरी ओर रख दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरी बात बार बार बजट के बारे में आती है, झामर कोटड़ा का रॉक फास्फेट। इसके लिये कहा जाता है कि चार लाख टन लास्ट इयर हुआ और चार लाख पचास हजार टन इस साल होने की उम्मीद है। मैं पूछना चाहता हूं कि चार लाख टन गये साल रॉक फास्फेट के न बिकने के क्या कारण है? क्यों नहीं राज्य सरकार ने ऐसे अहम् मसले पर, जिससे हमारे राजस्थान की इकोनोमी चेन्ज हो सकती थी, सतर्कता से काम लिया? क्यों नहीं रॉक फास्फेट को वर्ल्ड मार्केट में बेचने की बात की? सरकार बताने का कष्ट करें। क्या रीजन्स थे इसके पीछे के समय में रॉक-फास्फेट नहीं बिक सका, जिससे हमारी इकोनोमी में काफी चेन्जेज आतीं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा नरोरा में तय किया गया था, आपने हमारे किसान और मजदूर को क्या देने की बात की? क्या आपने बिजली की रेट्स को सब्सीडाइज किया? क्या डील की रेट्स जो किसान के काम में आने वाली है उसको सब्सीडाइज किया? क्या फर्टीलाइजर की चीज जो किसान के काम आने वाली है उसको सब्सीडाइज किया? क्या आपने बजट में किसान को मदद देने की बात सोची? यदि आप सही माने में सोचते और सही माने में करते तो किसान के एग्रीकल्चर इन्पुट्स को सब्सीडाइज करने की बात करते तो उससे किसान का बहुत बड़ा हित हो सकता था। डी.सी.एम. की फैक्टरी कोटा में है, यूरिया की कीमत उसने डबल कर दी और उससे अपना भंडार भर रहे हैं, क्या उन पर आपने कोई टैक्स लगाने की बात की? आप इनको तीन पैसे यूनिट में बिजली देते हैं। डी. सी. एम. का नाइलोन का कारखाना है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग कारखाने लगा रहे हैं, उनके ऊपर क्या हमारे वित मंत्रीजी ने किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाने की बात की? यदि बिजली उनको ज्यादा कीमत पर और किसान को कम कीमत पर देकर उनको सब्सीडाइज किया जाता तो मैं समझता और कहता कि कॉमन मेन बजट है। इसको अब कॉमन मेन का बजट मैं नहीं कह सकता। इसको तो मैं पूंजीपतियों को राहत देने का ही बजट कह सकता हूं। किसी पूंजीपति पर टैक्स

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
की बात आयी हो इसमें, मैं इसको नहीं मानता।

इसी प्रकार कोटा डिविजन में न वहां कोई मेडिकल कालेज है, न कोई इन्जीनियरिंग कालेज खोला है, न विश्वविद्यालय की कोई योजना अब तक सामने आयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से दबी हुई वाइस से कब तक कोटा डिवीजन को रखेंगे?

नेशनल पार्क भी आपके बनते हैं। बूंदी में गेम्स सेन्चुअरी बनाने के प्रपोजल्स राज्य सरकार के पास भेजे गये लेकिन आज तक राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जंगल बराबर खराब होते जा रहे हैं। बूंदी का खूबसूरत जंगल है। बार बार मंत्री महोदय, सरकार को कहा गया, सारे जंगल बरबाद हो गये। राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया और योग्य आफिसर को नियुक्त नहीं किया जो जंगलों की रक्षा कर सकता था। जो देश की सम्पदा है धरोहर है, बूंदी शहर के दोनों तरफ सुन्दर पहाड़ियां हैं, उनको बूचर करके नंगा कर दिया। सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य था कि इसको रोकना चाहिये था लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसको रोका नहीं गया।

नेशनल पार्क भी बनाने की बात करते हैं तो जैसलमेर की बात करते हैं। मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है कि जैसलमेर को बनायें लेकिन ऐसे जो रमणीक स्थान, पहाड़ी स्थान राजस्थान में उपजाऊ स्थान जहां कहीं भी हो उनको भी प्राथमिकता दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त आपको कोटा बूंदी और झालावाड़ में...

श्री उपाध्यक्ष : कोटा डिविजन के और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : *डिविजन के लीडर हैं।*

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपको वहां पर अफोर ए स्टेशन और सोइल कन्जरवेशन की स्कीम्स लागू करनी चाहिये। बूंदी में भू-सम्पदा इतनी है कि जिसका कोई पार नहीं। सीमेन्ट के लिए लाइम स्टोर के भण्डार के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की सर्वे रिपोर्ट है कि सौ सीमेन्ट फैक्टरीज इससे चल सकती हैं। इतना लाइम स्टोर वहां पर है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा एक बार अनाउन्स किया गया था कि किसी को इसका लेटर आफ इन्टेन्ट दिया गया बूंदी के लिये परन्तु उसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं किया गया। सिर्फ दस मील का एरिया है, रेलवे लाइन से जुड़ जाय तो इसको इकोनोमिकली सैल्फ सफिशियेन्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय बून्दी के साथ में उपेक्षा की जा रही है। बूंदी के चारों तरफ जिले हैं. एक तरफ टोंक, एक तरफ सवाईमाधोपुर, एक तरफ भीलवाड़ा ये सारे जिले इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किये गये हैं लेकिन बून्दी के लिये सोचा तक नहीं गया है। जोधपुर और अलवर जिले बैकवर्ड हो सकते हैं, बूंदी जैसे जिले में सिवाय चम्बल के, 27 वर्ष में आज

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
तक एक काम भी नहीं हुआ और एक फैक्टरी भी नहीं लगी। एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्री सालर और हेलर को बनाने की बात की तो इजाजत नहीं देंगे यह कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कडाना माही प्रोजेक्ट है।

श्री नाथूराम बागोडोरा : आपको अनुभव भी नहीं है इस विषय का। कड़ाना तो गुजरात का है आज चम्बल पर कितना पैसा खर्च हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये आप विरोध करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। हमारा आशय यह नहीं है कि वहां नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन बमुकाबले उसके हमारे साथ सौतेली मां का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

कोटा जिले में चम्बल बनने के बाद जो आवश्यकतायें हैं, जो चम्बल का सिस्टम बनाया गया है वह बिलकुल इन्कम्पलीट है, लाइनिंग नहीं की। सीपेज से कीमती वाटर वेस्ट होकर जा रहा है, कितना कीमती पानी है, सीपेज होकर खेतों को खराब कर रहा है। इस सबको सिस्टेमेटाइज नहीं किया गया है। कहने के लिये तो नहर निकाल दी गयी है लेकिन आज तक डवलपमेन्ट नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इन सब बातों के साथ साथ एक बार वित्त मंत्रीजी को फिर से धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, 75–76 के बजट पर विचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं।

यह भी सही है कि वित्त मंत्रीजी की बुद्धि की जागरूकता, कुशाग्रता इस बजट में संकेत करती है क्योंकि दो वर्ष से वित्त मंत्रीजी राजस्थान को वित्तीय संकट के नाजुक दौर से निकाल कर ले जा रहे हैं। यह कोई कम बात नहीं है और यह भी सच है कि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में वित्त मंत्री जी नहीं फंसे हैं। यह उनकी अपनी बुद्धि की सूझबूझ है।

उपाध्यक्ष जी आज हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, मंहगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के संकेत प्रायः मिलते हैं, ऐसी मंहगाई के जमाने में, ऐसी वित्तीय नाजुक स्थिति में हमारी योजनायें कितनी क्रियान्वित होंगी यह सोचने का विषय है लेकिन कोई यह कहे कि एक परिवार में दो बच्चों को यह कहा जाय कि एक को रोटी मिलेगी एक को कपड़ा मिलेगा और एक को मकान मिलेगा यह बात नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सबके लिए आवश्यक है, और तभी विकास की गति का अनुमान लगा सकेंगे

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

कई बार प्रश्न उठाते हैं पूर्वी और पश्चिमी, हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरियां हैं और हमें कुछ न कुछ संकेत करने के लिए नाम लेना पड़ता है। कोटा के अन्दर उद्योग लगे, कोटा में नहरें हैं, कोटा में बान्ध हैं और होने चाहिये हम मना नहीं करते सारे राजस्थान को जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हम चाहते हैं। सारे राजस्थान में जहां जहां बान्ध बनाये जा सकते हैं, बनाये जायं। आज हम दो बातों का कम्परेजन क्यों करते हैं। एक जगह कमी होती है, दूसरी जगह बढ़ोतरी होती है कम्परेजन का प्रश्न नहीं उठता है। चम्बल तथा राजस्थान केनाल का नाम बार बार आता है।

राजस्थान केनाल का जो प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है हम उसमें किसी प्रकार की नुक्ता-चीनी नहीं करना चाहते हैं। आवश्यकतानुसार डेजर्ट एरिया है प्रोग्रेस होनी ही चाहिए। राजस्थान की उस जिले की प्राकृतिक स्थिति अलग है, इधर कोटा कमान्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग है। जब तक भौगोलिक स्थिति का और प्राकृतिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जायगा तब तक जो योजना बनाई जाती है वह सफल नहीं होगी और जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं, पुनरावृत्ति का सवाल नहीं है लेकिन जैसा कि 30 लाख रुपये चम्बल क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये रखे गये हैं उसमें जगह की लेवलिंग का क्या काम होने वाला है, भूमि का समतल होना, पानी के बंटवारे का है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कई दफा इस सदन में यह बात उठाई गई है और उधर से आने वाले माननीय सदस्य भी समय समय पर जोर देते रहे हैं जो दिक्कत आ रही है वह वाटर सीपेज की है। वाटर लौगिंग की है, आज वहां प्राबलम है। कितना भी पानी राजस्थान केनाल में लाया जाय उससे रास्ते खराब नहीं हो सकते हैं रेतीले स्थान पर पानी का अधिक होना लाभदायक है। लेकिन हमारे यहां जमीन ऊसर हो गई है, एप्रोच रोड नहीं है, रास्ते खराब हो गये हैं। पानी के रिसने से नहरों के दोनों ओर की भूमि में क्षार बढ़ गया और भूमि ऊसर बन गई। सारे भारतवर्ष में खाद्यान्न संकट हमारे सामने आ रहा है और इस समय कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन कर सकें तो इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और पूर्वी और पश्चिमी की बात उठाते हैं इसलिए जरूरी है। हमें संकेत करने के लिए कहना पड़ता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसमें आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल कमान्ड में यह जो पैसा लगा रहे हैं कल, बेटरमेंट लेवी लगानी पड़ेगी और उसको देना भी पड़ेगा और आपने अपने बजट भाषण में जिक्र भी किया है, बेटरमेंट लेवी बढ़ाई जायगी और यह देनी पड़ेगी क्योंकि विश्व बैंक के साथ आपकी यह शर्त हैं—आप बंधे हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि बेटरमेंट लेवी बढ़ाने से पहले क्या चम्बल क्षेत्र से निकलने वाली नहरों से इतनी सुविधा मिल जायगी? उससे वहां की जमीन में क्या इतना उत्पादन बढ़ेगा लेकिन जब रकबा ही खत्म होता जा रहा है तो उत्पादन कितना बढ़ेगा। लिफ्ट इरीगेशन वहां अभी नहीं है। चम्बल कमान्ड के नाम से लोगों में बहुत हौव्वा है। मैं निवेदन करूं, चम्बल कमान्ड के बीच में आने वाले

Page No 54

(54)

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

सैकड़ों गांवों की हजारों बीघा जमीन की सिंचाई नहीं होती है—लिफ्ट इर्रीगेशन में आई हुई है और वर्ल्ड बैंक में लिफ्ट इर्रीगेशन के लिये पैसा नहीं है। मैं सरकार से आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं, इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, उनका भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं उस ऊसर भूमि को ऊसर होने से रोकिये एप्रोच रोड नहीं निकालते हैं तो किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी और जितना अन्न उत्पादन आसानी से हो सकता है, वह नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो बेटरमेंट लेवी का किसानों पर बोझ पड़ने वाला है उससे कोई आराम मिलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजना जब बनती है तो विकास के लिए बनती है, योजना को देखकर लगता है बड़ी राहत मिलने वाली है और इसी आशा के सहारे जीवन मिलता है। हम तो योजना को बल देना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी से हम कभी कभी जिक्र करते हैं, मानते हैं। उन पर भार बहुत है और जल्दी में भी बहुत रहते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब हम कहते हैं लोगों में असन्तोष है तो वे तुरन्त कहते हैं मेरे से तो लोगों को असन्तोष नहीं है। मैं कहती हूं आपसे तो लोगों को कतई असन्तोष नहीं है लेकिन आप समूचे राजस्थान को देखने वाले हैं, समूचे राजस्थान की जनता को आपको देखना है। हम तो केवल जिस प्रकार हनुमान को अपना बल याद दिलाया जो समुद्र को पार कर गया अपने बाहुबल से हम भी आपको उसी प्रकार की याद दिलाना चाहते हैं। आप में बल है, आप में शक्ति है सारी राजस्थान की जनता आपको चाहती है तो आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में न फंसें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कोटा क्षेत्र के ही मंत्री महोदय यह बता दें कि हम कोटा क्षेत्र के समूचे क्षेत्र में घूमकर आये हैं। कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसने समूचे कोटा क्षेत्र का भ्रमण किया हो और वहां की परिस्थितियों का अवलोकन किया हो। इसलिए मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय किसी को भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति का ध्यान नहीं है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाएं इतनी कारगर हो नहीं सकती। हम यही कह सकते हैं...

राजस्थानी कहावत है,

देर पांडया आशीष, हूं कांई दूं, म्हारा आंतड़ा देगा। फिर आप कहें कि जो योजना बनाई है उससे आप भी प्रसन्न हैं और हम भी प्रसन्न हैं, हम भी खुश हैं तुम भी खुशी मनाओ तो भूखे पेट या उस इलाके को इग्नोर करने के बाद इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत आयेगी, थोड़ी सी परेशानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां विद्युत की बात है, मैं इसीलिये चम्बल की बात कर रही हूं आप बड़े आराम से खाद्यान्न के संकट से निकल सकते हैं बशर्ते उस योजना को पहले पूरा करें। आप राजस्थान केनाल में पैसा लगाइये। वहां की योजना, वहां का खर्च वहां के लिए है, लेकिन प्रश्न यह है, जहां सूखा मैदान है एक बूंद पानी नहीं, वहां तो इतना खर्च किया जाये, प्रयास किया जाये और वहां

Page No 55

(55)

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

प्रचुर मात्रा में पानी है वहां उपेक्षा की जाये। इसलिये कहती हूं कि हाड़ौती क्षेत्र में जहां एक-एक दो-दो मील पर नदियां हैं, छोटे छोटे बंध बना कर पानी दिया जा सकता है। सरकार अगर वहां पर बंध बनायेगी तो हजारों बीघा भूमि पर उत्पादन होगा। खाद्यान्न के संकट की स्थिति है उसके ऊपर असर पड़ेगा, उससे हम उभर सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे, यह मैं आशा लेकर चलती हूं। इससे न केवल वहां के लोगों को बल्कि सम्पूर्ण देश को उससे लाभ होगा।

विद्युतीकरण के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा ध्यान कोटा की ओर नहीं है। चम्बल कोटा में है लेकिन इर्रीगेशन की दिक्कत कोटा में। बिजली कोटा से मिले लेकिन विद्युत के बारे में इगनोर किया जाय कोटा डिविजन को। कोटा से मेरा मतलब है कोटा डिविजन। थरमल प्रोजेक्ट कोटा में लगने की बात थी और थरमल प्रोजेक्ट के लिए डेढ़ करोड रुपया विद्युत बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया किन्तु साढ़े चार करोड़ की मांग है। मुझे डर है कि कहीं यह थरमल प्रोजेक्ट थरमल होकर ही नहीं रह जाय। आज जिस गति से विद्युत में नये कनेक्शन मिल रहे हैं, अनुमानतः पचास प्रतिशत कनेक्शन प्रति वर्ष रिलीज हो रहे हैं, अगर यह स्थिति हमारी रही तो यह हाईड्रो इलेक्ट्रिक तो पांच साल में जवाब दे देने वाली है। हम पंजाब को बिजली देना चाहते हैं हम हरियाणा को बिजली देना चाहते हैं। तो हमें हमारे प्रांत में विद्युतीकरण तथा पर्याप्त मात्रा में पावर हो इस पर ध्यान देना पड़ेगा जैसा कि कल जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया आंकड़ों के चक्रव्यूह में तो वे ही जा सकते हैं क्योंकि वे एक्सपर्ट हैं। हमें न तो इस चक्रव्यूह में घुसना आता है और न उसमें से निकलना आता है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आपको लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था करनी चाहिये। कुओं पर बिजली देनी चाहिये वहां पर हर गांव में सौ-सौ कुए हैं, दो-दो सौ कुए हैं उन कुओं के द्वारा विद्युत देकर आप इर्रीगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पर ट्यूब वैल लगा कर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का दृष्टिकोण क्षेत्रीय सुविधा को देख कर होना चाहिये अन्यथा ब्यूरो क्रेसी के चक्कर में योजनाएं फेल होने वाली है–इन्हें दर्द कहां है इन्हें तो अपना आराम चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दोहा मुझे याद आता है इस संदर्भ में याद आता है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति विशेष को कितनी तकलीफ हो सकती है। हमारे वहां पर एक पुराना दोहा है कि : पराये खेत में अंगूर की बेल को गधा तोड़ कर खा रहा है यह कैसे सहन होगा

सुमन पराये खेत में देखा दाख तोरि खर-खात।
अपनो कछु न बीगरे, असहय सही नजात।।

किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह सारे राजस्थान की समस्या सामने आती है। अपना कुछ भी नहीं बिगड़ता किन्तु अनहोनी

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

सहन नहीं होती कहने में तो यह बुरी बात लग सकती है लेकिन मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री जी को खास तौर से निवेदन करना चाहूंगी और विशेष तौर पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे इलाके को इग्नोर मत कीजिए। वह इलाका आपका विश्वासपात्र रहा है और आगे भी रहेगा। राजनैतिक दृष्टि से भी हमेशा आगे रहा है। हम तो हमेशा आपके विश्वासपात्र रहे हैं और आप पर विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास के प्रतीक स्वरूप आप लोग यहां बैठे हुए हो। हमारा विश्वास हमेशा आप में रहा है और रहेगा लेकिन उस इलाके के लोगों को हम जाकर क्या कहें ? हम वहां के लोगों को कुछ कह सकें, उनको कुछ तसल्ली दिला सकें इसलिए हमें यहां मजबूर होकर कहना पड़ता है। जनता का कांग्रेस सरकार में विश्वास उसके प्रतीक तो यहां सदन में डेढ़ सौ कांग्रेस विधायक बैठते हैं और हमारे विश्वास के प्रतीक आप बैठे हैं। मुझे याद है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे बरकत साहब के काल में उस समय मैंने सड़कों की बात कही थी और सड़कों की बात कहने के बाद सदन समाप्त होते ही श्री हरिदेव जोशी यहां से कोटा गए इमीजियेटली। उन्होंने वहां का दौरा किया तो उसका असर हुआ, हमारे यहां कुछ सड़कें बनीं। आज फिर सड़कों के मामले में कोटा इग्नोर है, इरींगेशन के मामले में कोटा इग्नोर, विद्युत् के मामले में पहले विद्युत् दूसरी जगह जायेगी और कोटा इग्नोर। कोटा से मतलब कोटा डिविजन से है। झालावाड़ में पशुपालन की योजना बनाकर वहां पर पैसा खर्च किया जाय तो लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। योजना तो बनाने की बात है, वहां जो काम हो सकता है उसको देखकर योजना बनाने की जरूरत है। बूंदी के अन्दर, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर ग्लास फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते। बूंदी के अन्दर सिलिका निकलती है और इस सिलिका का उपयोग ग्लास बनाने के काम में हो सकता है। तो ऐसे इलाके जहां पर भौगोलिक या प्राकृतिक स्थिति अन्य प्रकार की है उस जगह पर लागू होने वाले काम चला सकते हैं। जैसलमेर में राजस्थान का पानी पहुंचे, बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान कैनाल गंगानगर से चलकर सारे राजस्थान को पार कर जैसलमेर के रेतीले क्षेत्र में पहुंचेगी तो उन लोगों को कितनी प्रसन्नता होगी, तसल्ली होगी कि हमारे लिए कुछ किया गया है तो इसी तरह से जहां पर जो चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या आवश्यकता है उनके लिए कुछ योजना हाथ में लीजिए ताकि वहां के लोगों को तसल्ली हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा अनुसूचित जाति और जन-जाति के बारे में भी कहना चाहूंगी। छः लाख लोगों को, जैसा कि इस वर्ष में हमारे सामने आया है, हमने उनको पट्टे दिये हैं। नरोरा कैम्प के अन्दर जो निर्णय लिया गया और उसकी क्रियान्विति के लिए जो कदम उठाये, प्रशंसनीय हैं। लेकिन राजस्थान राज्य में जो कदम उठाये हैं, छः लाख लोगों को पट्टे देने के, उसके अनुपात में आपने पन्द्रह हजार रुपये की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करवाई है। क्या स्थिति है, पांच प्रतिशत सौ में से

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

पांच को छः लाख में से पन्द्रह हजार का ऋण। जैसे इस वर्ष में ऋण मिला है तो मैं वित्त मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्री महोदय से और अन्य सम्बन्धित मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि यह स्कीम बराबर लागू रखी जायेगी और हर वर्ष अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, जिनमें बहुत से पट्टे पाने से, रह भी गए होंगे उनको पट्टे मिलेंगे और उनको बराबर मकान बनाने के लिए ऋण वितरण का कार्य चालू रहेगा और उन लोगों को ऋण दिया जाएगा। वरना केवल पन्द्रह हजार को रिलीफ देकर अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमारे सामने दिक्कत आएगी। बाकी के लोग, जिनको पट्टे मिले हैं वे वैसे ही पड़े रहेंगे और जमीनें दूसरों के हाथों में ट्रांसफर हो जायेंगी और फिर यही समस्या खड़ी ही आने वाली है। मेरा मतलब यह है कि जो स्कीम आपने शुरू की है वह बहुत अच्छी है लेकिन उसको निरन्तर जारी रख कर लोगों को ऋण दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इसका पूरा सदुपयोग हो सके। ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार बार-बार परिवर्तन आते रहते हैं, कोई चीज थोड़ी-सी चली और बन्द कर दी तो इससे न तो जनता में विश्वास जमता है और न आगे हम बढ़ सकते हैं।

मैंने स्वयं ने 26 या 25 तारीख को राष्ट्रदूत में एक न्यूज पढ़ी थी उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह था कि बांसवाड़ा के अन्दर आदिवासियों को मोटा कपड़ा मुहैय्या कराया जायेगा, हजारों की संख्या में, रुपयों में या मीटर में मुझे याद नहीं है। मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से आदिवासियों को मोटा कपड़ा दिया जाना चाहिए और दें। मैं तो केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या दूसरे जो हमारे कोटा डिवीजन में शाहबाद और दूसरे इलाके में जो आदिवासी बसते हैं, जो सहारिया कौम बसती है और उनकी रिजर्व सीट भी हैं, क्या वहां पर भी मोटा कपड़ा मुहैय्या करवाया जाएगा, क्या उन लोगों को मोटा कपड़ा दिया जाएगा ? उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा हमारे लिए बड़ी वैसी बात हो जाती है जब कोई माननीय सदस्य गांव की बात करते हैं तो कोई माननीय सदस्य शहर की बात करते हैं। मैं न तो गांव की बात करती हूं और न शहर की बात करती हूं, मैं तो दोनों जगह की बात करती हूं। हम तो राजस्थान के कोने कोने से आने वाले जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह राजस्थान के हर क्षेत्र को रिप्रेजण्ट करते हैं और वहां के हालात यहां पर रखना उनके लिए जरूरी है। आज वे यह समझते हैं कि जब इस प्रजातंत्र के जमाने में हम आये हैं तो विकास मिलना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी को मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता जो उनके इशारे पर चलने वाली है, वह स्वतंत्रता के इस 25 साल के बाद आपसे यह आशा करती है कि उसको राहत मिलनी चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। जितना विश्वास राजस्थान की जनता ने दिया है, जिस तरह का प्रतिनिधित्व हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता ने इस कांग्रेस पार्टी पर जो विश्वास किया है, राज्य सरकार पर जो विश्वास

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

किया है और जो चित्र हमारे सामने आया है और जिस तरह की हमारे सामने स्थिति है उस स्थिति में इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं इसलिए राजस्थान की समूची जनता को आराम देना हमारी सरकार एवं पार्टी का पुनीत कर्तव्य है और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो क्षेत्र अभी तक उपेक्षित होते रहे हैं, जिनको किसी कारणवश इग्नोर किया गया है, मेहरबानी करके उस ओर ध्यान दीजिए और उन क्षेत्रों का विकास कीजिए जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके।

शिक्षा मंत्री जी को आपके द्वारा थोड़ा-सा निवेदन करूंगी। वैसे वित्त मंत्रीजी ने शिक्षा के ऊपर काफी उदारता बरती और इसके लिए मैंने वित्त मंत्रीजी को बधाई भी दी है कि आप ब्यूरोक्रेसी के चगुल में नहीं फंसे, और चक्कर में नहीं फंस कर आपने स्वयं अपनी कुशाग्र बुद्धि से यह बजट तैयार किया है और इस नाजुक दौर से गुजर कर राहत की सांस ली है। शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करू कि जिन गांवों के अन्दर सेकेण्ड्री या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले हैं जिनके अन्दर अन्य विषय खोले जायेंगे, मेहरबानी करके कोटा डिवीजन के अन्दर आज तक शिक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता विकास नहीं हुआ है। वहां पर कृषि का विकसित क्षेत्र है अतः कृषि का विषय खोला जाय जिससे वहां के लोगों को राहत मिलेगी। ज्ञान की वृद्धि हो इन्द्रगढ़ तहसील के अन्दर एक सैकेण्ड्री स्कूल सन् 44-45 से है। 44 के अन्दर जो सैकेण्ड्री स्कूल थी, हाई स्कूल थी आज भी वह सैकेण्ड्री स्कूल है उसे क्रमोन्नत किया जाकर उपयोगी विषय खोले जावें। डिवीजन के किस-किस कार्य और किस-किस क्षेत्र की बात आपको कहूँ। इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि कोटा डिवीजन को इग्नोर न किया जाय और इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही इस बजट के लिये मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है और जो भाषण इस सदन में दिया है, उसको सुना। उससे मालूम होता है कि आप आदिवासियों के लिए ज्यादातर काम करना चाहते हैं। आपने यह बताया है कि उनको मकान के लिए जमीनें दी जावेंगी। मैं वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपकी आंख इस साल ही खुला है। आपको यह भ्रम है। 8-10 महीनों में चुनाव आने वाले हैं लोक सभा के और आप चुनावों में बरसों से इन गरीबों के वोट लेते आये हैं और ज्यादातर हरिजन, आदिवासियों के ही वोट आपको मिले हैं और इससे ही आप सरकार बनाते रहे हैं। इन गरीबों ने हमेशा आपको वोट दिया है आज इस बजट भाषण में जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह धोखा है। आप न तो उनको मकान के लिए लोन देंगे न अनुदान और न ही प्लाट देंगे मैं प्लाट के विषय में कहना चाहता हूं। अभी एक अभियान आपने चलाया था जिसमें कि आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों को प्लाट देने के लिए कहा था। आपको मालूम है राजस्थान में कोई आदिवासी लोग बेघरबार नहीं हैं। उनके पास

(श्री विट्ठलभाई)

उनकी खेती की जमीन है । तो क्या उनके पास मकान नहीं थे ? लेकिन एक हवा बनाने के लिये, वोट लेने के लिये आपने यह सारी बातें चलायी हैं न कि सही ढंग से उनको मदद करने की । दूसरे इलाके की बात मैं नहीं करूंगा लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों की तहसीलों की बात कहना चाहता हूं जहां कि ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं । यहां के आदिवासी लोगों ने अपनी काश्त की जमीन पर मकान बना रखे हैं । उनके कच्ची झोपड़ियां हैं । पक्की झोपड़ियां तो वे बना ही नहीं सकते । घास-फूस की झोंपड़ियां उन्होंने बनायी हैं । अब आप उनको मकान के लिए प्लाट देने की बात कर रहे हो । यह एक तरह से लोगों को गुमराह करना है । पहले कहते हैं समिति बनाओ । फिर प्लाट दोगे और उसके बाद कर्जा दोगे । यह सब कब होगा ? इनको एक जगह गांव में बसाने की बात आप कहते हैं । वहीं पर प्लाट देंगे । सब को एक जगह बसाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और सबको इतना धन भी आप नहीं दे सकेंगे । इस प्रकार न तो वे अपने घर में रह पाएंगे और न गांव में बस सकेंगे । वे बरबाद हो जायेंगे तो आपको आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए या पिछड़ी कौमों के लिए जहां पर वे रहते हैं, वहीं पर मकान बनाने के लिए सुविधा देनी चाहिए । फिर चाहे वह अनुदान रूप में हो, चाहे कर्ज के रूप में हो । यह मैं नहीं मानता हूं कि सबके लिए आप गांव बसा सकोगे । इसके लिए वे समिति बन सकेंगे और समिति के हिस्से के लिए वे 100 रुपया जमा करावेंगे और 300 रुपयों का आप उनको अनुदान देंगे । यह कर्जा, अनुदान भी समाज कल्याण विभाग देगा । यह गलत बात है । इस प्रकार तो आपकी योजना सफल होने वाली नहीं है । लोग आपको जानते हैं । मैं तो यह मानता हूं कि यह जो आपका प्लान है वह कागजों पर है । इसमें कोई बल नहीं है । तीन साल पहले भारत सरकार से रकम आने वाली थी । हमारे जिले के लोगों को धोखा देकर लोगों ने कहा तुम्हें मकान के लिए चार हजार रुपये मिलेंगे । सौ रुपया जमा करा दो । उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए और आज तक लोन नहीं मिला है । वे मारे-मारे फिर रहे हैं । अब नेता लोग कहते हैं जब लोन आ जायगा दे देंगे । जल्दी लोन आने वाला है । इस तरह से कई नेता तो आदिवासियों को धोखा देकर रुपया खा गये हैं । यह धोखा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है । जनता आपको समझ चुकी है । आप इनके लिए काम करना चाहते हैं तो बताइये एक साल में कितने मकान बना कर दिये हैं । आप सब को नहीं दे सकते हैं । सबको जमीनें नहीं दे सकते हैं । यह मैं मान सकता हूं लेकिन एक जिले के पच्चीस गांवों को भी देते हैं तो मैं इसको ठीक मान सकता हूं कि आपने इनके भले के लिए कुछ किया है । परन्तु हकीकत में यह नहीं हो रहा है । आप कुछ भी घोषणा कर दें लेकिन घोषणा के अनुसार अमल नहीं करते हैं । आप घोषणा करने के बाद भी पैसा नहीं देते हैं, प्लाट नहीं देते हैं तो आप कैसे भला करना चाहते हैं । मेरा सुझाव है कि जहां आदिवासियों के मकान हैं, उसी जगह पर मकान बनाने के लिए आप उनको पैसा दें । आदिवासी लोग एक जगह पर नहीं बसेंगे । वे तो अपने खेतों पर ही बसना चाहते हैं ताकि वे अपनी खेती की देखभाल कर सकें, एक जगह रख कर आप

(श्री विट्ठलभाई)

उनको कस्बों की तरह रहना सिखाना चाहते हैं, रेडियो सुनना और घूमना सिखाना चाहते हैं। इस तरह आप उनको बर्बाद कर देंगे। उनका तो खेती का काम है। खेती ही करना चाहते हैं। इसलिए उनको एक जगह बसाने की बात न करके जहां मकान है, वहीं के लिए लोन की सुविधा दीजिये।

दूसरी बात मैं अकाल के बारे में कहना चाहता हूं। आपने भाषण में जिक्र किया है कि 26 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है और यहां के लोगों के लिए आपने राहत कार्य चलाने की बात कही है। हमारे प्रश्न पर मुख्य मंत्री ने जवाब दिया है, अकाल राहत मंत्री जी ने भी जवाब दिया है कि मार्च बाद पैसा आयेगा और उसके बाद आप खर्चा करेंगे। यदि कहीं पर विभागीय काम खोले गये तो उनमें आप लोगों को लगायेंगे। यह तो कोई राहत कार्य नहीं है। ठीक है विभाग का काम है तो पांच, पचास या हजार आदमी काम करेंगे। वैसे भी काम होता। यह कोई लोगों को रिलीफ देने की बात नहीं है। अब मार्च जा रहा है। अप्रेल आने वाला है। मई में आप विभागीय काम खोल देंगे और फिर बरसात आ जाएगी। आप कह देंगे बरसात हो गई। कोई रिलीफ वर्क्स नहीं होंगे। ऐसी खोखली बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हमसे लोग कहते हैं लगान वसूल न होना चाहिए, कर्जा वसूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है। हम कहते हैं, विधान सभा शुरू हो रही है। वहां जाकर पूछेंगे। यहां पर पूछा तो जवाब मिल गया कि मार्च के बाद पैसा आयेगा तब काम खोलेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस साल आप लोगों को राहत देने वाले नहीं हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाये हैं अकाल से लोगों को राहत देने के लिए। गरीबी मिटाने के नाम पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खाली भाषण करना आप चाहते हैं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आप इतना खर्चा कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों के बारे में विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले की कुछ तहसीलों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि ज्यादा खर्चा वहीं पर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कितना खर्चा वहां पर हो रहा है। मुख्य मंत्री भले ही हमारे जिले के हों, परन्तु कोई खर्चा ज्यादा वहां पर नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप मुख्य मंत्री से मिले हुए हो....

श्री विट्ठलभाई : जो सही बात है वही कह रहा हूं। मुख्य मंत्री हमारे जिले के जरूर हैं परन्तु जो घोषणाएं आपने की हैं, अकाल के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, उस पर पूरा अमल नहीं हो रहा है। खाली कहने से ही काम नहीं चलेगा। अब आप खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। यह भी आपकी खोखली बातें हैं। दो किलो माइलो गांव वालों को दे रहे हैं। इस तरह शहर और गांव के बीच आपने अन्तर कर रखा है। आप समानता लाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, अमीर-गरीब को बराबर रखना चाहते हैं, तो कैसे आप गांव वालों को दो किलो माइलो दे रहे हैं। वह भी सड़ा हुआ, जिसमें धतूरे के बीज हैं, कचरा है। करीब ढाई सौ ग्राम कचरा एक किलो में निकलता है। और यह अनाज आप उनको देते हैं और यह बात कहते हैं कि हम समानता लाना

(श्री विट्ठलभाई)

चाहते हैं। कौनसी समानता ला रहे हैं गांवों और शहरों का मतभेद तो यों ही दिख रहा है। गांव वालों को 300 ग्राम शक्कर देंगे और शहर वालों को एक किलो भी देते हैं ? ऐसा मैंने सुना है कि कई शहरों में, तो यह इतना फर्क क्यों है ? गांव वालों को कपड़ा 8 दिन भी नहीं पहने और फट जाय ऐसा मोटा कपड़ा देते हैं और शहर वालों को कन्ट्रोल रेट का अच्छा कपड़ा देते हैं तो यह मतभेद क्यों रखा है ? शहर और गांव का मतभेद आपने रखा है। तो आपकी यह घोषणा कि आदिवासियों को आगे लाना चाहते हैं, पिछड़ी हुई जातियों को बराबर लाना चाहते है, यह गलत बात है। आप ला भी नहीं सकते और लाओगे भी नहीं। गत साल में इसी विधान सभा में माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि दिसम्बर के पहले पहले चाहे कोई भी आपत्ति आ जाये, कुछ भी हो लेकिन हम पंचायतों का चुनाव करा कर रहेंगे, और बाद में एक आर्डिनेन्स निकाल दिया कि चुनाव तीन साल के लिए आगे बढ़ा दिये हैं यह कोई प्रजातन्त्र है आपका ? आज पंचायतों में बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। काम नहीं हो रहा है। विकास का कोई काम नहीं और ऐसे ही उन लोगों को गाड़ियां दे रखी हैं और ऐसे ही पैट्रोल जलाते हैं और उनको लेकर घूमते रहते हैं। वह खर्चा नाजायज हो रहा है। पंचायत समितियों में विकास का क्या काम हो रहा है सरकार इसको समझे ? एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा है। आपने 10 साल तो ऐसे ही निकाल दिये चुनाव के और आगे तीन साल और बढ़ा दिये। उसका कारण मैं समझ चुका हूं, चाहे और दूसरे माननीय सदस्य न समझे हों। आज पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान और जिला परिषदों के प्रमुख यह इन्हीं लोगों के हैं। विरोधी लोग तो हैं नहीं और थे सो उनको फंसा कर, लोभ, लालच देकर पटा लिया।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : वैसे ही छोड़ दिया या भ्रष्टाचार में फंसाया होगा ?

श्री विट्ठलभाई : भ्रष्टाचार में तो क्या ...

श्री उम्मेदीलाल : हम सोचसमझ कर आये हैं जबरदस्ती नहीं मिलाये गये हैं। आपकी बातों को नहीं समझ सकते हैं और आपके सिद्धान्त ही गलत हैं।

श्री विट्ठल भाई : सिद्धांत जो आपके हैं वह मैं जानता हूं। क्या आपके सिद्धांत थे वह भी मैं देख रहा हूं।

श्री रामसिंह कुंडी (जायल) : ये सभी सिद्धांतवादी हैं।

श्री विट्ठल भाई : आप सुनते रहिये और जवाब बाद में देना।

अभी लोक सभा के चुनाव हो रहे थे तो आज जितने भी पंच सरपंच थे वह मैं मानता हूं कि वह ऐसे हैं कि इनका ही प्रचार करने वाले हैं विधान सभा के चुनाव दो साल बाद आ रहे हैं तो उसके प्रचार के लिए इनके प्रचारक कौन है । वे ही लोग तो हैं। अगर पंचायतों के चुनाव करा लिए जायं तो उनकी हार हो सकती है। इसलिए पंचायतों के चुनाव तीन साल के

(श्री विट्ठलभाई)

लिए और आगे बढ़ाये हैं। चुनाव इसी साल करा लेना चाहिए था। कौन-सा अकाल था और अकाल था तो था। कौन से लोग भूखों मर रहे हैं और भूखों मरे तो मर जायेंगे, वोट देने के लिए एक दिन तो आयेंगे। चुनाव कराने चाहिये थे। प्रजातन्त्र का युग है और अगर प्रजातन्त्र को आप मानते हैं तो चुनाव करा लेने चाहिये थे। लेकिन प्रजातंत्र को आपने अपनी जेब में रख लिया है। जेब में क्या उसको खत्म ही कर दिया है। यह एकतन्त्रीय तानाशाही हुकुमत है····

श्री दीपंकर : आप विधान सभा में बोल रहे हैं तो यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है या एक-तन्त्रीय ?

श्री विट्ठलभाई : यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था यहीं तक है। बाहर कुछ नहीं मिलता है। यहां पर भी बोलने का ही हक है और करते भी क्या हैं ? और हमारा कहना मानते भी क्या हैं ?

श्री दीपंकर : वह मानें जो आप सलाह देते हैं।

श्री विट्ठल भाई : हमारी सलाह मानते तो देश बहुत अच्छी चीज हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई सलाह नहीं मानी।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : आप सही सलाह नहीं देते हैं।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : सरपंचों और प्रधानों के बैल ब्या गये हैं।

श्री विट्ठलभाई : एक बात मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने आदिवासी क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, कुछ हिस्सा उदयपुर का भी है, वहां पर भारत सरकार को कुछ रकम बताई है, और वह सिंचाई के लिए और सड़कों के लिए काम में ली जायगी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता लेकिन काम होना चाहिये और उस ढंग से होना चाहिये कि हमारा पैसा व्यर्थ न हो। जो पैसा अगला खर्च हुआ है चाहे वह विभाग का हुआ हो, लेकिन हमारा पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हुआ है। यह तो माननीय सदस्य सभी जानते हैं। लेकिन जो इलाके ऐसे हैं जैसे बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा है उसमें माही बांध से नहर बन सकती है, लेकिन जो नहरी इलाका नहीं है, वहां पर नहर नहीं जा सकती हो, वहां पर यह पैसा खर्च होना चाहिये। हमारे इलाके में पानी ऊपर नहीं है। अगर ऊपर है तो वह कच्चा पानी है जो जल्दी ही सूख जाता है, और जो गहरा पानी है वह कम से कम 70–80 फुट पर है क्योंकि पक्की चट्टान आती है वह होता है। हमारे यहां पर जो हैन्डपम्प लगे हैं उनके अन्दाज से हमें मालूम हुआ है कि वहां पर कम से कम 60 फीट तक पक्की चट्टान चली गई है और उसके बाद वह चट्टान बदलती है और नीचे आकर जो पानी आता है वह पानी सही माना जाता है। इस इलाके के लिए ऐसी स्कीम्स बनाई जायं, सर्वे इनका हो चुका है, और वहां पर नलकूप की व्यवस्था कराई जाय चाहे कितना ही पैसा लगे ताकि छोटे-छोटे गांवों में छोटी-छोटी जमीनों में सिंचाई हो सके। इस तरह से मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं करें या न करें यह आप लोगों की मर्जी की बात है। लेकिन मेरी तरफ से उस इलाके के लिए मैं सुझाव दूंगा कि जहां तालाब बनने के काबिल न हो, जहां नाले बनाने के काबिल

(श्री विट्ठलभाई)

न हों तो वहां पर पाताल पानी की व्यवस्था करें, और उस गांव में सिंचाई करने की कोशिश की जाय।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, क्योंकि इस विधान सभा में हम बोलते ही रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं।

लेकिन थोड़ा-सा मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि एक बिजली का क्वेश्चन रखा था तो उसमें बताया गया कि कुशलगढ़ और पीपलखूंट इस योजना में नहीं हैं। क्या कुशलगढ़ और पीपलखूंट का इलाका आदिवासी क्षेत्र में नहीं है? यह मान सकते हैं कि वहां के प्रतिनिधि सोसलिस्ट पार्टी के हैं और जहां पर कांग्रेस के लोग आये हैं वहां पर बिजली है ही और मिल भी गई है। आज भी जो कार्य बिजली देने का है उस इलाके में हो रहा है और इन दो इलाकों में नहीं हो रहा है। यह मतभेद आप कर रहे हैं और आप मतभेद करना चाहते हैं नहीं तो आपको वोट नहीं मिलें। यह तो आपकी नीति बनी हुई है कि जहां से विरोधी जीतेगा वहां पर आप काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : भूखिया पंचायत समिति में नहीं हो रहा है क्या?

श्री विट्ठलभाई : वह मैं मानता हूं। उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। यह आपके ध्यान में होना चाहिए योजना मुझे मालूम है, क्या बनाई जा रही है?

एक माननीय सदस्य : रेलवे लाइन आ रही है।

श्री विट्ठलभाई : रेलवे लाइन तो जब हम सब मर जायेंगे, तब आयेगी।

तो मैं बिजली मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा था, आप भेद-भाव नहीं रखेंगे। हमारे मुख्य मन्त्री जी भेद-भाव रखते हैं। वह उन्हें अब रखना नहीं चाहिए। अगर आप देंगे तो उस इलाके में बिजली का प्रावधान रखें। यह हमेशा नहीं हो सकता है कि मैं ही वहां से जीतूं। हो सकता है, आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। नहीं करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। यह बात निश्चित है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि आप बिजली का प्रावधान दोनों क्षेत्रों में रखें। लोगों को बिजली देने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट भाषण माननीय मन्त्री जी ने दिया है। उसे पढ़ने से मालूम होता है कि राजस्थान की बहुत-सी विकास योजनाएं उन्होंने सम्मिलित की हैं। जिस तरह का यह भाषण है, उसे पढ़कर मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और, इसके अलावा जो जो विभागीय तरीके से कमियां रही हैं, उनके मामले में मैं आपकी मार्फत उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहले मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत-सा इलाका कृषि पर निर्भर करता है। बाक

(श्री दीपंकर)

शहर और गांवों में ऐसे लोग हैं, जो मिला-जुला उद्योग चलाते हैं। परन्तु उद्योगों की अजीब-सी हालत है। बड़े-बड़े सेठ जो बाहर उद्योग लगाते थे, वह मजबूर होकर यहां आये हैं। कोटा में उन्होंने कुछ उद्योग लगाये हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है। कुछ जयपुर में लगाये हैं। परन्तु जो छोटे उद्योग हैं, वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहां भी गये हैं, उनको वहां पर सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा, जैसे कि कहा गया कि जयपुर में टीन बनाने की फैक्ट्रियां होंगी। तो उन्होंने देखा कि हम टीन बनायेंगे। यहां बहुत से डालडा वगैरह के खरीदने वाले हैं। वह टीन बिक जायेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने बड़े-बड़े उद्योगों को भी दे दिया। इससे उनको अपना काम बन्द करना पड़ा। आपकी इस नीति के कारण से उनको यहां से अपना काम बंद करना पड़ा। यह सरकार की रीति नीति की आलोचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जयपुर में हुआ है। इसी प्रकार से चूरू, लाडनूं बीकानेर है। वहां पर ऊन के कारखाने हैं। मैंने यह कहा था, वहां पर भेड़ें बहुत हैं। यहां से हम धागा निकालेंगे ऊनी कपड़ा बनायेंगे। लेकिन आज केवल आप धागा बनाकर रह गये हैं। हमने मैरीनो मांगी, मैरीनो मिली। आज केवल धागा बनाते हैं। धागा बनकर बाहर चला जाये और उस ऊनी धागे का कपड़ा बनकर लुधियाना से आये। लुधियाना से वह बम्बई चला जाये। तो क्या यह अच्छा होगा ? आप ले लें। उसका कम्बल बनायें। दूसरा ऊनी कपड़ा बनायें। इसमें हमें एतराज नहीं है। लेकिन हमारी जो मंशा थी उसको आपने पूरा नहीं किया है। इसलिए यह लाजमी बात है कि हमने उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया है। इसी तरह से रंग बनाने के कारखाने और बिजली के बल्ब बनाने के कारखाने हैं। और इसके साथ कई दूसरे कारखाने हैं। जिसमें लोगों ने पैसा लगा रखा है। परन्तु आपके जो रेट सेन्टर्स हैं, वह 15–16 के बड़े हुये हैं। वह आप खरीदेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो सरकारी मशीनरी है, उनके बारे में उसकी नीति ऐसी है, जो अच्छी नहीं है। आपकी मशीनरी यह कह देती है कि यह अच्छे नहीं हैं। इसीलिए बाहर से मंगा लेते हैं। यह बड़ी भारी शिकायत है। रेट सेन्टर्स के वक्त टेण्डर के 12 और 6 महीने उनको दिये गये। इसके साथ-साथ रंग के कारखाने हैं, उनके रेट सेन्टर्स खत्म कर दिये। आपके जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, वह अ. आफ राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब को सप्लाई करने के हैं। यहां तक कि उनको प्राईवेट लेटर तक लिखे गये हैं। यह भी बताया गया है कि यह रेट हैं। आप इससे हलका रेट भी दे सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह कौनसा तरीका है ? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्डस्ट्रीज मन्त्री महोदय के मार्फत निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि यह जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। आज तो यह है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, पर्टीक्युलर विषय में जाना नहीं चाहता हूं, आपके यहां उद्योग किसी तरह से बढ़े। बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसका यही कारण है। मैं निवेदन करूं कि आपकी कमेटियों के चेयरमैन हैं। किस गांव में कितना देना है। इस बारे में ही मैं आपके सामने निवेदन करूं कि नागौर जिले में ऐसे कल पुरजे बनते हैं जो कि दूर दूर तक जाते हैं। और लोग 'मेड इन इंगलैण्ड' की छाप लगाकर

(श्री दीपंकर)

ले जाकर उनको बेचते हैं। आप योजना बनाकर डेढ़ दो लाख लोग, लाडनूं, कुचामन और नागौर में इनमें काम में आ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग की मशीनें वहां पर लोग बनाना जानते हैं। किस प्रकार से उद्योग यहां पर बढ़ायें। यहां ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। यहां पर व्यवस्था नहीं होने के कारण ही ऐसा है।

दूसरा यह है कि विभागों में तालमेल ही नहीं है। अगर पानी की योजना में टैंक बना हुआ है, लेकिन उस टैंक में बिजली के कनेक्शन की समस्या है। कनेक्शन मिले तो पानी की समस्या हल हो सकती है। लेकिन आपका एक विभाग दूसरे विभाग के साथ नहीं है। बिजली वाले कह रहे हैं कि हम कनेक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। सामान नहीं है। किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं। कुवे खुदे हुए पड़े हैं। सरकार का पैसा लगा है। जब तक आप सम्भालेंगे नहीं तब तक क्या हो सकता है। काश्तकारों का धन्धा खराब हो रहा है। विभागों का आपस में ताल-मेल नहीं है। जब तक विभागों का ताल-मेल नहीं होगा, तब तक आप योजना कोई भी बनायें वह किस प्रकार से पूरी हो सकती है। इस प्रकार की योजना नहीं बनानी चाहिए। मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए एक विभाग दूसरे विभाग को कोआपरेट नहीं करता है। तो इन्डस्ट्रीज का काम नहीं चले ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं आपकी मार्फत ध्यान दिलाना चाहता हूं यह तो खुशी की बात है कि जो हमारे पश्चिमी इलाके में अमूमन जहां अकाल पड़ता है, चूरू है, नागौर है, वहां के लिए योजना बनाई है। परन्तु वह योजना आगे कहां बढ़ी, जैसे उसमें आई है कि दूध का विकास करेंगे, भेड़ों का विकास करेंगे, अच्छी नस्ल की भेड़ें लायेंगे और उसके साथ-साथ दूध की डेयरियां भी लगायेंगे, इस तरह की कई बातें गिनाई गई। यह भी कहा गया कि उपज बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे परन्तु मैं समझता हूं कि वह आपकी योजनाएं भेड़ पालक तक कहां पहुंच पायी। कितना उसको क्रियान्वित कर पाये हैं हमारे नागौर में एक भेड़ केन्द्र है, उसमें कितना ही स्टाफ दिया गया, बिल्डिंग बनाई गई और कितने ही रुपयों का सामान भी उस केन्द्र को दिया गया है उसके मुकाबले में उसकी बिल्डिंग को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमें इस प्रकार से योजना बनानी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा भेड़ पालक से डाइरेक्ट सम्बन्ध हो, उनके बीच में हम जायं और उनको पता चले कि उनकी भेड़ों की शक्ल क्या होगी, उसकी ऊन की शक्ल क्या होगी, उसको कितनी कीमत मिलेगी, जब तक ये सब बातें नहीं हो जाती तब क्या फायदा होने वाला है इसलिए हम योजना में यह मान लें कि वहां पर अकाल ज्यादा पड़ता है और अकाल राहत के लिए 6 करोड़ रुपया देते हैं, ऐसी कोई फर्म खोल लें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमको योजनाबद्ध तरीके से योजना विभाग के जरिये इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरह से जिन्दा रह सकते हैं अकाल में, नहीं तो गांव के गांव पिछड़े रह जायेंगे इसलिए प्रत्येक जिले, तहसील और

(श्री दीपंकर)

गांव के स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा तब तक हम परमानेन्ट फेमिन रिलीफ नहीं कर सकते हैं इसलिए यह कुछ समझ में नहीं आता है किस तरह योजनाएं बनायी जाती हैं जिसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो सरकार के विचाराधीन बताई जाती हैं परन्तु सरकार उनमें कुछ भी करती दिखाई नहीं देती। केवल यह कह दिया जाता है कि पानी के लिये इतना देंगे, बिजली पर इतना कर दिया, और सरकार यह करने जा रही है और वो कर रही है इस तरह की बातें की जाती हैं। इस तरह तो कभी भी फेमिन रिलीफ नहीं हो सकता है। अभी तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ लेकर नहीं आया अन्यथा बतलाता कि लोग छाल और लूंग लेजड़ी को मिलाकर रोटी खा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इससे सरकार की बदनामी हो, परन्तु यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हालत है। सरकार पूरा अन्न नहीं दे सकती, पूरे कपड़े नहीं दे सकती, रहने को मकान नहीं दे सकती, पूरा काम नहीं दे सकती परन्तु फिर भी वे लोग मजबूरी से वहां पर काम कर रहे हैं इसलिए कि भूखों मर जायेंगे काम नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनको ऊंचा उठाने के लिये इस वक्त कदम उठाये जाने चाहिए।

अब मैं बिजली के लिए निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के बारे में बड़ी दिक्कतें हैं, पैसा जमा हो जाता है परन्तु कनेक्शन नहीं मिलते, समाज कल्याण विभाग का पैसा जमा कर रखा है परन्तु उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। कहीं-कहीं पर तो ऐसी व्यवस्था है कि गांवों में, हमारे लाडनूं है वहां से कई मील दूर जाना पड़ता है पैसा जमा कराने के लिये। इसलिए ए.ई.एन का हैडक्वार्टर बहुत दूर पड़ता है, इस प्रकार की बातों की सुविधा हो जिससे आसानी से पैसा जमा कराया जा सके। लाडनूं में भी इस तरह की सुविधायें दी जानी चाहिए। इस तरह की छोटी-मोटी कई बातें हैं जिनकी ओर मैं मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और लोगबाग कुछ कहें इस प्रकार···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बस समाप्त कर रहा हूं। खादी संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ कहना है। इनके अन्दर कितने ही घोटाले हैं, कितने ही गांधी के चेले बने फिरते हैं और चोर हैं लाखों रुपये के घोटाले के केसेज उनके पीछे लगे हुए हैं, ऐसे गांधीवादियों की पोल खोली जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे कई लोग बने फिरते हैं जो शुद्ध गांधीवादी अपने आपको कहते हैं, वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आटा हाथ का पिसा हुआ खाते हैं, शुद्ध दूध और घी खाते हैं लेकिन जिन्होंने लाखों के गबन घोटाले किए हुए हैं। इसलिए इस सदन को विश्वास में लाते हुए खादी के बारे में खादी संस्थाओं के बारे में एक स्पष्ट चित्र सदन के सामने आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति···

एक माननीय सदस्य : कभी-कभी सच बोलते हो दीपंकरजी आप···

श्री दीपंकर : मैं हमेशा सच बोलता हूं आपको मालूम होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित विभाग के बारे में ही आप बोलिये।

श्री दीपंकर : अब, भूखण्ड के लिये जो बात कही गई उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। परन्तु शहरों में भी इसी प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए। आज गांवों के लोग आते हैं और शहरों में कहते हैं कि हमको सबको जमीनों के पट्टे मिल गये तो मैं चाहूंगा कि उनको भी किसी तरह से जल्दी से जल्दी भूखंड मिल जाय ताकि यह भी एक अच्छा काम हो सके और लोग इसकी प्रशंसा करें।

समाज कल्याण विभाग के निमित्त मुझे कुछ निवेदन करना है और वह यह है कि आज भी हम यह तो तय कर लेते हैं कि लाखों रुपया खर्च करना है, समाज कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, आज भी समाज कल्याण विभाग जिन पिछड़ी जातियों के लिये, आदिवासियों के लिये ऐसी योजनाएं बना रहा है उनकी हालत सुधारने के लिये, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये, उनको काम धन्धे उपलब्ध करने के लिये, बच्चों को मुफ्त भोजन आदि की और छात्रावास खोलने की कई इसी प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण विभाग के हाथ में हैं। परन्तु जितना लाभ उन योजनाओं से मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य स्तर पर इनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाय और इन सब समस्याओं को हल करने के लिये उपाय सुझाये जायं क्योंकि जहां सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है और उसका सही उपयोग नहीं होकर दुरुपयोग हो रहा है और जिसको फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इनके नाम पर कुछ ऐसे ऊंचे लोग हैं जो अपना गुजारा कर लेते हैं और कई प्रकार के घोटाले इसमें हो रहे हैं जिसका कोई इलाज तो होना चाहिए। छात्रावास जो चलाये जाते हैं उनमें छात्रों को अच्छी रोटी नहीं मिलती है, अन्य सुविधायें नहीं हैं, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, उचित मात्रा में कोई बन्दोबस्त नहीं है और व्यवस्थापक लोग मौज करते हैं, समाज कल्याण अधिकारी हलवा-पूरी उड़ाते हैं और छात्रों की कोई परवाह नहीं करते। इसलिए और भी कई बातें हैं जिनको अगर मैं कहूं तो सरकार के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। ऐसी तमाम शिक्षण संस्थाओं का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और उनमें यह तय होना चाहिए कि किस एरिया में कितना काम करेंगे, क्या कल्याण कार्य किये जायेंगे। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग पश्चिम और पूर्वी इलाके की बात करते हैं, और आवाज लगाते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए केवल अकाल की बातें होती हैं। पहले यही बात हाईकोर्ट के नाम से कही जाती थी। उसके बारे में तो मैं अब यहां नहीं बोलना चाहता हूँ परन्तु इसका मतलब यह हो जाता है कि वे एक तरफ की बात करते हैं परन्तु हम को यह समझना चाहिए कि सारा राजस्थान एक है और राजस्थान के समग्र विकास की बात सोचनी चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य यह कहकर क्या आप राजस्थान के लोगों की जबान बन्द करना चाहते हैं, क्या मतलब है आपका ?

श्री दीपंकर : नहीं, मेरा मतलब ऐसा कभी नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि आप

Page No 68

(68)

(श्री दीपंकर)

अपने इलाके की बात जरूर कहें और उसको पूरा भी करायें। लेकिन जहां आठ-दस साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पीने को पानी नहीं है वे प्यासे मर रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दें, तो कम से कम यह तो नहीं होना चाहिए। जहां अकाल पड़ रहा है वहां पर कुछ नहीं दें और आप सारी सुविधाओं की आशा रखें, उनको खाना भी पूरा नहीं मिले, तकावी नहीं मिले, बीज नहीं, खाद नहीं कुछ भी नहीं और फिर भी हम तो अभाव में ही जी रहे हैं। फिर भी हमारे दिमाग में तो यह है कि सारे राजस्थान का विकास होना चाहिए। आपके दिमाग में पूर्व और पश्चिम की बात है। हम विरोधी तो नहीं हैं परन्तु जो योजना हम लोगों के लिए बनाई जा चुकी है और भारत सरकार तक पहुंच चुकी है उसका कम से कम विरोध तो मत करिये जिससे भारत सरकार को यह बात पहुंचे कि उनमें भेद-भाव की बात है, ऐसा तो मत करिये कम से कम इसलिए अन्त में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने कोई पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं किया है, सरकार ने अब तक आवश्यकता अनुभव करते हुए समग्र दृष्टि से राजस्थान के विकास के लिए, जो मौजूदा समस्यायें हैं उनका समाधान करने के लिए जिस तरह से वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है, हर तरह के विकास के लिए बजट बना कर यहां पेश किया है, यह बजट हरे कलर का है, यह आकाशीय रंग है। इससे मालूम पड़ता है कि सरकार की योजनायें विशाल और महान् हैं और मंत्री महोदय का हृदय भी विशाल और महान् है आकाश की तरह से, जिसका कोई अन्त नहीं है। मैं समझता हूं उन्होंने उदार दृष्टिकोण से इस भाषण में विशाल और महान् हृदय का परिचय दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन इसमें जो कमी रही है उनकी ओर मैंने और माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है, इसको अन्यथा न लेने की और जो कमी है उनको दुरुस्त करने की कृपा करें। इतना ही मुझे निवेदन करना है। अन्त में मैं एक बार और माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर वाद-विवाद का यह दूसरा दिन है। जहां तक बजट की सुन्दरता और कलेवर का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी होशियारी के साथ सदन में बजट पेश किया गया है और हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे ही जिले चूरू के रहने वाले रिप्रेजेन्टेटिव श्रीमान् वित्त मंत्री महोदय की तरफ से यह बजट पेश किया गया है। लेकिन असल में जो यह बजट यहां पर ऊपर से खूबसूरत मालूम पड़ता है, बड़ा रोचक मालूम पड़ता है, तरह-तरह के पैबन्द लगाकर इसे सुन्दर बनाने की चेष्टा की गई है, कवर को उठा कर देखने पर इसके अन्दर दुर्गन्ध मालूम पड़ती है। अकाल पीड़ित राजस्थान के अन्दर जनता बुरी तरह से परेशान है, उसका चीत्कार इस बजट में दबोचा गया है। राजस्थान की जनता की

(श्री मोहरसिंह)
दिन पर दिन जो समस्यायें उभर रही हैं, उनको इसमें एक तरह से तोड़ मरोड़ कर रखा गया है ग्रौर उनका उपचार या समाधान, मैं समझता हूं, इस बजट के ग्रन्दर समाविष्ट नहीं है।

कहा गया है कि यह लाभ का बजट है, 12 लाख की शुद्ध बचत इसमें बतलायी गई है, लेकिन कितने ग्राडम्बर के साथ। 28 करोड़ के टैक्स ग्रौर पिछली साल के मिलाकर 42 करोड़ के टैक्स हमने लगाये हैं ग्रौर यह परम्परा डाल दी है, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर ग्रध्यादेश के जरिये टैक्स लगाने की ग्रध्यादेश के जरिये जनता को भोंदू बनाने की प्रक्रिया डाल दी है, यह प्रोसीजर डाला है। तो 28 करोड़ और 14 करोड़, यानि 40, 42 करोड़ के टैक्स पिछले दिनों लगाये हैं, जिनमें से 28 करोड़ इस साल वसूल किये जायेंगे। इससे ग्रागे ग्राने वाले बारह महीनों में क्या गारन्टी है कि ग्रध्यादेश निकाल कर बजट को पूरा करने के लिए या खर्च को ग्रागे बढ़ाने के लिए ग्रौर टैक्स नहीं लगाये जायेंगे। इस बजट के ग्रन्दर, जो ग्रापने गरीब जनता पर धोखेपूर्ण, भ्रमपूर्ण ग्रौर पाखण्डपूर्ण ढंग से पिछली साल में टैक्स लगाये हैं, उनको छिपाया है ग्रौर इसे लाभ में परिवर्तित करके इस हाउस में दिखाया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कोई चीज इसके ग्रन्दर डाली जाती है तो वह छिपी नहीं रह सकती है। ग्रब ग्रापने किस तरह से यह 12 लाख का शुद्ध लाभ बताया है। 28 करोड़ के तो टैक्स इस साल ले लिये जायेंगे, इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जो राजकीय उद्योग हैं, चार, पांच, छः साल से उन पर जो खर्च किया जाता रहा है, इस बजट को उठा कर देखियेगा, कहां है उसका प्रावधान। इसके ग्रलावा ग्रापने 10 करोड़ और 68 लाख ग्रकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए, अकालग्रस्त क्षेत्र में काम खोलने के लिये, ग्रौर इन्तजाम करने के लिए दिखाया है। यह 10 करोड़ ग्रौर कुछ लाख रुपये का प्रावधान इसमें ग्रकाल राहत कार्य के लिए बताया गया है। जबकि ग्राज से चार–पांच वर्ष पहले एक ग्ररब ग्रौर 15 करोड़ का खर्चा हुग्रा. पिछले ग्रकाल के ग्रन्दर भी 51 करोड़ का प्रावधान था। ग्रब दस करोड़ ग्रौर कुछ लाख का प्रावधान ग्रकाल के लिए है, जबकि भीषण ग्रकाल है। इस बार कहां तो लोग काम करने जायेंगे, कहां काम खोले जायेंगे। बार-बार यहां कहा जा रहा है, ग्रकाल की समस्या को लेकर सवाल ग्राते हैं तो जवाब में लीपापोती होती है। ग्रभी इस बात पर कुछ विचार नहीं किया गया है कि वास्तव में उन लोगों के लिए क्या इन्तजाम किया जायगा। जिस प्रकार का प्रावधान पाते हैं, ग्रकाल के लिए प्रावधान 10 करोड़ ग्रौर कुछ लाख का है, यह पीड़ित जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं तो क्या है? क्या इसे समाजवादी बजट कह सकते हैं? क्या समाजवाद के नक्शे कदम पर बढ़ने वाला यह बजट है? क्या हम प्रजातन्त्र के ग्रनुरूप हमारे इस बजट को रख रहे हैं? यह हमारी धारणायें गलत हैं, यह तरीका गलत है। ग्राप देख लीजिये, जो ग्रकाल से ग्रफेक्टेड ग्रवाम है उसके लिए मात्र 10 करोड़ ग्रौर कुछ लाख का खर्च

(श्री मोहरसिंह)

करना है, यह उनके साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? अकाल के लिए 40 करोड़ कम रखे हैं। इस साल 10 करोड़ और कुछ लाख रुपये रखे हैं जबकि पिछले साल में 51 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। तो 40 करोड़ इसमें से काट लिया गया है और 28 करोड़ के टैक्स इस साल के लिए बजट के पहले लगा दिये गये हैं। इस प्रकार 68 करोड़ के घाटे को आप 12 लाख का लाभ बता रहे हैं। यह किस प्रकार जनता के साथ खिलवाड़ करने की और किस प्रकार उसको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। यह बात गलत है कि घाटा नहीं है, शुद्ध लाभ है। साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा है कि आठ करोड़ सेन्टर हमें दे देगा तो हम अपना घाटा पूरा कर लेंगे। सेन्टर ने पहले भी आपको निहाल कर दिया है। लोग आज भूख से मर रहे हैं, कहीं सात मरे हैं कहीं दो मरे हैं। लोग खेजड़ी के पत्ते खा रहे हैं, खेजड़ी की छाल को उतार कर खा रहे हैं और सेन्टर लम्बी तान कर चैन की बंशी बजा रहा है, सेन्टर बेखबर है, दिल्ली में बैठी हुई केन्द्रीय सरकार को यह नहीं मालूम है कि राजस्थान की जनता की क्या हालत है, किस विषम परिस्थिति में से होकर राजस्थान का अवाम गुजर रहा है। आप सेन्टर से यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि वह आठ करोड़ का आपका घाटा पूरा कर देगा सेन्टर ने आपका रॉक फॉस्फेट बिकवा दिया, सेन्टर ने आपके दूसरे खनिज पदार्थ बिकवा दिये, हमारी बिजली आज दूसरे प्रान्तों को दी जा रही है। जहां तक ऋण का प्रश्न है वन पर्सेन्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिया जा रहा है। क्या यह सौतेला व्यवहार नहीं है? तो फिर भी आप सेन्टर से शिकायत न करें, सेन्टर के सामने अपनी बात रखने की बात नहीं सोच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सेन्टर से उम्मीद लगाने के बजाय, मैं समझता हूं कि हमें सेन्टर से जबर्दस्त और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें यह उचित नहीं है कि सारा दायित्व हम कांग्रेस पर छोड़ें, आवश्यकता पड़ी तो हमें इस मसले के ऊपर, अकाल का जो मसला है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सेन्टर के पास जाकर आवाज बुलन्द करनी चाहिए। सेन्टर में हमारी लाबी कमजोर है, इस कमी के कारण ही वहां पर हमारी आवाज बुलन्द नहीं होती है। उसका नतीजा यह है। तो मैं कह रहा था कि 68 करोड़ का घाटा है। इसके अलावा आप आठ करोड़ की उम्मीद सेन्टर से लगा कर बैठे हैं, यह आपका ख्याली पुलाव है। सेन्टर की मर्जी होगी तो वह दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। आज तक उसका जो रास्ता है, आज तक उसका तरीका रहा है और आज तक जो उपेक्षावृत्ति रही है वह इस बात का द्योतक है कि आप सेन्टर से उम्मीद न करें और सेन्टर से लड़ने की ओर आप कदम बढ़ायें। हो सकता है कि आपका रास्ता लड़ने का नहीं हो लेकिन मैं मार्क्सवादी हूं, मैं लड़ने के लिए कह सकता हूं, मैं आंदोलन करने के लिए कह सकता हूं। आज अकाल भीषण है और अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाना आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मुख्य मंत्री से और उसके साथ-साथ अलग अलग मंत्री हैं, हमारे चूरू जिले के वित्त मंत्री हैं उनको मेरा कहना है कि इस प्रकार का भ्रम जनता को न दिया जाय। सेन्टर से

(श्री मोहरसिंह)

उतनी ही उम्मीद रखी जाय, जितनी उम्मीद पूरी सेन्टर आज तक आपकी करता रहा है। इस साल, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के मसले के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत पैदा की जा रही है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हम एक तरफ टैक्स लगाते हैं और कहा करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हालत क्या है, नजर उठा कर देखें तो आपको जयपुर में बैठ कर पता नहीं लगेगा। वह हालत आपको चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलेगी, उदयपुर में मिलेगी, राजस्थान के गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों में, जहां अकालपीड़ित जनता रही है, वहां मालूम होगा कि अकाल का कैसा भीषण-नृत्य आज होने लगा है ? उपाध्यक्ष महोदय बजट का अर्थ होता है, बजट कुछ मायने के लिए रखा जाता है। जनता की दिन-रात बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान बजट द्वारा होता है, प्रजातंत्र के रास्ते को प्रशस्त करने वाला बजट होता है, समाजवाद की ओर बढ़ाने के लिए बजट होता है। इस रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ बजट होना चाहिए, इस प्रकार का बजट हमारा होना चाहिए। मैंने जहां तक इस बजट के अन्दर देखा है, मैं ऐलानिया तौर पर कह सकता हूं, यह बजट न लाभ का बजट है, न यह बजट हमारी जनता की समस्याओं का समाधान करने वाला बजट है, न यह बजट पंचवर्षीय योजना को पूरा कर सकेगा, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल की योजना रखी है, उसको, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा नहीं कर सकेगा इसलिए कि भाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर भावों का सारा विवरण मैं पेश करूं कि भाव किस प्रकार से बढ़ गए तो मैं आपके सामने बता सकता हूं कि करीब तीन गुना भाव बढ़ गए और भी बढ़ेंगे उसके बाद यह कहा जाए कि पंचवर्षीय योजना हम पूरी कर लेंगे, तो यह नहीं हो सकेगा। कहा जाता है कि भावों में गिरावट आई है। उपाध्यक्षजी, आप किसान हैं और मैं भी किसान हूं। जिस समय फसल आने वाली होती है तो पूंजीवाद के सहारे पर चलने वाली यह हकूमत भाव रोक दिया करती है लेकिन जल्द ही भाव बढ़ जाते हैं। इसी तरह से भाव थोड़े-थोड़े गिराए जा रहे हैं 3 महीने से लेकिन जल्दी ही तेजी आप देख लेना। मेरे पास इस बात का सबूत है कि कुल मिलाकर भाव कितना आगे गए हैं ? 2।। गुना, 3 गुना, 4 गुना भाव इतने बढ़ गए कि पंचवर्षीय योजना के लिए हम कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए की है और वह पूरी हो जाएगी पर यह कभी पूरी नहीं हो सकेगी।

इसी तरह से अभी-अभी कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के साथ भेद-भाव किया गया है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह कोई आदर्श बात नहीं है। हम सारे राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति लगा दें। सदन में हमारा कर्त्तव्य है, जिम्मेदारी है कि सारे राजस्थान की बात को रखें, आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए क्योंकि सारा राजस्थान हमारा है। 2.70 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी है। इस भावना को मानते हुए आगे चलें। लेकिन यहां क्षेत्रीयता की बात आई तो सरकार को देखना चाहिए कि क्या हम राजस्थान को समान रूप से आगे बढ़ा रहे हैं ? विकास के काम सही ढंग से सारी जनता को दे रहे हैं ? मुझे भी शिकायत

(श्री मोहरसिंह)

है। वित्तमंत्रीजी मेरे जिले के रहने वाले हैं। मेरे इलाके के साथ भी पक्षपात किया जा रहा है। यह इलाका हरियाणा के नजदीक है। हरियाणा के अन्दर गांव-गांव में बिजली, जगह-जगह पर सड़कें और नहरें दिखाई दे रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वहां नहर, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बिजली, सब कुछ है। इधर हम राजस्थान के नागरिक हैं जो राजस्थान हरियाणा से भी पहले बना, हरियाणा बाद में बना। 26-27 वर्ष बाद भी यहां पीने के पानी का इन्तजाम नहीं, इन्तजाम तो दूर रहा केवल 17 प्रतिशत ही अभी भी राजस्थान में सिंचित इलाका है। तो जहां तक सड़कों का सवाल है, पीने के पानी का सवाल है और सिंचाई के पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है मेरे इलाके के लोगों को भी शिकायत है। यह नहीं है कि भाखरा की वजह से झुंझुनू का इलाका ज्यादा से ज्यादा विकसित कर दिया गया हो। तो जो हरियाणा के नजदीक का इलाका है उसको आम तौर से शिकायत है, अब उसको रोका नहीं जायगा। वे लोग दुःखी हैं, परेशान हैं, तो जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि समान रूप से सारे इलाका का विकास किया जाए ज्यादा से ज्यादा।

इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि वास्तव में आपका जो बजट है वह समस्याओं को सही रूप से नहीं सुलझाएगा। आपने देखा कि 17 फरवरी से विधान सभा का सेशन चला, हमारी कैबिनेट कतराती है, वह विधान सभा सेशन नहीं बुलाना चाहती, 6 महीने के बाद ही बुलाती है। एक माननीय सदस्य दुहाई दे रहे थे कि सेशन को बार-बार बुलाया जाए खास तौर से जब विकट समस्यायें हों। लेकिन सरकार तो 6 महीने बाद ही बुलायेगी क्योंकि कानूनन उनको ऐसा करना पड़ता है, तभी मुख्य मंत्री सदन को बुलाते हैं। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

इसी तरह से 17 तारीख से 3 तक जिस दिन बजट पेश किया गया, रोजाना जनता की भावनाओं को यहां बाहर प्रदर्शन के रूप में हमने देखा, भीतर सवालों के रूप में, स्थगन प्रस्तावों द्वारा देखा कि जनता की समस्याएं उभर रही हैं, लेकिन हमारी सरकार चैन की बंसी बजा रही है। पीने के पानी तक की अकाल में अन्न की जरूरत है उसके लिए केवल 10 करोड़ रखें। जब जनता शोर करती है तब आप कुछ करते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को जून, जुलाई और सितम्बर की तीन किश्तें महंगाई भत्ते की दी गई हैं, दो तीन किश्तें और बाकी हैं, प्राध्यापक नए वेतन-मानों के लिए कह रहे हैं, तीन हजार डाक्टर बेरोजगार हैं, इन सब बातों के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए था लेकिन सरकार के लिए आवश्यकता ही क्या है? आर. ए. सी. जनता को पिटवाने के लिए जो है उसके लिए बजट में अच्छा प्रावधान है, वह आर. ए. सी. जनता को कूट-कूट कर सही रास्ता बताएगी। अगर समस्यायें हैं तो आर.ए.सी. अश्रु गैस बरसाकर ठीक कर देगी, यही आपकी परम्परा है। यह सरकार समाजवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए जो बजट पेश किया गया उस पर डिटेल में मांगों के समय बोलूंगा कि वास्तव में यह दिखाने के लिए

(श्री मोहरसिंह)
रोचक, सुन्दर बजट है, इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है लेकिन इसके अन्दर बदबू है, आटोक्रेसी, फासिज्म है, यह एन्टी-पीजेन्ट्री है।

हां एक बात मैं कहना भूल गया। हमारी बहन इन्दिरा गांधी ने एक आवाज लगायी है और हमारी केबीनेट ने भी उसी आवाज को पकड़ा है कि किसान समृद्धशाली बनता जा रहा है क्योंकि ट्यूबवेल्स पर बिजली लगाई है, बिजली की दर 13 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ा कर 23 पैसे प्रति यूनिट कर दी गयी। सरकार को सुगंध आने लगी उसको किसान आगे बढ़ता हुआ नजर आया। जो 28 करोड़ के कर लगाए हैं वे ज्यादातर किसानों पर लगे हैं। सरकार के समाजवाद का नक्शा उभर आया है। किसान की चमड़ी को और उतारना चाहते हैं, यह है आपका बजट।

तो यह बजट एन्टी-पीजेन्ट, एन्टी-लेबर, एन्टी-पीपुल बजट है। प्रजातंत्र के रास्ते को छोड़ कर फासिज्म को और बढ़ाने वाला यह बजट है और जनता की भावनाओं को दमन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने वाला यह बजट सिद्ध होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री द्वारा जो 75–76 का बजट सदन में पेश किया है उसका स्वागत करता हूं। इस बजट में इस बात का विशेष तौर से यह ध्यान रखा गया है कि आज के जमाने में जब कि आवश्यक वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं और लोगों के लिये आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है तब राज्य सरकार ने कोई कर राजस्थान की जनता पर इस बजट में नहीं लगाये हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। इस बजट को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि अपने रिसोंसिज कितने हैं, कितनी पूंजी अपने पास है और उससे हम कितना काम कर सकते हैं और जो काम जरूरी हैं उन्हें पहले किया जाना चाहिये इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। इस बजट में सबसे अधिक ध्यान सिंचाई की ओर दिया गया है क्योंकि आज हम जब कि हरित क्रांति हमारे यहां पर लाना चाहते हैं तो हमें सबसे अधिक ध्यान इर्रीगेशन पर देना चाहिये। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि काश्तकार को सिंचाई के पूर्ण साधन उपलब्ध हों। तो उसके लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये कुओं को बिजली देने के लिये प्रावधान रखा गया है। इस पर जो पहले कर लगाये गये थे वह चूंकि राज्य सरकार जो कर लगाती है उसके लिये राज्य सरकार इन्हीं बातों पर खर्च करती है और केन्द्रीय सरकार जो कर लगाती है वह जब कभी कोई देश पर आक्रमण हो तब वह धनराशि उस वक्त काम में आती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगा कर राज्य के वित्त मन्त्रीजी ने एक सन्तुलित बजट पेश किया है। इसके अलावा बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राज्य

(श्री माणकचन्द सोगानी)

सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन में जो महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा है उसके लिये भी प्रावधान रखा गया है इसके लिये भी मैं मन्त्री महोदय की सराहना करूंगा क्योंकि राज्य सरकार का भी फर्ज उनके लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने बजट भाषण में देखा कि राज्य सरकार ने रेगिस्तान को ठीक करने के लिये एक 50 करोड़ रुपये की योजना बनायी है। उपाध्यक्ष महोदय हर दफा यहां पर अकाल पड़ता है जिससे कि राज्य सरकार को वहां पर पैसा खर्च करना पड़ता है इसलिये राज्य सरकार ने इस बार एक डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाने की भी योजना रखी है। उपाध्यक्ष महोदय यह जो 50 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान है उस रकम को इस तरह से खर्च किया जायेगा कि जिससे हम आईन्दा पड़ने वाले अकाल से मुकाबला कर सकें और ऐसी परिस्थिति वहां पर पैदा कर दें कि अकाल नहीं पड़ सके। यह 50 करोड़ रुपये का जो इनवेस्टमेन्ट है वह एक तरह से अकाल को समाप्त करने के लिये पहला चरण है। इस तमाम एरिया को खेती के काबिल बनाया जा रहा है। वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाये जा रहे हैं जिससे प्रोडेक्शन बढ़ेगा तो हमारी बहुत सी प्रौबलम्स समाप्त हो जायेंगी। इसके अलावा बजट में पेय जल की समस्या को सुधारने के लिये सर्वे किया गया है। राज्य सरकार बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये कुछ योजनायें बना रही है। आज राज्य सरकार जो शहरों में और दूसरी जगह पेय जल के लिये जो योजनायें बना रही है उसमें मैं अपने ही क्षेत्र के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे राजस्थान का हृदय बिन्दु है वहां पर आज भी पानी की बड़ी भारी किल्लत है, आज अजमेर के अलावा ब्यावर, किशनगढ़ और नसीराबाद जो कि अजमेर जिले के छोटे-छोटे टाउन हैं वहां पर भी बजट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार पेय जल की समस्या के लिये कुछ हल निकालने जा रही है। लेकिन इसमें मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो प्रावधान रखा है वह पांच साल में चार करोड़ के खर्चे का रखा है इसमें से इस साल आप 20 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं। वह तो आप शायद पाइप वगैरह के लिये ही खर्च कर देंगे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कि आज कीमतें बढ़ रही हैं यह योजना चार करोड़ से काफी अधिक खर्चे की हो जायेगी। वैसे तो जो सर्वे कराया गया था उसमें 14 करोड़ की स्कीम बनी थी लेकिन आपने चार करोड़ ही रखे हैं वह कम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी बनास से पानी लाने के लिये दो सौ लाख रुपये एल. आई. सी. लोन से लेकर बनायी थी पर वह पूरी तरह समस्या का हल नहीं कर सकी। अब की बार बनास पर एक बांध बनाने की स्कीम है यह एक उत्तम चीज है और फिर वहां से पानी लाया जायेगा। अगर यह स्कीम बना दी जाती है और पूरी तरह से सही ढंग से कार्यान्वित हो जाती है तो वहां की जनता को काफी सन्तोष होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन का सवाल है वहां तक तो ठीक इससे हो

(श्री माणकचन्द सोगानी)

जायेगा। इसके अलावा जनता के लिये शुद्ध पेय जल की भी जनता के स्वास्थ्य के लिये बहुत आवश्यकता होती है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पेय जल को पहुंचाने के लिये व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ वित्त मन्त्रीजी ने दैवी विपदाओं का सामना करने के लिये 21.93 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह एक तरह से रिजर्व फण्ड की तरह है इसके लिये मैं मन्त्री महोदय की सूझबूझ के लिये सराहना करूंगा। इसके अलावा मैंने यह भी देखा कि जो लोग करों की चोरी करते थे उनके विरोध में अभियान राज्य सरकार ने चलाया और वह काफी हद तक सफल रहा है। करों की चोरी करके लोग काला धन कमाते थे और देश में कीमतों के बढ़ने का यह भी एक मुख्य कारण था। इसके लिये राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष तौर का अभियान चलाया और उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले सितम्बर से चीजों के भाव स्टेबल हो गये हैं और कई भावों में गिरावट भी आयी है। पिछले साल जो गेहूं इन दिनों में 250 रुपये क्विन्टल थे वह आज 200 रुपये के भाव हो गये हैं। यह काफी अच्छा फर्क है। इससे लोगों को लाभ मिला है। इससे लोगों को जो कि काला धन पैदा करते थे और काफी स्टाक इकट्ठा करते थे, जिससे कि लोगों को माल नहीं मिलता और फिर कीमतें बढ़ती थी। इस अभियान के चलने से लोगों में काला धन इकट्ठा करने की हिम्मत खत्म हो गयी है और लोगों में एक प्रकार का भय पैदा हो गया है। लोगों का मोरल गिर गया। यह गवर्नमेन्ट का एक बहुत ही अच्छा कदम है। यह मैं इसलिये कह सकता हूं कि इन्कम टैक्स के मामले में मेरा व्यापारियों से काम पड़ता रहता है इसलिये मैं जानता हूं जो अब यह कह रहे हैं कि उनके पास जो रुपया है उसके लिये गवर्नमेन्ट कुछ ऐसी स्कीम्स चलाये जैसी कि पहले चलायी थी उसमें कुछ सहूलियतें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी थीं उस वक्त तो वह लोग उसका फायदा नहीं उठा सके लेकिन अब अगर इस तरह की कोई स्कीम्स चालू करे कि जैसे किसी व्यक्ति के पास चार लाख रुपये का काला धन है तो उसमें से दो लाख रुपया अगर सरकार ले ले और दो लाख रुपये उनके पास रह जाये तो वह अपने दो लाख रुपये को बाजार में व्याज में ला सके और उसका लाभ उठा सके। हमारे राजस्थान में भी सेल्स टैक्स वगैराह के अन्दर छापे मारे गये हैं। केन्द्रीय सरकार की मशीनरी भी आज जो छापे मार रही है जिसका कि आप लोग अभी अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जयपुर के राजघराने पर छापे मारे गये हैं और करोड़ों रुपये का काला धन भारतीय सरकार की मशीनरी ने पकड़ा है। अब उसके बारे में संसद् में भी इस प्रकार का सवाल उनके बारे में आया तो उसमें यह कहा गया कि कानून तो सबके लिये बराबर है तो फिर राजघराने को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिये कानून तो सबके लिये बराबर है चाहे वह राजा हो, या रंक, चाहे वह अमीर हो या गरीब कानून सबके लिये एक तरह से लागू होना चाहिये।

इसके अलावा इस बजट में यह भी देखा गया है कि गवर्नमेंट ने डेयरी प्लान्ट लगाने के लिए पांच जगह चुनी हैं जिसमें चिलिंग

(श्री माणकचन्द सोगानी)

प्लान्ट लगाया जायेगा। इसमें बाहर से मदद भी ली जायेगी। यह एक अच्छा कार्य है। दूध उपाध्यक्ष महोदय जनता के स्वास्थ्य के लिये अनिवार्य है। लेकिन इसमें दूध में लोग काफी मिलावट के केसेज अब आये दिन सुनते रहते थे उसके लिए मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और कई मजिस्ट्रेट इसके लिए एपोइन्ट किये गये जो कि दूध में मिलावट करने वालों को सजा देते हैं इससे आजकल दूध में मिलावट कम हो रही है ऐसा मैं मान कर चलता हूं। क्योंकि लोगों में भय पैदा हो गया है। नहीं तो पहले दूध में मिलावट करना लोग अनिवार्य समझते थे अब मिलावट करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के साथ-साथ बिजली का भी काफी जोरों का विकास करने जा रही है। आज 132 के.वी. लाइन धौलपुर से ब्यावर तक आ रही है उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि अगर यह 132 के.वी. लाइन अजमेर तक और किशनगढ़ तक आ जावे तो ठीक रहेगा। अजमेर से ब्यावर 30 मील दूर ही है। ब्यावर से इसमें कोई विशेष ज्यादा खर्च लगने वाला नहीं है क्योंकि ब्यावर तक तो 132 के. वी. लाइन आ ही रही है। उपाध्यक्ष महोदय इस समय यह बात भी निवेदन करना उचित समझता हूं कि आज अजमेर और किशनगढ़ में करीब 3000 पावर लूम लगे हुए हैं जिससे राज्य सरकार को एक्साइज ड्यूटी के ढाई करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं तथा इसके अलावा उसको इन से सेल्स टैक्स भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये गवर्नमेंट को चाहिये कि कामर्शियल बे में सोच कर व्यापारियों को अधिक से अधिक बिजली सप्लाई की जानी चाहिये। इसमें जितनी जल्दी राज्य सरकार करे उतना ही अच्छा है ऐसा मेरा आग्रह है। बजट में यह बताया गया है कि इस साल 10 हजार कुओं में बिजली दी जावेगी एक हजार बस्तियों में बिजली दी जावेगी और साथ–साथ यह जरूरी बात है जो उसमें लिखी हुई है कि हमारे यहां पर राजस्थान नहर और चम्बल नहर इन योजनाओं पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। विश्व बैंक से हमको मदद मिल रही है। इन नहरों पर रकम लगेगी उसमे राजस्थान सेल्फ सफिशियेन्सी की ओर बढ़ेगा। और जल्दी ही वर्ना तो आस-पास भी हमको इनमे निकलने वाली चीजें जैसे गेहूं इत्यादि हम सप्लाई कर सकेंगे।

टोंक में लेदर का काम हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू इत्यादि में ऊन की कताई बुनाई का जो उल्लेख है और जिससे रोजगार और उद्योगों के लिए बताया गया है, यह अच्छी बात है।

एक बात आती है। हमारे यहां पर अनएम्पलायमेंट बढ़ा हुआ है। देखने में यह आता है कि कालेज से जो निकले हुए विद्यार्थी हैं चाहते है कि उनको सरकार की नौकरी मिले। यह तो एक लिमिट में ही मिलेगी। यह नहीं सोचा गया है कि जोब ओरियेन्टेड पढ़ायी हो, तब ही हम इस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। जैसे खाती के परिवार का लड़का है वह पढ़ने के बाद बढ़ई का काम करे। मोडर्न फर्नीचर बना

(श्री माणकचन्द सोगानी)
रहे हैं, वह उसमें अपनी शक्ति लगाये तो कहीं ज्यादा कमाई कर सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के विषय पर जब मदद ली जावेगी उस वक्त आप बोल लीजिये।

श्री माणकचन्द सोगानी : थैंक्यू सर।

इस वक्त इतना ही कहना है कि जहां तक बजट में बताया गया है कि कोग्रोपरेटिव सोसाइटी के द्वारा मकान बनाने के लिए सौ रुपया परिवार वीकर सैक्शन से लिया जाकर 300 रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जावेगा जो कि 20 वर्ष में वापिस लिया जावेगा। मेरा कटु अनुभव है। यह चीज जो इसमें लिखी हुई है पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाय तो काफी उत्तम चीज बनेगी। मैं खुद जानता हूं। दो तीन कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज मैंने अपने माध्यम से बनायी, आज तक मदद नहीं मिली। यह चीज कई माने में अच्छी लिखी हुई है लेकिन यदि इनकी क्रियान्विति हो जाय तो सही माने में लोगों को लाभ मिल सकता है। वृद्धावस्था पेन्शन के लिए भी इसमें लिखा हुआ। इसका भी मुझे अपने क्षेत्र का कटु अनुभव है। कागज लेकर मैं गया हूं। असिस्टेन्ट मैंने रख रखा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है। बीस-तीस रुपया माहवार उसका मिलना चाहिये, ऐसे केसेज होते हैं कि शायद वह गरीब आदमी परधाम पहुंच जाय लेकिन उसको यह पेन्शन नहीं मिल पाती है। इसलिये ऐसे सरल नियम बनाने चाहिये कि जिससे यह मिल सके समय पर लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री माणकचन्द सोगानी : दो मिनट।

सेन्ट्रल मोटर वर्कशाप अजमेर में खोला गया है। इतनी मशीनरी है कि दो बोडी रोज बन जाय। लेकिन साल भर में 30 बोडी बनी है। इसलिये चीज के होते हुए भी उपयोग नहीं हो रहा है उस ओर देखने की आवश्यकता है।

अजमेर में रेल्वे का कारखाना है। लेबर है। उनके रिटायर होने पर जो शक्ति उनके पास रहती है उनको इस काम में लगाया जाय, मोटर की बोडी बनाने में उनकी इस शक्ति को काम में लाया जाय तो उनको तो रोजगार मिलेगा और चीज भी बनेगी वह अच्छी बनेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगमोहनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री रणजीतसिंह।

श्री जगमोहन सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी.....

श्री उपाध्यक्ष : I called you but you were not present.

श्री जगमोहनसिंह : मैं आ ही गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जब नाम पुकारा गया उस समय तो प्रजेन्ट नहीं थे और जब दूसरों का नाम काल कर लिया, अब समय लेना चाहते हैं। इट इज नोट पोसीबल।

श्री जगमोहनसिंह : मैं तो पूरे सत्र में एक बार भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जगमोहनसिंह : When shall I be given the opportunity to speak ?

श्री उपाध्यक्ष : When I shall finish this list you will certainly get the opportunity, if it would be possible.

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट ढाई करोड़ जनता की आशा का एक जरिया है। बजट में जो दिशा राज्य सरकार ने दी है उसमें किसी दिशा की ओर ध्यान नहीं दिया है। छोटे-छोटे मुद्दों पर विशेष न जाकर कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आज बजट के अन्दर आंकड़ों के माध्यम से कोई कर दिखाया नहीं गया है कोई टैक्स नहीं लगाया है, यह अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि जनता यह महसूस करती है कि कर नहीं लगा, बुरा इसलिए कि आगे राजस्थान कितनी प्रगति कर सकेगा बिना पैसे के यह देखने की बात है।

शिक्षा के माध्यम से काफी स्कूलें खोलने की बात कही गयी है। जिस तरह की आज की शिक्षा प्रणाली है, क्या यह राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल बना सकेगी ? इस पर सदन को गहरा चिन्तन करना है। आज जो शिक्षा की स्थिति है, जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बड़े-बड़े मतभेद हैं। जो समाजवाद लाना चाहते हैं वह समाजवाद आज की इस शिक्षा से नहीं ला सकते। जिस तरह से शिक्षा की प्रणाली है और पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें बड़ा अन्तर है। आज कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनना चाहता है, गरीब मजदूर का लड़का पढ़ाई भी करेगा लेकिन बढ़ नहीं सकेगा। दो तरह की शिक्षा चल रही है। उच्च वर्ग की शिक्षा लेने की प्रणाली दूसरी है, गरीब आदमियों की दूसरी है। जिस तरह का ढांचा ढाल रखा है उसमें गरीब आदमी की फिटिंग हो नहीं सकती। जिस तरह के स्कूल्स चल रहे हैं, सैंट जेवीयर आदि, उनको खत्म करके एक जैसी शिक्षा होनी चाहिये। एक जैसी शिक्षा लेकर गरीब के लड़के बढ़ सकते हैं वरना गरीब के लड़के आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस तरह से स्कूल खोल रहे हैं, उस तरह से तो आंकड़ों में अच्छा रहेगा कि शिक्षा में बहुत तरक्की कर रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद जो गरीब अपने बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाता है, ऐसा लगता है जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि सब को तो नौकरियां नहीं मिल सकती, पढ़ाई तो अक्ल लेने के लिए है, लेकिन उससे आज की

(श्री रणजीतसिंह)

शिक्षा से कोई दिशा नहीं है। इस बजट में भी उसके लिए कोई दिशा नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे क्या करेगा। उसका भविष्य कैसा होगा? विद्यार्थियों का दोष नहीं। दूसरे जो तबके हैं वे विद्यार्थियों को गलत रास्ते डालते हैं और यही कारण है कि आज विद्यार्थियों में आक्रोश है। आक्रोश के कारण देश का क्या भविष्य बनेगा यह बिल्कुल अन्धेरे में है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बजट में विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में कुछ भी चिन्तन नहीं दिया गया है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिये कि विद्यार्थियों को कोई दिशा मिलती कि तुमको यह धन्धा मिलेगा। यह सबसे बड़ी कमी है। विद्यार्थी एक बहुत बड़ा तबका है और अपने राजस्थान में पढ़ कर आगे बढ़ने वाला है। आज उसी का परिणाम है कि जगह-जगह आन्दोलन होते हैं। हरेक पार्टी विद्यार्थियों को आगे करती है। विद्यार्थियों में असन्तोष है इसलिये उस असन्तोष को मिटाने के लिये विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे क्या करेंगे, यह इस बजट में प्रावधान होना चाहिये।

पंजाब में जब प्रताप सिंह कैरों था तो सब लोग खेती पर निर्भर करते थे लेकिन उसने आगे की सोच कर यह किया कि इण्डस्ट्री पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जिसका परिणाम आज यह हो रहा है कि पंजाब में घर-घर में इन्डस्ट्री है और जो मजदूर वर्ग है वह मजदूर वर्ग आखिर दम जियेगा मजदूरी में और मरेगा भी मजदूरी में इसलिये मेरा निवेदन है मजदूर वर्ग के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आज मजदूर वर्ग शहरों में भी बैठा हुआ है और गांवों में भी बैठा हुआ है। शहरों में मिले हैं और मिलों में आजकल चल क्या रहा है, मिलों में हड़तालें होती हैं, तालाबन्दी होती है उसका नतीजा यह होगा कि मिल मालिक एक दिन अपनी मिलें बन्द करेगा और मजदूर वर्ग भूखों मरेगा इसलिये मेरा निवेदन है बड़े-बड़े जो उद्योग हैं वे नेशनलाइज होने चाहिये।

जो मजदूरों को मजदूरी करने का हक है वह कभी भी पूंजीपति हक नहीं देगा इसलिये नेशनलाइजेशन की बात की है। मजदूर वर्ग दुःखी, विद्यार्थी दुःखी है तो आखिर प्रश्न उठता है सुखी कौन है–सुख और शान्ति कहां है? उपाध्यक्ष महोदय आज सुखी दो तबके हैं एक तो वह जो राज्य सरकार में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठा है, इसमें मान लीजिये आई.ए.एस. और आई.पी.एस. हैं ये सुखी हैं दूसरे वे आदमी सुखी हैं जो करोड़पति हैं जो अपने उद्योग धन्धों से पैसा कमा रहे हैं। वे इस समय सुखी हैं पर उनका सुख भी दो-तीन प्रतिशत का सुख है बाकी के 97 प्रतिशत आदमी दुःखी हैं। उन दुखियाओं की बात आज हो नहीं पाती है क्यों नहीं हो पाती है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा तबका बैठा है जो राज्य सरकार की मशीनरी के जरिये प्रशासन चलाते हैं वे अपना हित पहले सोचते हैं। आज मजदूरों के लिये कहें कि मजदूरों को भूमि दी जायगी, खेती करने के लिये उनको जमीन दी जायगी तो सबसे पहले उन बड़े अफसरों के बच्चे, उन बड़े आदमियों के बच्चे मजदूर बनेंगे और मजदूर बन कर अपने नाम पर जमीन का अलाटमेंट करवायेंगे तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार जो कुछ जमीन

(श्री रणजीतसिंह)

निकल रही है वह देंगे किसको देंगे भूमिहीनों को, भूमिहीन लोगों में बटवारा कौन करेगा, वह बंटवारा करेगा राज्य सरकार का नौकर और वह अपने भाई-भतीजावाद को अलाटमेंट किसी न किसी प्रकार करेगा। यही हालत पहले रही है और आज भी रहेगी क्योंकि जितने बड़े आफिसर्स हैं उन सबके राजस्थान के अन्दर फार्म हैं और वे राजस्थान के निवासी नहीं हैं बहुत कम राजस्थान के निवासी हैं पर सबके फार्म हैं। आज वे फार्म, अगर राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि जो यहां का प्रवासी नहीं है और कहीं पर राजस्थान में जमीन ले रखी है उस जमीन को वापिस लेंगे तो एक गरीब आदमी को शांति मिलती है पर आज राजस्थान केनाल पर जो कोई कर्मचारी पहुंचा है या जो सेक्रेटेरियट में बैठा है उनके बड़े-बड़े फार्म हैं और जब तक वे रिटायर नहीं होंगे तब तक किसी की नजर नहीं जा सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है जितने बड़े आई. ए. एस., आई. पी. एस. आफिसर्स हैं या फिर कोई बड़े ओहदे पर बैठा है जो भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है, राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि इस बजट के जरिये उनकी भूमि लेकर हम भूमिहीनों को दे देंगे तब तो गरीबों के हित की बात इस बजट में हो सकती थी। दूसरे अगर कोई गलत अलाटमेंट हो गया हो और गांव का आदमी उस गलत अलाटमेंट को देख रहा है और उसकी इत्तला पर अगर आज वापिस जमीन लेने की बात होती है तो गरीब आदमी को सन्तोष होता है लेकिन इसका भी जवाब मिल जाता है कि 10-15 साल पहले अलाटमेंट हुआ था और अब इसको हटाया नहीं जा सकता है और अब इसकी अपील भी नहीं हो सकती है क्योंकि यह टाइम बार हो गया है और इस बीच में उसको अपील करनी चाहिये थी लेकिन मेरा निवेदन है कि अपील वह करता है जिसको ज्ञान है। उस बेचारे अनपढ़ को कोई ज्ञान नहीं है। वह तो केवल मजदूरी करता है। आज ऐसे कई केसेज हैं जिनमें मजदूरों के नाम पर उन लोगों ने जमीन ले रखी है। आज काम मजदूर कर रहा है और कब्जा भू-पतियों का है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय जो सबसे बड़ा धन है ब्लैक मनी वह किनके पास है। उसका उपयोग कैसे हो रहा है। उस पर सरकार नजर डाले तो समझ में आती है। आज जितने माननीय सदस्य बैठे हुये हैं अलग अलग पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं वे अगर एक भी कोई ऐसा काम कर लें तो शोर शराबा मच जाता है। ये इस राजस्थान की ढाई करोड़ की जनता में कितने प्रतिशत हैं पर दूर बैठे हुये हैं। आज वे शोषण करके पैसा बटोरते हैं या रिश्वत लेकर बटोरते हैं तो वह पैसा गया कहां। वह पैसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसको रखने की जगह नहीं है। उस पैसे को जमीन में डालने का है। कहीं न कहीं प्लाट लेकर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बहुत से आफिसर्स का जितना इन्कम टैक्स लगता है उसमें वे अपना हिसाब शो करते हैं 30 हजार का बंगला शो किया है और मौके पर जाकर देखा जाय तो डेढ़-दो लाख का बंगला है आखिर यह फर्क क्यों है? उनसे कौन पूछेगा, ये इन्कम टैक्स के आंकड़े दिखाते हैं? आंकड़ों के हिसाब से पैसे का ब्योरा दिया है और जो रिश्वत के पैसे लिए गए वह बंगले पर

(श्री रणजीत सिंह)

खर्च कर दिये तो मेरा निवेदन करना है जहां जहां बड़ी सीटीज हैं वहां पर अगर राज्य सरकार एक्सपेरीमेंट के तौर पर देख लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं जयपुर, जोधपुर जैसी सिटी में जहां नई कालोनीज बसी हैं, जहां बड़े अफसरों के बंगले हैं उसमें 100 में से 90 बंगले ब्लैक मनी से बने हुये हैं। उन अफसरों ने अपनी ब्लैक मनी उस बंगले में डाल दी है जिससे ब्लैक मनी को आसानी से छिपाया जा सके।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है गरीब आदमी को चूसने का जो माध्यम है उसे समाप्त करें और अमीरों का, रिश्वतखोरों का जो पैसा लगाने का तरीका है, उनका पैसा लगाने का जो माध्यम है उसको छीनने के लिए अगर राज्य सरकार एक जांच कमेटी बैठाती है जिसके मार्फत पता लगे कि यह पैसा यहां लगा है और वह पैसा गरीबों में बांटती है तो उनको सन्तोष होगा। 30 हजार का बंगले का डिक्लेरेशन दिया है और बंगले पर खर्च किये हैं दो लाख तो इस तरह एक लाख 70 हजार का ब्लैक मनी, 1 लाख 70 हजार का रिश्वत का पैसा था वह छीन कर जनता में आ जाय तो गरीब महसूस करेगा कि बजट में उसके लिए कुछ प्रावधान है। उसे यह महसूस होगा कि अफसरों ने रिश्वत का पैसा लिया है और गरीबों का खून चूस कर बिल्डिंग खड़ी की है लेकिन सरकार ने अपनी जागरूकता से, सूझ-बूझ से उससे वापिस ले ली है। इसलिए इन दोनों बातों पर राज्य सरकार का जब तक चिन्तन नहीं होता है, बजट में कोई दिशा नहीं होती है, तब तक गरीबों का भला होने वाला नहीं है और आज जगह जगह जो आन्दोलन होते हैं एक गरीब की झोंपड़ी है उसके पास में एक बाबू ने मकान बना लिया, प्लाट बना लिया। दोनों सगे भाई हैं, एक मजदूरी करता है, खेती करता है, दूसरा सरकारी नौकर होकर रिश्वत लेता है तो उसके जरिये उसकी झोंपड़ी तो वैसी की वैसी ही है और उसने दो लाख की बिल्डिंग खड़ी कर ली। वह सोचता है कि इसने मेरे पास में दो लाख की बिल्डिंग खड़ी कर ली है मुझे नीचा दिखाने के लिए, जिसकी उसके दिल में जलन होती है। उस जलन को मिटाने का यही एक तरीका है कि जहां जहां पर भी प्रशासन के अन्दर किसी तरह का उल्टा काम किसी वर्ग विशेष से हुआ है अगर उस पर राज्य सरकार नियंत्रण रख कर और उसको वापिस लेने की शक्ति अपने हाथ में लेती हो तो कुछ राहत मिल सकती है, वरना बजट तो जो है सो है। बजट एक साल का ही नहीं आया है, बजट 26 साल से आ रहा है और आता रहेगा। कभी टैक्स लगे, कभी टैक्स नहीं लगे। पर टैक्स लगना यह मायने इतना नहीं रखता है कि जितना उससे मिसाल क्या बनेगी, राजस्थान का भला क्या होगा। आज हम यहां पर बजट पर बातें करें, हम लोग लम्बे चौड़े आंकड़े पेश करें, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। हमने इतने करोड़ फेमिन पर खर्च कर दिया मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता, हम इन जिलों में फेमिन की रोकथाम के लिए क्या करने वाले हैं इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस बात पर जाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज आप अगले वर्ष में फेमिन को रोकने की बात भले ही करें लेकिन आज की मौजूदा स्थिति क्या है, आज की मौजूदा स्थिति के अन्दर उस गरीब आदमी की हालत क्या है, उस पर यहां बैठ कर चिंतन करें और उसके बाद में मैदान में जायें।

(श्री रणजीत सिंह)

जिस जगह गरीब अपनी मेहनत करना चाहता है लेकिन उसको राहत नहीं है, उस मौके पर अगर चिंतन नहीं करें, यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं माननीय सदस्य उनके दिल में लगन होगी पर पेट में भूख नहीं होगी तो क्या होगा। उनके दिल में लगन है और पेट में भूख भी नहीं। पेट में भी भूख है उसके मुताबिक....

श्री रामसिंह : यही समाजवाद है।

श्री रणजीतसिंह : जी हां, यही समाजवाद है। इसी का नाम समाजवाद है इसलिए उनके पेट को राहत देने के लिए अगर राज्य सरकार राहत कार्य खोल दे,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अगर वहां पर राहत कार्य खोलती है तो उनकी हालत सुधर सकती है लेकिन अगर नहीं खोलती है तो उनकी हालत दयनीय हो जाती है फिर यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भूख से मर जायेंगे। भूख से मरने की बात अगर कहें तो अन्न नहीं मिले तो भी आपके शरीर के अन्दर खुराक ऐसी है कि आप तीस दिन चला सकते हैं। कभी न कभी तो अन्न मिल ही जाएगा इसलिए वह कमजोर होते होते मर सकता है लेकिन एक ही दिन में भूख से मर जाएगा यह मैं नहीं कह सकता। कमजोर होते होते मर जाएगा। अब समय आ गया है, दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है और हालत खराब होते होते महीने दो महीने के अन्दर उसकी ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि कितने ही राहत कार्य खोलेंगे उस पर यह लोग टिक नहीं सकेंगे। हमेशा गरीबी से ही पिटाई होती है, कमजोरी होती है, उसमें नजला आता है, उसमें अन्धेरा आता है और उसके कारण से वीकनेस होते होते वह मर जाता है। आज समय पर राहत नहीं पहुंचा कर दो महीने के बाद राहत पहुँचायेंगे तो उनका फायदा नहीं कर सकेंगे, उनका भला नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के जिन इलाकों में भयंकर अकाल है वहां पर दूसरे प्लानों की बात बेकार है वहां पर तो इस वक्त लोगों को राहत कितनी मिल सकती है उस पर निर्भर करता है। तो आज तत्काल राज्य सरकार राहत काम शुरू करें, उनको पीने का पानी मुहैय्या करा दे। हालांकि आपने पी. एच. सी. में काफी पैसा रखा है, वह स्कीम दूसरी है, इस स्कीम से हर गांव वालों को फायदा नहीं हो सकता। वहां कुछ पैकेजेज में फायदा होगा। जहां डेजर्ट हैं, बिखरे हुए आदमी हैं, दो-दो तीन-तीन मील के अन्दर जो बैठे हैं ढाणियों में, दस दस मील से पानी लाते हैं उनको इस स्कीम से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए वहां ठीक इस वक्त पर राहत कार्य करने की जरूरत है। पश्चिमी राजस्थान में खेती होगी यह आशा करना मुश्किल है। बाकी पूरे राजस्थान में और वहां में फर्क क्या है? भाई हम ऐसी भौगोलिक स्थिति में बसते हैं, हम वहां से हट नहीं सकते और आप जिस जगह बसते हैं वहां पर खुशहाली है, हमारा इलाका ठीक नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि हम वहां पर बसें लेकिन परमात्मा ने हमें जहां जन्म दिया वहीं पर रहना पड़ेगा। आपकी तकलीफें दूसरी है और हमारी तकलीफें दूसरी हैं। आप दोनों की तकलीफों को एक सरीखा

(श्री रणजीत सिंह)

समझ कर चलेंगे जब तो राजस्थान का आदमी आगे बढ़ सकेगा, बाकी आप यह देखेंगे कि उनकी तकलीफ दूसरी है इसलिए उनका इलाज नहीं होकर सब जगह एक सरीखा काम हो तो यह हो नहीं सकता। जिस इलाके में जो तकलीफ है उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। आज हमारे यहां पर अगर हम बांध बनाने की बात कहें। पश्चिमी राजस्थान में हम बांध बनाने की बात कहें तो कहां बांध बनेगा। बांध तो सवाई माधोपुर में बनेगा, कोटा में बांध बनेगा उससे अगर हम ईर्षा करें तो कैसे हो सकता है। कोटा में बांध बंधना है तो कोटा में ही बनेगा। राजस्थान नहर जहां से निकलती है वहीं से निकलेगी। हमारी यह अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। अलग अलग हालत है इसलिए मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से कि जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की उसी तरह से राजस्थान को आगे बढ़ना पड़ेगा और राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहिये और इसलिए आज की जो भयंकर अकाल की स्थिति है उस स्थिति में सब प्लान के अन्दर जो बातें हैं उन प्लान की बातों को तो बाद में कर लेंगे लेकिन जिस प्रकार की आज की स्थिति है उससे मैं समझता हूं कि सरकार चिंतन करेगी और अगर इस वक्त उनको राहत दी गई तो वही सही राहत होगी। वह समय निकल जाएगा, आदमी भूख से तो नहीं मरेगा क्योंकि महीने में कभी न कभी तो अनाज मिलेगा ही, दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में आदमी मरने वाला नहीं है। आदमी मरेगा तो नहीं लेकिन दुखी हो जाएगा और वह दुखी हो जायेगा और उस दुखी आदमी को अगले वर्ष बहुत भयंकर कष्ट में डाल देंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अकाल राहत कार्य आपने लिए हैं लेकिन जहां पर आज खुले नहीं हैं, जब नहीं खुले तो अगर आप के सामने दूध का कटोरा रख दें और पिलाओ नहीं बच्चे को उसकी क्या हालत होगी, क्या उसका पेट भरेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो विद्यार्थियों के ऊपर, मजदूर के ऊपर और दूसरे जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जहां पर भी किसी तरह की गड़बड़ हो उसकी राज्य सरकार रोक-थाम कर सकती हो तो हर आदमी का जो असंतोष बढ़ा हुआ है वह मिटेगा वरना कई तरह की पार्टियां भ्रम पैदा करेंगी और कई तरह के आन्दोलन करेंगी। आन्दोलन करने के बाद जो काम करने वाले हों उस काम को पहले ही कर दें तो वह सारी स्थिति समाप्त हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरीलाल शर्मा।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं और उसके साथ ही मैं आपके माध्यम से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का वह हिस्सा जो पहाड़ी इलाका है जिसमें आज 27 साल के बाद में कह सकते हैं कि आज वहां आदमी चाहे वह आदिवासी हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो या अन्य कौम का हो, वह महान दुखी है। वहां के लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। आज आये दिन वह अकाल से ग्रस्त रहते हैं चाहे वह अतिवृष्टि

(श्री किशोरी लाल शर्मा)
हो चाहे अनावृष्टि हो, चाहे बाढ़ आए, हर वक्त उनके यहां अकाल की स्थिति रहती है। वहां अकाल हमेशा पड़ता रहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने अकाल के समय पर उन्हें जिन्दा रखा है लेकिन जो आज ठोस काम होने चाहिए, जो अकाल के निवारण के लिए कोई काम वहां पर होने चाहिये, मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से एक आयोग बैठायें और आयोग के द्वारा उस सारे क्षेत्र के लिए जो कि हमेशा अकाल से ग्रस्त रहता है उसका निवारण किया जाय और उन लोगों को सुखी बनाया जाय। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाके से हटा कर उन लोगों को समतल भूमि पर बसाया जाय ताकि सुखी हैं उनका दुख दूर हो सके। तो मैं कुछ सुझाव आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी जगहों पर ऐसे ठोस काम हाथ में लिए जावें। पहाड़ों में जो किसी तरह का भू-संरक्षण का काम, नालाबन्दी का काम, नलकूप का काम, वन संरक्षण और ग्रामीण उद्योग वहां खोले जायं ताकि उन लोगों को हमेशा के लिए काम मिल सके और अपने हित की बात कर सकें, वह सुखी बन सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज बड़े बड़े उद्योग जो कि शहरों में खोले जाते हैं और शहरी जनता को ही खुश करने का प्रयास किया जाता है हमारी सरकार द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोग की भुखमरी है, बेरोजगारी है वहां उद्योगों का अभाव है, वह वहां पनप नहीं सकते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन आदिवासी इलाकों में खाद का, सीमेन्ट का, जिंक सुपर फास्फेट और यह सोप स्टोन आदि कई हमारे इलाके में खनिज से भरे हुए हैं वहां पर खनिज का सर्वे करवाया जावे और इसके उद्योग खोले जावें ताकि उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकें। क्योंकि हमारे आदिवासियों के क्षेत्र में जमीन कम है, ऐसी स्थिति में वहां कृषक नहीं हैं। इसलिए उद्योग खोल कर उन को वहां पर काम में लगाया जा सकता है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके बाल बच्चों की व्यवस्था है, उनके पशु हैं उनकी कोई और व्यवस्था है उनको छोड़ कर वह जा नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए वहां कोई उद्योग खोले जावें ताकि उद्योगों के जरिये सुख समृद्ध बन सकें।

इसके साथ ही खाद्यान्नों का सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे आदिवासी इलाके में खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि हमारी सरकार बहुत कुछ प्रयत्न कर रही है लेकिन खाद्यान्न के अभाव में वहां पर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अगर होती भी है तो सड़ा गला अन्न जो कि जुवारी के नाम से दिया जाता है वह अपर्याप्त होता है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां की खाद्य नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि अमेरिका या दूसरे देशों से अनाज लेते हैं। इस पर करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपनी पूरी शक्ति को लगायेंगे तो समाज पर इतनी धनराशि खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बाहर से अनाज

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होते हुए भी बाहर से अन्न मंगाना हमारे लिए लज्जा की बात है। इसलिए कृषि के ऊपर हमें खास ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जमीन ऊसर होती जा रही है। वहां की पैदावार गिरती जा रही है। जयसमन्द और उदयसागर झील जो हमारे क्षेत्र में हैं और ऐसे कई तालाब हैं, उनसे नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से पानी निकल रहा है और इस कारण जमीन ऊसर होती जा रही है। आज वहां पर लोग इन जमीनों को छोड़ कर भागने की स्थिति में हो गये हैं। इसलिए इन नहरों को ठीक किये जाने की आवश्यकता है। इसकी लाईनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक दिन वह आ सकता है तालाबों से सिंचाई के साधन होते हुए भी जमीनों से उत्पादन नहीं हो पायेगा। उत्पादन का जो क्रम है वह दिन पर दिन घटता जा रहा है और ऐसी स्थिति में लोगों को जमीन छोड़नी पड़ेगी। इसलिए खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहाड़ी इलाका, जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी इलाका है जहां पर कि पहले से ही तालाब हैं, वहां पर नहरें हैं, उन नहरों से पानी का क्षरण होता है। इसलिए इन नहरों की लाइनिंग होना बहुत जरूरी हो गया है। इस ओर ध्यान दिया जाये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर जयसमन्द फीडर है हमारी सरकार चम्बल और राजस्थान नहर, आदि की योजनाओं पर व्यय कर रही है, योजनाएं बना कर पैसा खर्च कर रही है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही जयसमन्द फीडर पर भी काम होना बहुत जरूरी है। इसके नीचे हमारे पहाड़ी इलाके के लोग बसे हुए हैं। फीडर पर काम होने से इन लोगों की सुख-सुविधा में वृद्धि होगी और लोग कृषि के जरिये आत्म निर्भर बन सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जयसमन्द फीडर पर काम करवाया जाना बहुत जरूरी है। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया द्वारा इस योजना का महूरत हो गया है। फिर भी आज इस योजना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को निवेदन करना चाहता हूं वह इस ओर ध्यान दे और जयसमन्द फीडर पर तत्काल काम शुरू करवाए।

उत्पादन का सम्बन्ध बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के बिजली मंत्री महोदय ने बिजली का काम शुरू किया है लेकिन यह कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है अर्थाभाव के कारण कई जगहों पर कमजोर यन्त्र लगा रखे हैं इससे लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लोग रेहत की तरह इसका आसरा लगाते हैं। आज इसने बिजली ली तो कल दूसरा लेगा। इस तरह से लोग अपना काम चला रहे हैं और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। उत्पादन में वृद्धि कम हो रही है। इसलिए बिजली के शक्तिशाली यंत्र लगाये जाने चाहिए।

हमारे पहाड़ी इलाके में पहाड़ी नदियां बहती हैं। सोम व गोमती नदियां वहां बह रही हैं। इन नदियों

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

के किनारे पर बिजली के यन्त्र लगाये जायं और लिफ्ट इर्रीगेशन किया जाय ताकि पहाड़ी इलाके में जो उपजाऊ जमीन है उस पर खेती की जा सके ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो सड़कें हैं, जो योजना के अन्दर हैं उन पर तो काम हो रहा है लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण दूरी बहुत है । इसलिए लोगों को कस्बों और तहसील हैडक्वार्टर पर जाने में कठिनाई होती है । दूसरे और कोई साधन वहां पर नहीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कस्बों और तहसील हैडक्वार्टर को लिंक करने के लिए सड़कें बनायी जायें । इस काम को किया जाना बहुत जरूरी है ।

श्रीमान् मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर भी दिलाना चाहता हूं । हमारी सरकार ने आगामी वर्ष में कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की गुंजाइश रखी है । इसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु मैं यह मानता हूं कि हमारी शिक्षा में आमूल परिवर्तन किए जाने की आज आवश्यकता है । जब तक शिक्षा में बेसिक तरीके से परिवर्तन नहीं होगा, जो बेरोजगारी, भूखमरी बड़े पैमाने पर हमारे यहां पर फैल रही है, उसका समाधान हम नहीं कर पायेंगे । इसके फैलने का एकमात्र कारण यही है कि हमारी शिक्षा की पद्धति ठीक नहीं है । कई जगहों पर बेसिक प्रशिक्षण चल रहे हैं इसके सेन्टर भी हैं । लाखों रुपया खर्च होता है परन्तु जहां पर बेसिक स्कूल हैं वहां की स्थिति दयनीय है, कारण उनके पास उपकरण नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों को उपकरण दिलाये जाएं । इस बेसिक एजूकेशन के ऊपर सरकार का ध्यान होना चाहिए । इससे मैं समझता हूं कि जो विषम स्थिति है, बेरोजगारी है, वह दूर हो सकती है । इसके साथ ही आपने कालेज शहरों में खोल रखे हैं और कई तरह की व्यवस्था शहरों में है । आज के विद्यार्थी में अनुशासनहीनता फैल रही है । आज गांवों के लड़कों के पास पैसा नहीं है । वे गरीब हैं । वे उदयपुर जाकर या किसी शहर में रह कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इसलिए प्रत्येक चालीस मील के दायरे में एक कालेज होना चाहिए । ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें । जो बेसिक स्कूल हैं, जो बेसिक एजूकेशन है वह चालू रखा जावे ताकि गांवों के लोगों को, वहां के बच्चों को इससे राहत मिल सके । आज की शिक्षा से विद्यार्थियों, लोगों में भूखमरी फैल रही है । आज की शिक्षा आदिवासी इलाके में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है । वे तो भूख की ज्वाला से ग्रस्त हैं । दूसरे गांवों में, शहरों में जाकर नौकरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं और इस प्रकार उच्च शिक्षा से वे लोग वंचित रह जाते हैं । गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक छात्रावासों का प्रश्न है, जो छात्रावास खोले गये हैं वे अपर्याप्त हैं । ज्यादा मात्रा में ये खोले जाए । छात्रावासों में अधिक से अधिक बच्चों के रखने की आवश्यकता है । इन छात्रावासों की संख्या और सहायता देकर बढ़ाई जाये ।

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, गांवों में इसकी घोर अव्यवस्था है। एक तहसील हैडक्वार्टर पर आपने एक हैल्थ सेन्टर खोल रखा है परन्तु इस सेन्टर में भी चिकित्सा की कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां पर न दवाइयां हैं और न किसी प्रकार के उपकरण ही हैं। एक मात्र औषधालय की दृष्टि से हैल्थ सेन्टर आपने खोल रखा है। इस प्रकार गरीब आदमी चिकित्सा प्राप्त नहीं कर सकता है। दवाई उसको नहीं मिल पाती है। कई गांवों को चिकित्सा की दृष्टि से असुविधा है। इसलिए इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री किशोरीलाल शर्मा : हमारी राज्य सरकार ने अभी भूखंड आवंटन का कार्य किया है। गरीब लोगों को इससे राहत मिली है। मैं स्वागत करता हूं लेकिन दूसरे शहरों, कस्बों में जो रहने वाले दूसरे लोग हैं, जिनके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है, अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं, न उनके पास मकान हैं, उनके लिए भी मैं यह मानता हूं कि भूखंड आवंटित करने का प्रोग्राम चलाया जाए।

लेवी का प्रश्न है, लेवी देनी चाहिए। इसका विरोध भी किया गया। परन्तु लेवी बिना काम नहीं चल सकती है। परन्तु जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं या जो कम जोत वाले हैं उन पर लेवी नहीं लगनी चाहिए। मैं आशा करता हूं, सरकार इस ओर ध्यान देगी। जहां पैदावार है, जमीन ज्यादा है उनको लेवी देना चाहिए लेकिन जिसके पास खाने जितनी ही पैदावार है तो उस लेवी का भार नहीं होना चाहिए। दूसरे लेवी के अनाज के भाव में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बाजार में धान 200 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है और सरकार 104 रु. 105 रु. प्रति क्विंटल अनाज ले रही है। इस अन्तर को पाटना चाहिए। इस दर को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भाव जरूर बढ़ाये जाने चाहिये। इसके साथ ही पंचायतों की जो स्थिति बना रखी है मैं इसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। जो पंचायती राज हमारी आजादी की बुनियाद है उसकी आज जो स्थिति है कि आज अर्थाभाव के कारण वहां पर गांवों को विकास करने के लिए कोई काम नहीं है। पैसा नहीं है इसलिए स्थिति नगण्य हो रही है पंचायतों की। पंचायतों में जो चुने हुए भाई हैं उनकी हालत खराब हो रही है और वह लोगों के सामने जाकर काम करने की दृष्टि से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर पंचायती राज को जिन्दा रखना चाहते हैं तो पंचायतों को काफी पैसा देने की जरूरत है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा था कि कुछ लोग रखे गये हैं तो उनकी तनखवाह की पूर्ति तो जरूर होती है, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है।

इसके साथ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जन-प्रतिनिधि हैं चाहे वे पंचायतों में हों या पंचायत समितियों में हों....

एक माननीय सदस्य : उनकी मयाद बढ़ चुकी है।

श्री किशोरीलाल शर्मा : आर्थिक दृष्टि से उनके साथ में जो क्षतिपूर्ति की गई है वह

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

स्थिति खटकती है। उसको देख कर मुझे बहुत अफसोस हुआ। या तो उनको जो आनरेरियम दिया जाय उसको हटा दिया जाय जो उनको यात्रा-व्यय दिया जाता है या तो उसको हटा दिया जाय या अगर उनको दिया जाय तो उनको समान परिस्थिति में रखते हुए दिया जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों में और युवकों में जो आक्रोश है उस आक्रोश को दूर करने के लिए इस बजट में गुंजाइश होनी चाहिए थी युवकों को काम काज देने के लिए इसमें गुंजायश होना जरूरी है।

यह कहते हुए मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सन 1975-76 का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है। उस बजट पुस्तिका को पढ़ने के पश्चात् बहुत प्रसन्नता प्रकट हुई है, और मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार अकाल और बाढ़ एवं भयंकर परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान की सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार का बजट यहां सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

लेकिन साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में मैं विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं यहां पर। गत दो वर्षों के अन्दर करीब 2500 मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है और इस वर्ष 125 मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने का और 100 मिडिल स्कूल और नये खोलने का जो प्रावधान रखा है...

(3.04 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

इसके साथ साथ, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि लगातार तीन वर्षों से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और इन तीन वर्षों के लम्बे समय के अन्दर हायर सैकेन्डरी स्कूल में सैकेन्डरी स्कूल को कन्वर्ट करने का कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। इस बात को पूर्ण रूप से सोचना चाहिए कि हमारे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर केवल मात्र हमारे विद्यार्थी सैकेण्डरी परीक्षा पास करके ही विश्वास प्राप्त करके नहीं बैठ सकते हैं। उनकी आगे भी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रहती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन क्षेत्रों के अन्दर यदि इस प्रकार के सैकेण्डरी स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया जाय तो वास्तव में उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से सुविधा मिल सकती है। ऐसे क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी सैकेण्डरी पास करने के पश्चात् शहरों की शरण लेते हैं। आज की कड़ी महंगाई के अन्दर एक गांव का रहने वाला ग्रामीण विद्यार्थी यदि वह शहर के अन्दर जाता है तो एक नये प्रकार का वातावरण, एक नये प्रकार की परिस्थिति उसके सामने आकर उपस्थित हो जाती है और उसके सामने प्रश्न यह होता है कि वह ग्रामीण वातावरण से शहरी वातावरण में आता है तो न तो शिक्षा की ओर ध्यान दे पाता है और न वास्तविकता

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

की ओर ध्यान दे पाता है। इसलिए कई वर्षों तक उनको असफल रहना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा मेरी ओर से कि इनको कुछ न कुछ इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बजट के अन्दर किसी प्रकार का विचार विमर्श करके राजस्थान के अन्दर नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की या सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने की ऐसी कोई योजना और जोड़ दी जाय तो ग्रामीण विद्यार्थियों का बहुत लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन यह है कि अभी हायर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर नये सबजेक्ट खोलने के लिए केवल मात्र 50 स्कूलों के अन्दर ही ऐसा प्रोविजन रखा गया है। तो मेरा यह निवेदन है कि करीब करीब जहां पर आज राजस्थान के अन्दर जिस जिस क्षेत्र के अन्दर जिस जिस हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर जिस जिस विषय की आवश्यकता है यदि इस प्रकार के विषय सभी जगहों पर खोल दिये जायं तो उस क्षेत्र के विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है और उनके अभिभावकों को भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसे कई महाविद्यालयों के अन्दर 10 सबजेक्ट्स खोलने का प्रोवीजन रखा गया है तो यह बहुत कम है। इसको और आगे बढ़ाया जाय। कई महाविद्यालयों में इसकी बड़ी आवश्यकता है और इसमें वहां के विद्यार्थियों का भला हो सकता है। मैं चाकसू तहसील की आपको बात बताता हूं कि वह म्युनिसिपल एरिया है और एक बहुत अच्छा कस्बा है। वहां पर कम से कम 15 साल हो गये हैं सैकण्डरी स्कूल खुले हुए, लेकिन आज तक जो-जो लोग वहां से चुनकर आये हैं, कई नेता और मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में पधारे हैं और उनको इस प्रकार का आश्वासन दे कर आये हैं कि अब की बार हायर सैकण्डरी स्कूल करवा दिया जायगा, लेकिन उनको केवल बात कहकर आ जाते हैं वह पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरा यह विशेष निवेदन है कि चाकसू में हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिया जाय तो वहां की जनता का बहुत भला हो सकता है।

सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से बजट की पूरी प्रतिलिपि को पढ़ने के पश्चात् भी ऐसा अनुभव हुआ है कि न तो कहीं पर प्रौढ़-शिक्षा का प्रावधान रखा है और न कहीं पर महिला-शिक्षा के लिए किसी प्रकार की योजना रखी गई है। प्रौढ़ शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है···

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, यह एक सोचने का प्रश्न है माननीय सदस्य के लिए कि शिक्षा की डिमान्ड पर क्या बोलेंगे यदि आज ही सभी बोल जायेंगे तो।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह तो अपने अपने विचार से बोलने की कोशिश करते हैं माननीय सदस्य, मेरे दिमाग में जो मेरे विचारों की बात है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि इस प्रकार से राजस्थान जैसे अशिक्षित प्रदेश के लिए

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

प्रौढ़-शिक्षा की महत्ता को नहीं समझें तो वास्तव में हमारे प्रदेश का भला हो ही नहीं सकता है। जब कि यह वर्ष महिला वर्ष के नाम से हमारे देश में मना रहे हैं तो राजस्थान के अन्दर भी जो यह महिला-वर्ष मनाया जा रहा है तो इसके अन्दर भी महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई भी इस बजट के अन्दर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन यह है।

साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष तौर से इस बजट के अन्दर एक योजना और बनायेंगे, चाहे हमें किसी प्रकार का विचार-विमर्श करना पड़े, चाहे हमें सदस्यों की अलग मिटिंग बुलाकर सदन के बाहर बुला कर सोचना पड़े, चाहे हमारी अलग अलग राय लेना पड़े कि किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है और उनके लिए किस प्रकार की योजना बनाई जा सकती है, यह इसके अन्दर और जोड़ा जाय, और यदि इस पर विचार किया जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है मेरा निवेदन है कि, माननीय सभापति महोदय, बजट में ग्रामीण क्षेत्र मे विद्युत योजना के बारे में इस प्रकार से विचार रखा गया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि केवल मात्र यह हमारी योजनाएं शहरों में सीमित रह जाती हैं। यदि आप किसानों को सुविधाएं देना चाहते हैं तो कम से कम जब तक आप ये सारी योजनाए क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक योजनाएं बनने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाए बनायें कि जिससे किसान वर्ग है, और जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, उसको सही रूप में सुविधाएं उपलब्ध करायें। तो वास्तव में लाभ हो सकता है। इस बजट में यह रखा गया है कि हजार बस्तियों को बिजली देंगे। चाहे वह हरिजन बस्ती हो चाहे वह मजदूर बस्ती हो लेकिन हमको उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो, सभापति महोदय, 5 मिनट भी नहीं हुये हैं।

श्री सभापति : यह ध्यान मुझे है। माननीय सदस्य 10 मिनट से बोल रहे हैं। यह ध्यान मुझे है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : बिजली के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिजली ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचानी चाहिए। जब आप योजना बनाते हैं तो जैसे अजमेर ब्यावर की योजना आपने बनाई है। ऐसे ही चार पांच शहरों में योजना बनाकर आप पैसा खर्च कर देते हैं, जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं होता है। कुआं खोदने पर भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे सीकर है, झुंझुनू है। इस प्रकार की योजना बनाकर वहां जनता को पानी पहुँचा दिया जाये। तो इस प्रकार की योजना वहां पर उपलब्ध करानी चाहिए।

(अल्प विराम)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि इस बजट के अन्दर जो खासतौर से जो शिड्यूल कास्ट विद्यार्थी है, चाहे वह ग्रेजुयेट है, या पोस्ट ग्रेजुयेट है उनको जो

Page No 91

(91)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

स्टाईपेण्ड दिया जाता है। उसका जो प्रावधान किया जाता है। क्योंकि उनके अन्दर इससे एक तरह की भावना पैदा होती है। उनसे 8 से 10 घण्टे तक काम लिया जाता है। स्टाईपेण्ड 250 या 150 रु. देकर छोड़ दिया जाता है। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिए कि जो ग्रेजुएट हैं, उनको पूर्णरूप से नौकरी पर लगा दिया जाना चाहिए। उसके बाद में जो आने वाले विद्यार्थी हैं, इससे उनका वास्तव में भला हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था की पेंशन है तो उनके कागज कभी कलेक्टर साहब के पास तो कभी सेक्रेटरी के पास भेजे जाते रहते हैं। कई वृद्ध ऐसे हैं, जिनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके लिए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि उनको सुविधा मिल सके। आवासीय भूखण्डों के बारे में मैं कहूंगा कि सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में भूमिहीन गरीबों के लिए यह बहुत अच्छा कार्य कर दिया है। इससे उनको भली प्रकार से रहने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ ऋण देकर आप मदद करें। उनको घर बनाने के लिए पूर्ण रूप से आप सुविधा दें। तो गरीब जनता की ऋण से विपत्ति दूर हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सिंचाई के बारे में मेरा यह निवेदन है, सिंचाई को सही ढंग से सही क्षेत्रों में सर्वे कराकर, कहां किस प्रकार की फसल उपजती है। कौन सा क्षेत्र उपजाऊ है। अगर वास्तव में अच्छा अनाज पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का राजस्थान में सर्वे कराना चाहिए। और उन क्षेत्रों के अन्दर सिंचाई उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे किसानों का भला सही ढंग से हो सकता है। सभापति महोदय, मैं किसानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों से आप लेवी लेना चाहते हैं। आप छोटे मोटे किसानों पर टैक्स लगा देते हैं। मेरा निवेदन है कि हम किसानों से लेवी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेवी लेने के साथ साथ जो कृषि के काम में उपयोग में आनेवाली चीजें हैं। उनकी कीमत के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। आज दिनों दिन खेती के काम में आनेवाली चीजों की कीमत बीज की कीमत बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से किसानों के सामने बड़ी भारी विपत्ति आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि इसके साथ साथ में उसका भी प्रोविजन रखा जाये। जो किसानों के काम में आने वाले उपकरण हैं तो उससे उनका काफी भला हो सकता है। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति को ऋण देते हैं। 300 रु. सरकार देगी, 100 रु. वह खुद देगा। लेकिन जो मकान बनाना चाहता है, वह अगर जमीन के बारे में कुछ करता है तो म्युनिस्पैल्टी कहती है कि 40 वर्षों का पट्टा बताओ। बड़ी परेशानी है आप उसको क्या करते हैं कि 4 किश्तों में देते हैं। इस प्रकार से वह अपना मकान नहीं बना सकता है। तहसीलदार के पास जाते हैं तो वह कहता है कि तुम्हारे पर ऋण तो नहीं है। कभी कहते हैं कि वकीलों की फीस

(श्री जयकिशनलाल तोसावडा)

जमा करवाओ। जब तक वकीलों की फीस जमा नहीं करवायेंगे तो ऋण नहीं मिलेगा। आप हर वर्ष योजना तो बना देंगे। क्रियान्वित कैसे की जाएगी। कैसे गरीबों को सुविधा दी जा सकती है। अगर वह सहकारी आफिस में जाता है तो बैंक में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तहसीलदार या रजिस्ट्रार के आफिस में जाता है तो आब्जेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। तो मेरा कहना है, गरीबों का आप उत्थान करना चाहते हैं। कांग्रेस संगठन की नीति इसी प्रकार की है। गरीबों को नीचे के लोगों को ऊपर लेकर समानता के साथ उनको लाना चाहते हैं। जिससे कि न कोई भूखा रह सकता है, न कोई नंगा रह सकता है। न वह कपड़ों से विहीन हो सकता है। सभापति महोदय, केवल मात्र बजट में प्रोविजन रखने से वास्तविकता हल नहीं हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब तक हम उनकी क्रियान्विति नहीं करवायेंगे तब तक समाजवाद, जिसकी हम घोषणा करते हैं। गरीबों का उत्थान करने का विचार रखते हैं वह विचार केवल मात्र स्टेज पर खड़े होकर भाषण देने तक ही सीमित है। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्तमन्त्री जी से कहना चाहता हूं, बजट पारित न हो उसमे पहले एक विशेष मीटिंग बुलाकर, प्रवर समिति को बुलाकर, आने वाले वर्ष में किस प्रकार की हमारे सामने दिक्कतें आने वाली हैं। गरीब वर्ग के सामने क्या परेशानी आने वाली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप समाप्त करें।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : अनुसूचित जाति के सामने दिक्कतें हैं। इसके लिए एक प्रवर समिति नियुक्त कर दी जाये। प्रवर समिति डिपार्टमेण्ट में देखकर उनकी दिक्कतों को दूर कर सकती है। अन्यथा ऐसे ही वादे आते रहेंगे। हम जिस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप बोलने नहीं देते हैं।

श्री सभापति : आपने धन्यवाद दे दिया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय से और मुख्यमन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा इस पर विचार किया जाये। और विचार करके जो जो चीजें रह गई हैं वह जोड़ी जायें।

एक माननीय सदस्य : आप धन्यवाद दे चुके हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अगर शराब पर टैक्स लगा दिया जाता तो और अच्छा होता।

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य धन्यवाद दे चुके हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : कोई व्हिस्की पीता है। कोई कौन सी पीता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो लखपति हैं, उनकी पूंजी और माल पर टैक्स लगाना चाहिए। बजट बहुत अच्छा है, इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। इसके लिए मैं वित्तमन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आसन को यह काम न करना पड़े कि बार-बार घंटी बजानी पड़े क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए जो भी निवेदन करना है वह संक्षेप में कहने की कोशिश करें।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, तृतीय मार्च, 1975 को सन् 75-76 का बजट इस सदन में पेश किया गया है, वह बजट माननीय सभापति महोदय, एक सन्तुलित बजट है, मैं उसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। किन्तु धन्यवाद देने पर माननीय वित्त मन्त्रीजी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मैंने उनकी प्रशंसा कर दी है। माननीय सभापति जी, जब बजट की कापी, यह प्रति हमारे सामने आई है उसका हमने अध्ययन किया है, उसमें देखेंगे कि साल भर के जो लक्ष्य राजस्थान को विकास की ओर ले जाने के लिये निर्धारित किये हैं, कि किस प्रकार से राजस्थान का अधिक से अधिक विकास हो, किन-किन मदों पर कितना कितना बजट है उस पर हमने गौर किया है। माननीय सभापति महोदय, हम उसके अन्दर यह पाते हैं कि राजस्थान प्रान्त में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उनमें कुछ सन्देह नजर आया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जिसके अन्दर आदिवासी क्षेत्र जिसमें कि हमारे राजस्थान प्रान्त में 12.14 प्रतिशत जनसंख्या रहती है उसके विकास के लिए एक सब प्लान की योजना इसमें बनाई गई है। माननीय मन्त्री महोदय उसके अन्दर यह बताया गया है कि डूंगरपुर, बांसवाडा दोनों जिले पूरे, उदयपुर जिले की सात तहसीलों और चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील को शामिल किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान प्रान्त में इसके अलावा भी और कई ऐसे इलाके हैं जहां कि पिछड़ा हुआ है और आदिवासियों की पर्याप्त जनसंख्या रहती है और भारी मात्रा में रहती है, इस प्रान्त के लिये जब योजना बनाई गई, भारत सरकार की ओर से गाइड लाइन भेजी गई कि राजस्थान के अन्दर, उसमें यह कहा गया था कि जहां पर आदिवासियों की 50 प्रतिशत जनसंख्या हो वहां पर यह प्लान लागू किया जाय और राजस्थान के अन्दर आज कई ऐसे स्थान भी हैं जहां आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है उसको भी प्लान के अन्दर शामिल किया जाय। ऐसे स्थान जहां पर कोई विशेष प्रकार की कम्युनिटी रहती हो, उसका विशेष प्रकार का रहन सहन हो, विशेष प्रकार का खान-पान

(श्री रामगोपाल)

हो, विशेष प्रकार के रीति-रिवाज और सामाजिक चाल-चलन हों उसमें यह लिखा गया है कि इस प्रकार की कम्युनिटी होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर कोटा जिले में एक तहसील है शाहबाद पंचायत • • •

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जब जल प्रदाय योजना की बात आप कहें उसमें छीपाबड़ौद को भी और जोड़ दें।

श्री रामगोपाल : हमारे कोटा क्षेत्र में शाहबाद पंचायत समिति के अन्दर एक विशिष्ट प्रकार की कम्युनिटी रहती है जिसको सहरिया लोग कहते हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों का कहां तक विकास हो पाया है, उसके लिये एक स्टडी टीम निकाली है। उसके लिए दस हजार रुपयों का प्रावधान रखा है। वहां की स्टडी के आधार पर वहां की आबादी 45 परसेन्ट से अधिक निकल गई। जो डाइरेक्टर केन्द्र सरकार से आया था उसका नाम है बी. डी. शर्मा उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जो सहरिया लोग हैं, शाहबाद में रहते हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं और एक विशिष्ट प्रकार की आदि वासी कम्युनिटी है उन्होंने भारत सरकार की गाइड लाइन दी उसके अनुसार मानना चाहिए, यह निर्देश भी दिये गये हैं। अगर आप उन निर्देशों को देखें तो निश्चित रूप से शाहबाद को उसमें शामिल करना होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो समस्त कागजों को मंगाकर देख लें भारत सरकार की गाइड लाइन को देख लें और यह देख लें कि शाहबाद उसमें आता है या नहीं। गाइड लाइन के अनुसार शाहबाद उसमें आता है यह भारत सरकार भी मानती है, डाइरेक्टर को दो-दो बार वहां सर्वे कराने के लिये भेजा गया फिर भी उसके बावजूद भी दुख की बात है कि इस बजट में शाहबाद को शामिल नहीं किया गया है। मुझे बड़ा भारी दुख है, बहुत अफसोस है कि इतना पिछड़ा हुआ इलाका होते हुए भी, आदिवासी एरिया होने पर भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। इसलिए इसके बारे में मैं पुनः माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको भी प्लान में शामिल किया जाय। और वहां भी निश्चित रूप से एक विशिष्ट प्रकार कम्युनिटी रहती है पिछड़ा हुआ इलाका है उसका भी पूरा विकास किया जाय। केन्द्रीय सरकार ने जब यह बात मान ली है, स्वीकार कर ली है वहां पर आदिवासी जाति है, वहां भी डामर की सड़कें हैं, होनी चाहिए, विद्युतिकरण होना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा उनको उपलब्ध होनी चाहिए, और सब तरह की सुविधायें उनको भी मिलनी चाहिए क्योंकि वह भी राजस्थान की जनता है। समझ में नहीं आता कि उनकी उपेक्षा क्यों की गई। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसको शामिल किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र का भी उसी प्रकार से पूरा विकास किया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से बार-बार निवेदन करूंगा कि, और कोटा जिले के जो रिप्रजेन्टेटिव और मंत्री महोदय हैं मैं उनसे

(श्री रामगोपाल)

भी इस बात के लिये आग्रह करता हूं कि वो भी इस बात पर जोर डालें और प्रकाश डालें कि इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जावे और इसको भी निश्चित रूप से प्लान के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा न हो जाय कि दिया तले अंधेरा हो। जब यह गाइड लाइन जो भारत सरकार ने दी है उसके अनुसार है तो माननीय सभापति जी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर हमारे कोटा जिले के अन्दर सिंचाई के लिहाज से देखें तो उसके अन्दर भी किसी प्रकार का कहीं भी प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल एक योजना है गोपालपुरा परियोजना, उसके लिये धन्यवाद देता हूं यद्यपि यह एक बहुत छोटी योजना है। किन्तु छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी योजना मन्जूर नहीं की गई है। इसी प्रकार से और भी कई क्षेत्र हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल इसी से यह न मान लिया जावे कि सारे चम्बल योजना से कोटा जिले का विकास हो जायेगा। छबड़ा खण्ड को सिंचाई के लिहाज से बिल्कुल उपेक्षित छोड़ दिया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये जो आपने विकास के कदम उठाये हैं उनके लिये धन्यवाद देता हूं। किन्तु सभापति महोदय, इस बजट में स्वायत्त शासी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है किन्तु जो बजट का प्रावधान उनके लिये किया गया है वह बहुत ही कम मात्रा में है। आदिवासियों के बच्चों को सही ढंग से आज शिक्षा नहीं मिलती है, उनका पोषण नहीं हो रहा है, उनको कपड़े उनके पास नहीं हैं, और कई प्रकार के साधन उनको उपलब्ध नहीं हैं, बड़ी भारी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बजट रखा गया है उसमें और अधिक प्रावधान किया जावे और जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनको सरकार अपने हाथ में लेवें और उनका बजट बढ़ाकर जिस प्रकार से दूसरे छात्रावास चलाये जाते हैं उसी प्रकार से आदिवासी छात्रों के लिये भी छात्रावास खोले जायं क्योंकि उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपको, जो आपने एक अभियान चलाया है, आवासीय भू-खण्ड का आवंटन किया है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। किन्तु सभापति महोदय, आगे देखने की बात हमारे सामने यह आती है कि शहरों के अन्दर जो आवासीय भू-खण्ड हैं उनके अन्दर यह योजना जरूर होनी चाहिए। आज पिछड़े हुए वर्ग के लोग शहरों में भी लेकिन उन्हें भू-खण्ड आवंटित नहीं होते हैं। जितने भी माननीय सदस्य पहले बोले हैं, उनकी यह भावना है कि इस योजना को शहरों में भी लागू किया जाय (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरी भावना को देखते हुए आप घण्टी न बजायें, थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करें।

श्री सभापति : दो मिनिट।

श्री रामगोपाल : सड़कों के बारे में आपने प्रावधान रखा है उसमें कोटा जिले को उपेक्षित रखा गया है। कोटा जिले

(श्री रामगोपाल)

में सड़कों पर धूल उड़ती है। रामगढ़ की सड़क है उस पर धूल उड़ती है। किशनगंज की सड़क हैं, छबड़ा की सड़क है, अटरू की सड़क है—इन सड़कों पर धूल उड़ती है और इन पर मिट्टी भी नहीं बिछी हुई है। आपने पूरे कोटा जिले की सड़कों के मामले में उपेक्षा की है और बजट प्रावधान नहीं रखा है। मेरा निवेदन है, निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युतीकरण का, उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह बताया गया है कि कोटा जिले में आज तक विद्युतिकरण की योजना कार्यान्वित नहीं हुई है। शाहबाद में यह घोषणा की गई थी कि 1972 में पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर में बिजली चली जायगी, लेकिन शाहबाद में आज तक बिजली नहीं गई है। एक गांव में बिजली जरूर गई है। इससे ग्रामीण विद्युतिकरण के ऊपर धक्का लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सरकार की ओर से धनराशि अलाट की जाय।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का कि राष्ट्रीयकरण की नीति इस बजट के अन्दर निर्धारित की है वह 35 पर्सेन्ट है और पिछले बजट के अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह 25 पर्सेन्ट का था। उसमें से 17 पर्सेन्ट का लक्ष्य पूरा हुआ है। किस्मत से इस पाइन्ट पर बोलने लगा हूं इस समय यातायात मंत्री यह विराजमान हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था वह पूरा नहीं है। इसलिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वह पूरा होना चाहिये—यह व्यवहारिक चीज है। आप कानून पास करते हैं, छत पर बैठने वाले पनिश होंगे, ड्राईवर से झगड़ा करेंगे वह पनिश होंगे। मैंने इसी सदन में यातायात की डिमाण्ड के समय पिछले साल कहा था कि इस प्रकार की रोड्स राजस्थान और कोटा के अन्दर है, जहां इस प्रकार की भीड़ होती है कि ग्रामीण जनता को तो क्या विधायक को छत पर बैठना पड़ता है। मैंने आपको पत्र लिखा था। मैंने आपके डाइरेक्टर को पत्र लिखा था। शाहबाद और छीपा बड़ोद की दोनों सड़कें हैं, वहां स्थिति क्या है, यात्रियों को क्या परेशानी होती है। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया है। स्थिति यह आ गई है कि ग्राम जनता को आप छोड़ दें, दो दफा मैं बस की छत पर बैठा हुआ हूं। यह अफसोसनीय स्थिति है कि विधायक बस की छत पर बैठ कर चले और स्थिति में सुधार नहीं हो पाये। मैं तो ऐसे मार्ग के लिए कहता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और राष्ट्रीयकरण की योजना में लीजिये। आपको क्या बताऊं आपने यह कानून पास किया है कि जो छत पर बैठेगा उसको आप पनिश करेंगे।

इसी तरह से पीने के पानी की समस्या जगह जगह है। शाहबाद के अन्दर हैड पम्प लगाने की स्कीम होनी चाहिये। आज मध्य प्रदेश की सीमा पर हर स्थान पर हर गांव में पम्प लगे हुए हैं। गर्मी के अन्दर हमारे यहां से लोग वहां पर पानी लाते हैं। यह गम्भीर स्थिति है। सभापति महोदय, आपको

(श्री राम गोपाल)
याद होगा कि कोटा में पानी बहुत होता है लेकिन फिर भी वहां पर प्राबलम इस प्रकार की है–इसका मैं पहले वर्णन कर चुका हूं।

पर्यटन के विषय में मैं बताऊं कि कोटा जिले के मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो पर्यटन विभाग के लिये इस बजट की मद में प्रावधान रखा गया है, वह बहुत कम है। आपका कोटा की ओर ध्यान जाना चाहिये शाहबाद में कई ऐसे स्थान हैं जो ऐतिहासिक है, जहां अच्छे अच्छे मेले होते हैं, या धार्मिक स्थान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक है कि पर्यटन सेन्टर वहां पर कायम हो। वहां पर सीताबाड़ी स्थान है, रामायण में आपने सीता के बारे में पढ़ा होगा, कपिलदेव कपिल ऋषि का आश्रम था। इसी तरह रामगढ़ का स्थान है, जहा प्राचीन मंदिर हैं। इस कारण वहां टूरिस्ट सेन्टर कायम किया जाना चाहिये और पर्यटन विभाग के लिये ज्यादा प्रावधान रखा जाना चाहिये।

खनिज के सम्बन्ध में देखिये, शाहबाद एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर अपार खनिज सम्पदा पड़ी हुई है। आपको खनिज पदार्थों का सर्वे करके वहां पर खान स्थापित करने चाहिये। उद्योग स्थापित करने चाहिये ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा चिकित्सा विभाग के मंत्री का कि कोटा के अन्दर बारां उप-खण्ड के अन्दर दांत विभाग की कमी है। वहां पर एक्सरे मशीन नहीं है और वहां पर पूरी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है जब कि वह बूंदी से बडा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि बूंदी की उपेक्षा की जाय, लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां पर भी यह विभाग और व्यवस्था होनी चाहिये।

लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स के बारे में वर्णन नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय हम बराबर यह मांग करते हैं कि बजट में यह कमी है, हमारे इलाके में अमुक चीज़ की कमी है। इन मांगों को देखते हुए, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। आप पूंजीपतियों पर टैक्स लगायें, आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर टैक्स लगायें और जो लोगों की मांग है कि विकास हो, वह विकास का काम निश्चित रूप से कीजिये। कोटा जिले के बारे में सवाल आता है, कृषि कालेज के बारे में, वहां कृषि कालेज क्यों नहीं बना है, वहां पर हाड़ौती विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना है, वहां पर इंजिनियरिंग कालेज की स्थापना क्यों नहीं की गई है। हम नहीं कहना चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में है। हम पश्चिमी राजस्थान का विरोध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान के अन्दर बड़ी योजनायें लागू नहीं करें तो हमें कहना पड़ेगा कि आप पूर्वी राजस्थान के अन्दर बड़ी योजनायें लागू नहीं करें तो हमें कहना पड़ेगा कि आप पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार माननीय सभापति महोदय, इन चीजों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं यह कहूंगा कि बड़े-बड़े पूंजीपति है, उद्योगपति हैं उन पर टैक्स लगायें, और माननीय सदस्यों की मांग है, पूरे राजस्थान के विकास की मांग है, वह विकास कार्य करते हैं तो आइन्दा कहने का मौका नहीं

(श्री राम गोपाल)

मिलेगा। कोटा जिले के माननीय सदस्य ने अपनी भावनायें व्यक्त की है, वहां जिन जिन चीजों की उपेक्षा की गई है, उनको आप जरूर कीजिये और उन कामों को योजना में शामिल करके आप विकास कीजिये।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद!

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल!

श्री मनोहर लाल : माननीय सदस्य (श्री उम्मेदीलाल) आप उधर कैसे पहुंच गये।

श्री उम्मेदीलाल : यह तो आप जानते हैं।

श्री मनोहरलाल : इसमें शंका है।

श्री उम्मेदीलाल : कोई शंका नहीं है।

श्री रामगोपाल : आपकी उत्सुकता है तो आप भी आजाइये। वहां क्यों विराजे हैं।

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय, सदन में बजट पर भाषण देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस स्थिति में खड़ा हुआ है, जो बजट पिछले साल और इस साल रखा गया है, कहां तक यह महत्वपूर्ण बजट है। इसके साथ साथ इस बजट के अन्दर कुछ कमियां ऐसी रह गई हैं जिनके बारे और कुछ मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र के बारे में निवेदन है कि जितनी सुविधा किसान को मिलनी चाहिए वह नहीं पायी है, और वह इसलिए नहीं मिल पायी है कि बिजली का जो साधन है, वह वास्तव में जितने लोगों को बिजली देनी चाहिए उससे अधिक लोगों को आप एलाट करते हैं। इसी कारण खेती किसानों की सूख रही है, वह किस लिए सूख रही है कि न आप बिजली पूरी दे सकते हैं, न पानी मिल सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जितनी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने हर कनेक्शन पर कुछ न कुछ गोलमाल किया है जो पीछे वाली एप्लीकेशनें थीं, वे ले गये और जिन्होंने पहले एप्लीकेशनें दी थीं वह रह गये हैं और पीछे वालों को दे दिये। इसके कारण यह हुआ कि जहां सौ लोगों को बिजली कनेक्शन देने चाहिये, वहां डेढ़ सौ लोगों को कनेक्शन दे दिये और लोग परेशान हैं। इसलिए इसमें मंत्री महोदय के देखने की बात यह है कि आज जो लोगों की हालत है, वह वास्तव में बहुत ज्यादा खराब है।

सिंचाई के बारे में मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जगर बांध है, उस बांध से साढ़े तीन हजार, चार हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है। लेकिन वहां पानी बेकार जाता है। अगर उसकी नहरों को पक्का कराया जाय और उसका ठीक ढंग से पानी दिया जाय तो पांच हजार, छः हजार एकड़ भूमि सिंचाई में आ सकती है। दूसरे वहां की जो नहरें हैं, उनके सीपेज के कारण हजारों एकड़ जमीन किसानों की खराब हो गई हैं। जिन्होंने सौ रुपये का बीज डाला और मेहनत की, उसके

(श्री उम्मेदी लाल)

बावजूद उन पर लेवी लगाई गई और उनको मोल लेना पड़ा। यह सारी व्यवस्था है उसके बाद में उनको सिंचाई का पैसा देना पड़ा, लगान अलग से देना पड़ा। सभापति महोदय, उन नहरों के लिए मैंने बराबर कहा है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उसके बारे में ध्यान देना चाहिए ताकि उन लोगों के लिए कोई सुविधा हो सके और ठीक ढंग से लोगों को पानी मिल सके। सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में प्रार्थना करूंगा कि सवाई माधोपुर वैसे ही पिछड़ा हुआ जिला है। उसमें हिन्डौन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है। जिसमें 45-46 प्रतिशत एस. सी. और एस.टी. के लोग रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजाओं के समय से ही हिन्डौन में हाईस्कूल था और जिले में इसका पहला नम्बर था। इसके बावजूद भी वहां के लोगों ने 3 लाख का भवन बनवाकर कालेज के लिए तैयार किया, उसके बाद भी कालेज वहां नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि एक सोने वाले बच्चे को दूध न पिलाया जाए। मां बाप का फर्ज होता है कि वह उसका ध्यान रखे। जो अछूत लोग हैं उनका भी आप ध्यान रखें। जो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में हिन्डौन का बच्चा इन बड़े शहरों में गरीब नहीं पढ़ा सकता क्योंकि खर्चा नहीं है अगर कालेज हिन्डौन खुल जावे तो जो किसान लोग हैं उनके बच्चे भी विद्या प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। कालेज के लिए हिन्डौन में बहुत बड़े समय से मांग है। हिन्डौन में कालेज के लिए 1968 या 1969 में अभियान चला और उसमें गोलीबारी भी हुई, कुछ आदमी मारे गये लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला कि कालेज खोल देंगे। यह कहते थे कि भवन बना देंगे तो कालेज खोल देंगे। सभापति महोदय, तीन लाख का भवन जनता ने बनवाया और जो भी आपको चाहिए, जितनी भी धन की व्यवस्था आपको चाहिए, वहां के लोग करने को तैयार हैं लेकिन बार बार यह मांग है कि हमारे यहां कालेज खोल दिया जाए। तो इसी सत्र में इसी साल कालेज की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, किसान को समय पर खाद न मिलने के कारण इस साल भी फसल को क्षति हुई। खाद और बीज की ऐसी व्यवस्था है जो समय पर नहीं होती इसलिए किसान लेहतलाली की स्थिति में है।

सीमेंट के बारे में निवेदन है कि हर साल कुओं का निर्माण मेरे क्षेत्र में होता है और सीमेंट का भारी अभाव है। दूसरे इलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि वहां पानी बढ़िया है और जमीन समतल है। हमारे यहां कुओं का अभियान है। अगर किसान को सीमेंट नहीं मिला तो बैंक से जो लोन लिया और कुछ पैसा लगाने के बाद किसान देखता है कि सीमेंट नहीं है तो हर जगह वह फिरेगा, पंचायत समिति में जाएगा तो 5 कट्टे देंगे, एस.डी.ओ. के पास जाएगा वह कहेगा कि आने वाला है। ऐसी हालत में बहुत भारी दिक्कत होती है। इसके लिए स्पेशल कोटा निर्धारित किया जाए ताकि जहां जैसी मांग है उसकी पूर्ति की जाए।

इसी साल राज्य सरकार ने भूमिहीनों को भू-खण्ड देने की योजना बनाई और उसने दो महीने के अन्दर अन्दर कोई 5,48,317

(श्री उम्मेदी लाल)

प्लाट्स दिए हैं लेकिन जिन लोगों को प्लाट्स दिए गए हैं, वे ठीक नहीं हैं। बार बार कहते हैं कि एस.सी. और एस.टी. के लोगों को दिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दूसरे लोग भी हैं। इसके अलावा भूखंड जहां दिए गए हैं वे ऐसी जगह दिए गए हैं जहां या तो ऊबड़खाबड़ जमीन है या पानी का अभाव है, वे किसी हालत में मकान नहीं बना सकते या ऐसी जगह दिए हैं जो गांव से दो मील दूर है जंगलों और पहाड़ों के पास है। मेरे क्षेत्र में ऐसे भूखंड दिए गए हैं जहां रहने वाले लुट जायेंगे, इसलिए वे किसी हालत में मकान नहीं बना सकते। अगर किसी ने बना लिए तो वहां के चोर और डकैत हैं वे इसे लूट जायेंगे। एक महीने में वहां तीन डकैतियां हो गई। वहां पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं। अगर थानेदार के यहां जायं तो वह कहता है, भाई कार्यवाही कर रहे हैं। माफ करना, पुलिस का रवैया खराब हो गया है। जिस गरीब के घर डाका पड़े उससे कहें कि भाई पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करो, वह कहता है अन्नदाता कैसे रिपोर्ट करें, पुलिस को तो और नोट चाहिए। तो आप इस हालत को सुधारें। पुलिस की हालत आज से खराब नहीं है, वर्षों से है। हमारे शासन में वास्तव में थोड़ी सी ढील है, इसको सुधारें ताकि लोगों को राहत मिले। हम जो पिछड़े हुए लोग हैं। सदियों से सरकार के साथ रहे हैं और इस सरकार ने भी काफी किया है, हम मानते हैं कि इन 25-26 साल में काफी कुछ किया है। क्योंकि पहले समय में जो रहन सहन था और आज जो है, उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है लेकिन फिर भी जो बजट रखा है और भूमिहीनों को जो गलत जगह पर भूखण्ड दिए गये हैं, उनको सही जगह बसाया जाए और जो 4 हजार रुपये उनको दिये जाते हैं, उसके बारे में मेरा विचार है कि पैसा न देकर मकान बना दिया जाए। चाहे कम बनायें ताकि वे बरबाद न हों।

जो शिड्यूल्ड ट्राईब और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए छात्रावास खोले हैं उनके बारे में निवेदन है कि हम जैसलमेर इलाके में मई में गए और कई छात्रावासों में गए। वहां बच्चों से पूछा कि तुमको खाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या मिलता है तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें 15 पैसे के चने मिलते हैं। इससे तुम्हारा नाश्ता हो जाता है? हां साहब, हो जाता है। तो आप अन्दाजा लगायें कि जब 15 पैसे में माचिस भी नहीं आती तो नाश्ता कैसे हो सकता है? जो तेल और साबुन की बट्टी मिलती है उससे एक महीना की भी पूर्ति नहीं होती। तो जितना बजट उन पर खर्च होता है उतना ही उन लोगों पर खर्च होता है जो व्यवस्थापक हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं वह उन पिछड़े हुए लोगों के काम में नहीं आता है। जो कुर्सी पर जमे हुए बैठे हैं जिनको एक हजार या 500) वेतन मिलता है, ये सारा गोलमाल कर देते हैं और नाम हरिजनों का होता है। इसलिये मेरी मान्यता है कि इन लोगों को राज्य सरकार को जो कुछ भी आर्थिक सहायता देनी हो वह एक महीने में कितनी देनी है वह तय करके उन्हें दे दी जाय। अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उनकी हालत सुधर सकती है वरना नहीं सुधरेगी। बस इसके साथ-साथ मैं सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी को जो मैंने सुझाव दिये हैं उन्हें

(श्री उम्मेदी लाल)

पूरे करने के लिये निवेदन करता हूं। और वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है कि जो जो मैंने अर्ज की है उस पर थोड़ा ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल !

श्री केशरीमल : सभापति महोदय सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम की घंटी)

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय बजट जो सदन में वित्त मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है पहाड़ी इलाकों में सिंचाई साधन बढ़ाये जाने चाहियें। जिसमे कि किसान को लाभ मिल सके। पहाड़ी इलाकों में सभापति महोदय पानी नीचे होता है। छोटे छोटे नाले होते हैं वहां पर छोटे छोटे बांध बनायें जाने चाहियें। सभापति महोदय अगर वहां पर आप बांध बनायेंगे। पानी ऊंचा आजायेगा और जिससे कि सिंचाई ज्यादा हो सकेगी। इसके अलाव सिंचाई के लिये साधन बढ़ाये जाने चाहिये। सरकार को चाहिये कि लिफ्ट इर्रीगेशन के जहां पर साधन हो सके उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम में लिये जाने चाहिये। जैसे चम्बल का इलाका है। ऐसा करने से खेती की उपज बढ़ेगी और जो आज हमारे राजस्थान में भूखमरी का सामना करने की नौबत आती है उस समस्या का भी हल हो जायेगा। और किसान को काफी सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जावें। जैसे कि बिजली है, खाद है और भी जो किसान की उपज जिससे ज्यादा बढ़ सके वह दी जाय। सभापति महोदय आज बिजली कम मिलने के कारण जब किसान की मोटर रुक जाती है तो उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यहां का किसान इतना ट्रेन्ड नहीं है कि वह कम पावर से अपनी मोटर पूरी तरह से चला सके इसलिए वित्त मन्त्री जी से मेरा यह कहना है कि किसान को नुकसान नहीं भुगतना पड़े इसके लिये किसान को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जावे।

इसके अलावा सभापति महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सरकार ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो भूखण्ड आवंटित किये हैं वह ठीक नहीं किया है इसके लिये आपने जो इन लोगों को पैसा देने की बात की है वह पैसा तो वह बोहरन को बांट खूंट देगा और उसके पास मकान बनाने के लिये कुछ नहीं रहेगा। इससे तो अच्छा यह होता कि आप उन लोगों को फेमिली क्वार्टर बना कर देते तो उनको सारी सुविधा हो जाती। एवं उनकी सारी कठिनाईयां दूर हो जाती। आज आपने जो भूखण्ड आवंटित किये हैं वह आबादी में तो आवंटित किये नहीं है बल्कि उनको नालों पर और जंगल में या चरागाहों में अलोट किये हैं। वहां पर उन लोगों को बहुत ही दिक्कत पैदा होती है। इसलिये आपको चाहिये कि आप उन लोगों को फेमिली क्वाटर्स बना कर देखें, इसके अलावा सभापति महोदय राज्य सरकार ने काफी मिडिल स्कूलें खोली मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि और प्राथमिक

(श्री रामलाल)

शालायें खोली जायं तथा जहां पर मिडिल स्कूल हैं वहां हायर सेकेन्डरी और सेकेन्डरी स्कूल खोले जावें। मैं यह भी चाहूंगा कि कालिजेज भी खोले जावें। जिससे कि लोगों को शिक्षा मिल सके।

सभापति महोदय थोड़ा ध्यान आपका मैं पहाड़ी इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो पत्थर निकलते हैं उनको बड़े बड़े ठेकेदार लोग ठेके लेते हैं। इसमें मेरा निवेदन यह है कि वहां पर छोटे छोटे ठेके इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को दिये जावे ताकि उन लोगों को भी उद्योग धन्धों में लाभ मिल सके। इसके अलावा छोटे छोटे ब्लोक्स बनाये जायें। और वहां जो हाथ के दस्तकार लोग हैं उनको मजदूरी दी जावे। आज जो सरकार यह कहती है कि हम छोटे लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको इन्हें सहूलियतें देनी चाहिये। अगर आप उनको वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको इन छोटे पिछड़े लोगों को खान उद्योग में भी हिस्सा देना चाहिये जिस प्रकार कि आपने सरकारी नौकरियों में 28 परसेंन्ट का फारमूला रखा है उसी प्रकार इसमें भी उनका हिस्सा रखें।

इसके अलावा सभापति महोदय मैं लेवी के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं आज आप किसान से जो लेवी लेते हैं वह चाहे लें उसका मना नहीं है। लेकिन आप किसान से जो लेवी लेते हैं उसके बदले में आपको किसान को ज्यादा से ज्यादा बिजली खाद, लोहे के सामान, लकड़ी के सामान व लोन देने की व्यवस्था करनी चाहिये अगर आप यह कर देते हैं तो किसान आपको कभी भी लेवी के लिये मना नहीं करेगा। इसके लिए आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लेवी के लिये आपको निश्चित् समय पर ही किसान को सूचना दें। यह आप समय पर ही उससे ले लें जबकि आप किसान को सावन और भादों में लेवी मांगते हैं वह ठीक नहीं है उस वक्त किसान कहां से लेवी का अनाज लायेगा। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : सभापति महोदय राजस्थान के वित्त मन्त्री ने सन् 75-76 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये वास्तव में वित्त मन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय माननीय सदस्यों के, राजस्थान की जनता के मन में बजट भाषण सुनने से पहले एक भय और चिन्ता का वातावरण उस वक्त फैला हुआ था लेकिन जब वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश कर दिया तो उस समय सभी सदस्यों और राजस्थान की जनता में जो भय और चिन्ता थी वह दूर हो गयी। इसके लिये वास्तव में वित्त मन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान मौजूदा स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय इस वक्त जिस वक्त हम बजट पास करवाने जा रहे हैं उस वक्त राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। पूरा राजस्थान का पश्चिमी इलाका भयंकर अकाल से घिर गया है। यह सभापति महोदय सभी जानते है कि राजस्थान का

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पश्चिमी इलाका जो कि पिछड़ा हुआ है इसमें खासतौर से बीकानेर, चूरू, सरदारशहर, जोधपुर, जैसलमेर, और बाड़मेर के इलाके हैं, आज यह सारा का सारा इलाका भयंकर अकाल की चपेट में आया हुआ है वहां की जनता बहुत ही दुखी है। वहां इस अकाल से भयंकर भय फैला हुआ है। सभापति महोदय बजट में जो कुछ आपने प्रस्ताव रखे हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं है और जो इस अकाल ग्रस्त एरिया में लोगों की हालत है वह भी आपसे छुपी हुई नहीं है। आज वहां पर लोगों को खाने के लिए एक टाईम पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है। आज आपने लोगों को अनाज जनता में दे रहे हैं वह तो सिर्फ दो या तीन किलो अनाज आप देते हैं क्या एक महीने के तीस दिन जहां पर होते हैं क्या आपका दो या तीन किलो अनाज से एक व्यक्ति का पेट भर सकता है। मैं समझता हूं कि हरगिज एक व्यक्ति का इससे पेट नहीं भर सकता। तो फिर बचे हुए अनाज के लिए उस व्यक्ति को चाहे बाजार से लाना पड़े या और भी अपने कोई साधन जुटाकर अपना काम चलाता है। सभापति महोदय अकाल जो पड़ता है वह पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए सभापति महोदय मेरा यह निवेदन है कि अनाज कीमत कम का जाय अगर जनता को भूख से मरने से बचाने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह जखीरे बाजों को जिन्होंने कि अनाज के गोदाम में अनाज भर रखा है उनके खिलाफ में अगर राज्य सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जनता भूख से सड़ सड़ कर मर जायेगी और लोग भूख से कमजोर हो जायेंगे इसलिए में वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपका बजट है यह धरा का धरा रह जायेगा और जनता भूखमरी से नहीं मरे और जनता को पेट भर अनाज मिले ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे आपको सख्ती से कदम उठाना पड़े तो उठावें। और जखीरे बाजों ने इकट्ठा करके गोदाम भर रखे हैं, बाजार में अनाज कहां से आ रहा है? मर्जी चाहे जितना खरीद लो। पूंजीपतियों की व्यवस्था है, उनके पास बहुत अनाज भरा हुआ है। उस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। कांग्रेस को चुनाव में वोट देने वाले मतदाता रीढ़ की हड्डी हैं वे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं।

राजस्थान कैनाल पर लगे हुए मजदूरों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर गला और सड़ा माइलो दिया गया है। उसमें धतूरे के बीज मिले हुए हैं और साफ करने के बाद एक किलो अनाज में से आधा किलो अनाज भी उनके पास नहीं बचता है। फिर भी तरह तरह की दवाईयां छिड़की हुई हैं, साफ करके भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए मजदूरों में तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर है। वह वापिस आ रहा है। इस ओर ध्यान देकर अच्छा अनाज देने की कोशिश करें। जो अच्छे हट्टे कट्टे लोग हैं, अच्छा गेहूं बाजरा देने की प्रणाली है उनकी, उसको बदलें और मजदूरों को दिया जाय और जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनको माईलो दिया जाय तो अच्छा होगा, इससे राजस्थान कैनाल पर अच्छा काम होगा।

सभापति महोदय, गांवों में पीने के पानी की समस्या है। आप भी उसी इलाके के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

है। तीस तीस मील तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। 26 वर्ष 27 वर्ष की आजादी की उपलब्धि में भी यदि इन्सान को पीने का पानी नहीं दे सकें तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। लोग जो गावों में बसे हैं उनका पीने का पानी देना यह हमारी जिम्मेदारी है। सरकार को जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सभापतिजी, राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहे हैं और सरकार भी प्रयत्नशील है और कुछ काम किये भी हैं। लेकिन जिस तेजी से काम होने चाहिये, किये जाने चाहिये वह नहीं किये गए हैं। सीकर झूंझूनूं और दूसरे इलाकों में ज्यादा पानी देने के लिए वहां के काश्तकारों को ट्यूब वैल के लिये बिजली देंगे ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल के लिए बिजली देंगे तो अधिक से अधिक अन्न की उपज होगी और हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। काश्तकारों को जब तक सुविधा और राहत नही देते हैं तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े उद्योग धन्धे लगाने और पूंजी की रक्षा के लिए पूंजीपतियों को अधिक से अधिक साधन दिये गये हैं लेकिन आपने काश्तकारों की रक्षा नहीं की है। आज काश्तकार मजदूर मुसीबत में हैं। इसलिए मैं चाहूंगा खेती की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय और काश्तकार को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाय ताकि अनाज की समस्या को हल कर सकें। आप जानते हैं, माननीय सभापतिजी, राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल में बसने वाले काश्तकारों की माली हालत को। जब भी देश पर संकट आया है, देश पर दुश्मन ने हमला किया है, गंगानगर के किसान के उस इतिहास को भूला नहीं जा सकता, लालबहादुर जी ने कहा कि देश की अखंडता को दुश्मन ने चुनौती दी है, देश के ऊपर खतरा पैदा किया है गंगानगर के किसान ने कहा, आजादी देश की खतरे में पड़ती है तो हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हथियारों के लिये आपको सोना चाहिये सोना देंगे, चांदी चाहिये चांदी देंगे। और माननीय सभापतिजी गंगानगर के काश्तकार ने, जो अच्छे काश्तकार थे उन्होंने लालबहादुर शास्त्री को सोने से तोला, चान्दी से तोला। यह करामात किसकी थी? यह उसी धरती की जिस धरती को राज्य सरकार ने पानी दिया। इसलिये मैं चाहूंगा कि गंगानगर की तरह पूरे राजस्थान में धरती के नीचे और धरती के ऊपर पानी है उसको काश्तकारों की जमीन को देंगे, मैं यह जिम्मेदारी से कहता हूं कि राजस्थान का यह किसान राजस्थान की जनता को ही नहीं किन्तु पूरे देश की जनता को अनाज उपलब्ध करा सकेगा। लेकिन हमने यह काम नहीं किया है। हमने तो पूंजीपतियों को सहयोग दिया है। आपको 25 वर्ष पहले ही यह कदम उठाने चाहियें थे जो आज तक नहीं उठाये गये हैं। अखबारों में पढ़ा कि जयपुर के राज महलों में सोना मिला है। आज भी लोगों के पास धान सड़ रहा है, अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ देश की असली औलाद भूख से मर रही है। जिम्मेदारी किसकी है? हम उससे बच नहीं सकते। हमारी औलाद एक तरफ सड़ रही है और दूसरी तरफ धान सड़ रहा है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

आप क्यों नहीं निकालते हैं ? पूंजीपतियों को आप क्यों पनाह दे रहे हैं ? समय रहते चेतें। अगर हम नहीं चेतेंगे तो हम खुद खतरे में हैं, देश खतरे में है, काश्तकार खतरे में है। ज्यादा से ज्यादा इमदाद कर सकें सरकार की इसके लिये काश्तकार को अधिक से अधिक मदद करें। हम कुछ नहीं चाहते अधिक, हम इतना चाहते हैं कि धरती के नीचे पानी पड़ा हुआ है, खेतों को पिलाने के लिये आप मदद कीजिये। आपकी योजना सफल होगी। यह कदम धीरे उठ रहा है, सभापतिजी, इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि तेजी से उठाये ताकि हमारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकें।

छोटा सा मुद्दा है रोडवेज का, इसमें तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन भूखण्ड और हरिजनों की समस्या के विषय में कहना चाहूंगा। भूखण्ड दिये वास्तव में उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इतना सस्ता धन्यवाद आपको स्वीकार नहीं करना चाहिये।

माननीय सभापतिजी, आप भी गांव के वोट लेकर आते हैं। आपको सारा पता है। जो भूखण्ड दिये हैं वे कम पड़ते हैं। काश्तकार के पास गाय है, बैल हैं, बच्चे हैं, एक भूखण्ड में सब नहीं समा सकते हैं। जमीन की कमी हो तो इतना दें। लेकिन गांवों में बहुत सी खाली जमीन पड़ी हुई है। आपको उनको देना चाहिये। काश्तकार का परिवार बढ़ रहा है उस ओर ध्यान देकर आपको उनको ज्यादा जमीन देनी चाहिये।

सभापतिजी, आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान राजस्थान कैनाल की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां पर जो निर्माण कार्य हैं बड़े ढीले हैं। और धीमी गति से चल रहे हैं, राज्य सरकार थोड़ी उस ओर सक्रिय हो और तेजी से उनको पूरा करे तो निश्चित रूप से जो मुसीबतें अनाज की हों या और कोई हों, सारी दूर हो जावेंगी। सभापतिजी, आज गांवों में हालत यह है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। लोगों को रोजगार नहीं मिलने से लोग भूख से सड़ रहे हैं। उनके पास जो कुछ मामूली जेवरात ओढ़ने के कम्बल दूसरे लोगों के यहां अढ़ाने रख कर बच्चों के किसी तरह पेट का गुजर चलाया लेकिन लोगों की हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है।

माननीय सदस्यों से, राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सक्रिय रूप से इस ओर कदम उठाने चाहिये क्योंकि सरकार हमारी है, जनता हमारी है, इस बजट को क्या करें जब जनता सड़ रही है, पांच साल बाद क्या काम आवेगा, भूख से तो आज सड़ रहे हैं, इसलिये आप अधिक से अधिक मदद करें।

हरिजनों के छात्रावासों की समस्या के लिये निवेदन करना चाहूंगा। छात्रवृत्ति मिल रही है, 25 वर्ष पहले की है। महंगाई कितनी है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। जो भी सुविधा मिल रही है, उसको और बढ़ाया जाय ताकि ठीक ढंग से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके।

सभापति जी बिजली के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। आज मेरे निर्वाचन क्षे

Page No 106

(106)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

में 15–20 गांव हैं जो आपके निर्वाचन क्षेत्र से भी मिलता जुलता है, 17–18 मील दूरी पर बिजली पहुंच चुकी है लेकिन काश्तकारों की जो माली हालत है वह नीचे का पानी ऊपर नहीं ला सकते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा काश्तकार को कुआ खोदने के लिये 5–5, 4–4 हजार की सहायता दे देंगे तो आपको अनाज के लिये दूसरों से हाथ नहीं पसारना पड़ेगा इसलिये मेरा निवेदन है जो अकाल का सामना करना पड़ रहा है वह नहीं करना पड़ेगा और हमेशा के लिये अकाल की भयंकरता से छुटकारा पा सकेंगे। मैं इतना ही कहता हुआ वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा बजट पेश किया है।

श्री सभापति : श्री ओंकार लाल !

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : माननीय सभापति जी वर्ष 75–76 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बजट को शुरू से आखिर तक देखने पर पता लगता है कि इसमें कहीं भी कर नहीं लगाया है। एक ऐसा बजट है जो सन्तुलित बजट कहा जा सकता है। कुछ भ्रान्तियां फैल रही हैं लेकिन इस वर्ष में वर्षा अच्छी होने के कारण और देश के हालात अच्छे होने के कारण ऐसा लगता था कि राजस्थान का बजट भी इसी प्रकार का आयेगा। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं कि कर नहीं लगाया और बजट सन्तुलित भी है, मैं भी इसकी ताईद करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं लेकिन इसमें यह देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के बजट को क्या एक प्रोग्रेसिव बजट कह सकते हैं। क्या इसका विकास की दिशा में कार्य कर सकते हैं, यह सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति जी जिस देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जाती है या जिस देश की अर्थ व्यवस्था में कुछ लचीलापन आ जाता है और आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। देश की जो अर्थ-व्यवस्था चल रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट बनाया है इस प्रकार बनाया है जो पूर्वी-पश्चिमी सभी जिलों को देखकर इसको ढंग से रखने की कोशिश की लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिससे असन्तुलन दिखाई देता है। आज विकास की गति को और आगे ले जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वे कुछ ऐसी चीजों पर जो आवश्यक हैं जैसे विलासिता सम्बन्धी चीजें हैं और दूसरी चीजें हैं हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं शराब ऐसी चीज है जो मनुष्य को ही नहीं समाज को खाती है, देश को खाती है और एक ऐसी चीज है जिस पर अधिक कर लगाकर धन को संग्रह कर सकते और विकास के कार्यों में लगा सकते थे लेकिन मैं समझता हूं चूरू और नागौर जिले में छूट देकर जो उन्होंने इस बजट में दिखाया है वह स्वागत योग्य है लेकिन जिस प्रवृत्ति से इस चीज की तेजी आती है उसमें कर लगाते हैं तो मैं समझता हूं हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर पाते हैं।

आज इसी प्रकार का सन्तुलन दूसरी दिशा में बढ़ता जाता है उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं विद्युति-

(श्री ओंकारलाल चौहान)

करण का जहां मामला आता है, विद्युतिकरण का एक ऐसा प्रश्न है कि जिससे राजस्थान का प्रत्येक काश्तकार सम्बन्धित है। जो व्यक्ति खेती करता है उनके लिये जमीन आवश्यक है, भूमि आवश्यक है, पानी आवश्यक है और वहां पर बिजली भी आवश्यक है। ये तीनों आवश्यकतायें देश के उत्पादन को बढ़ाती हैं, देश के उत्पादन में इनसे अधिक बल मिलता है। जब तक उत्पादन हम नहीं बढ़ाते हैं कोई भी देश हो, मैं समझता हूं अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता है इसलिये आवश्यक है जिस गति से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण का विकास होना चाहिये वह नहीं हुआ और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गत समय, गत सत्र में एक प्रश्न आया था कि हम बिजली में सरप्लस हैं, बिजली काफी है और प्रश्नोत्तर काल में यह भी उत्तर आया था कि हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहे हैं।

आज मालूम होता है सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर पूरी तरह गौर किया जाना चाहिये। आज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी काम करती है उस पर नियंत्रण और अंकुश होना चाहिये अगर अंकुश और नियंत्रण नहीं हो पाता है तो जो देश का प्रोग्राम है, जो प्रोग्रेसिव पालिसीज हैं, जो सोसलिस्टिक पेटर्न आफ सोसायटी देश का है और जिसमें सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं उसमें रोड़े डलते हैं और देश का विकास रुकता है यह एक विचारणीय प्रश्न है। एक तरफ तो हम सरप्लस हैं, और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास के लिये बिजली नहीं दे पाते हैं और उद्योगों के लिये बिजली की कटौती करनी पड़ती है।

आज सभापति महोदय, कोटा के अन्दर कई बन्ध हैं, हाईडल पावर है लेकिन जहां कनेक्शन की बात करते हैं, वास्तव में कनेक्शन विकास के लिये देना पड़ता है। हाईडल पावर कितना मदद कर पायेगा और जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं उसके लिये अधिक से अधिक प्रावधान होना चाहिये, राजस्थान को पूरी कोशिश करनी चाहिये कि सेन्ट्रल से बल मिले। हमारी जो फाइनेन्शियल पोजीशन है वह ठीक होनी चाहिये और तभी हम वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकते हैं। क्या वित्तीय स्थिति में असन्तुलन है, माननीय सदस्य निवेदन कर रहे थे, आज भी मैं समझता हूं राजस्थान के अन्दर धन की कमी नहीं है। बड़े बड़े राजा-महाराजाओं के यहां बड़े बड़े सेठ-साहूकारों के यहां जब हम अपने आपको प्रोग्रेसिव कहते हैं और एक रेडीकल चेन्ज लाना चाहते हैं तो आखिर देश किस प्रकार आगे बढ़ेगा। कोई भाषण देने से, नारे देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, जो पालिसी हम बनाते हैं उसकी क्रियान्विति होनी चाहिये। जब तक हम पालिसीज की क्रियान्विति नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह मानिये सभापति महोदय विकास की गति रुकती है, विकास की गति में धीमा पन आता है। बड़े-बड़े सेठों के पास लाखों करोड़ों का भन्डार भरा हुआ है। कहीं लेवी के माध्यम से चोरी करते हैं, बड़े-बड़े लोग करों की चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन होता है। इस प्रकार के श्रोतों को इकट्ठा करें और श्रोतों को इकट्ठा करके विकास के काम में लगायें तो मैं समझता हूं राजस्थान की दशा ठीक हो सकती है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

विद्युतिकरण के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे बजट को देखने से ऐसा पता लगा कि इसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए एक प्रावधान रखा गया था। गत बजट के अन्दर 25 लाख का जैसी कि मेरी मेमोरी ठीक है वह था वह भी प्रावधान अब इसके अन्दर नहीं है, वह रखा जाना चाहिये। क्योंकि जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है–समाजवाद का मतलब क्या है, प्रगति का मतलब क्या है, मतलब तो यह है कि सभी वर्गों के लोगों को, छोटे बड़े कमजोर लोगों को बढ़ा सकें, आगे आ सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके और स्तर ऊंचा होने पर देश के विकास में सहायक हो सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय यह जो प्रावधान उन्होंने एक टोटल के हिसाब से रखा है, मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये 25 लाख का प्रावधान अलग से होना चाहिये। जिससे वह विकास हो सके।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के छात्रावासों की दशा अच्छी नहीं है, स्वयंसेवी संस्थाओं की दशा अच्छी नहीं है। धन की कमी है, मैं मानता हूं लेकिन फिर भी इसके विकास के लिए अधिक बजट रखा जाना चाहिये।

शिक्षा के अन्दर जो सामाजिक क्षेत्र में जो शिक्षा का दायरा आया है, मुझे संतोष होता है, कुछ राहत भी मिलती है इस बात को देखते हुए कि कुछ स्कूलें खोली गई हैं, मिडिल स्कूलों को सेकेन्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए लिया गया है, कहीं इंस्टीट्यूशन्स में नए सब्जेक्ट खोले गये हैं। ठीक है, कुछ राहत मिलती है। लेकिन शिक्षा जहां पर बहुत बल दिया जाना चाहिए, जो बजट रखा गया है वह कम है और अधिक प्रावधान होना चाहिए। इसलिए शिक्षा के साथ, महिला शिक्षा पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है यह डिस्पेरिटि पैदा करती है, असंतुलन पैदा करता है और हम इसको जब प्रोग्रेसिव की भाषा में कहते हैं वहां हम रिटार्ड होते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। क्योंकि अब महिला जगत और पुरुष जगत, दोनों बराबर जगत माना जाता है, अगर महिला जगत को आगे नहीं लाते हैं तो उनके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार से आगे बढ़ने वाली बात नहीं है और यह प्रोग्रेसिव होने की बात कहते हैं वह ठीक तरह से चरितार्थ नहीं हो पाती है।

माननीय सभापति महोदय, कई सारांश दिए हैं डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड, कोरपोरेशन यह स्वागत योग्य चीज है और इसमें कोई संदेश नहीं है। राजस्थान बढ़ता जाता है, विकास होता जा रहा है लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जहां हम वित्तीय स्थिति की बात करते हैं, उस संदर्भ में झामर कोटरा में जो हम रोक फास्फेट निकालने में सक्षम हुए हैं, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे क्या कारण थे। काफी तादाद में भारत सरकार को बाध्य नहीं कर पाये, राज्य सरकार को अच्छी तरह से ताकत लगा कर कोशिश करनी चाहिए जिससे हम फोरेन एक्सचेंज कमा सकें। फोरेन एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो उसमें जहां हम सक्षम बन सकते हैं तो उस चीज को एक्सप्लायर करना

(श्री ओंकारलाल चौहान)

चाहिए और एक्सप्लायट करके इस चीज को बढ़ा कर हम सक्षम बन सकते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकते हैं लेकिन ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट के देखने से एक बात और सामने आती है जहां हम संतुलित बजट की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव बजट की बात करते हैं तो साथ ही मैं असंतुलन की बात भी निवेदन करना चाहूंगा। आज कुछ भाई पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं। यह सही नहीं है। उसमें कोई पश्चिम के भाईयों से कोई नाराजगी नहीं है। उनका क्षेत्रीय विकास करना चाहिए, करें लेकिन अगर पूर्वी इलाके के रहने वाले लोग या वे लोग जो राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू दें, सबसे ज्यादा अन्न दें और राजस्थान की रीढ की हड्डी बन कर कृषि के क्षेत्र में अधिक मदद करें। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसे इलाकों की क्या उपेक्षा की जाय। मेरा यह निवेदन करना है कि यह मेरा मानना तो नहीं कि डेजर्ट इलाके का डवलपमेंट नहीं किया जावे, राजस्थान केनाल को पूरा नहीं किया जावे। बहरहाल राजस्थान हमारा एक है। हमारा अप्रोच इण्टीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। उस इण्टीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर नहीं कोई डिस-इण्टीग्रेशन होता है। डिसइण्टीग्रेशन इस मायने में कि कुछ इलाके, कुछ पोकेट, कुछ जगह जहां पर असंतुलन रहता है, विकास पूरा नहीं होता, विकास की किरणें नहीं पहुंच पाती, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क के मामले में कोटा डिवीजन की ऐसी स्थिति है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं डिमाण्ड के समय पूर्ण रूप से इस सम्बन्ध में रोशनी डालूंगा लेकिन अभी तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह असंतुलन है यह अनुचित है। इस मौके पर आज मैं यह कहे बिना नहीं रुक सकता इस ओगस्ट बाडी के सामने कि इस असंतुलन को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां डेजर्ट डवलपमेंट की बात आती है, जो इलाका खाद्यान्न की दृष्टि से मजबूत है, दूसरी दृष्टि से मजबूत है उस क्षेत्र का विकास ठीक तरह से, ठीक ढंग से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप घन्टी बजाना चाहते हैं मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। इन सब बातों को देखते हुए इस बजट पर अगर पूरी नजर डालते हैं तो यह मानना पड़ता है कि बजट संतुलित है, बजट ठीक ढंग से बनाया गया है, लेकिन इस रूप में जो चीजें रह गई हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा कि शाहबाद का जो इलाका है यह ऐसा इलाका है, यह तो खुशी की बात है कि आदिवासी भाइयों के लिए जो राजस्थान के भाई हैं, हमारे, उनके लिए जो सब प्लान ट्राईबल प्लान बनाया है उसका स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उनके विकास के लिए योजना बनाई गई है और उसके अन्दर जो जिले और गांव शामिल किए गए हैं वे भी ठीक हैं। उसमें कोई उपेक्षा नहीं है। लेकिन कुछ पोकेट राजस्थान के अन्दर हैं जहां की आबादी 44-45

(श्री ओंकार लाल चौहान)

प्रतिशत जिन भाइयों की है, सहरियाओं की है उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहले ट्राइबल डवलपमेंट प्लान 74 के अन्दर था। शाहबाद जहां सहरिया लोग हैं जिनके बदन पर कपड़ा नहीं, खाना नहीं, मकान नहीं, जो आज भिखारियों की तरह रहते हैं। आज भी 27 साल के अर्से में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उजाले की रोशनी नहीं पहुंची और प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ा। उस दृष्टि से गरीबी से दिक्कत में हैं उनका आज भी शोषण है, उनका आज भी हर प्रकार का शोषण किया जाता है। यह एक ऐसा पोकेट है उसके अन्दर वहां जितनी आबादी है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट, केन्द्रीय सरकार की गाइड लाईन के अन्तर्गत वह गांव शामिल किए गए थे। वह पंचायत समिति शाहबाद शामिल की गई थी लेकिन इस आधार पर जन संख्या के पूरी न होते हुए भी कुछ पोकेट ऐसे हैं कि उस गाईड लाईन के अन्तर्गत आते थे कि जहां कि कल्चर, वहां की बोली, वहां की भाषा, उनका रहन-सहन उन सब बातों को देखते हुए इन सब चीजों को शामिल किया गया है, मैं नहीं समझ पाया माननीय सभापति महोदय कि शाहबाद को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जो इलाके छूट गए हैं उन पर आप पुनः विचार कर देखें और अगर हो सके तो इनको शामिल करें। इसके अन्दर उस क्षेत्र का विकास होना चाहिये और जो सदियों से, वर्षों से, पीढ़ियों से जो लोग आज हमेशा से जिनका विकास नहीं हुआ है, जो गरीबी में पड़े हुए हैं जिनके मन में भार है, उनका विकास होना चाहिये और तभी हम उनके प्रति न्याय कर सकेंगे।

अब मैं अधिक नहीं कहते हुए यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत होशियारी से, बहुत समझ-बूझ कर इस बजट को प्रस्तुत किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने, मूलचन्दजी ने कहा कि विकास नहीं हुआ उनको मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। मेरे अपोजीशन में बैठने वाले बन्धुओं, यह तो आपको मानना चाहिये कि 27 साल में विकास हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिन चीजों पर विकास हुआ है, आगे बढ़े हैं, क्या शिक्षा की दृष्टि से, चाहे नौकरी की दृष्टि से . . .

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मनोहर लाल : माननीय सदस्य क्या आप बजट को खा जाते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आप कण्ट्रोवर्सी में न पड़ें, जो कुछ कहना हो तो आप बाद में कह सकते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री ओंकार लाल चौहान : मैं कण्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि विकास हुआ है, विकास की गति बढ़ी है और इन्हीं

(श्री ओंकार लाल चौहान)
शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने विकास की योजना का व्यय अपनी हिम्मत पर बढ़ाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन कुछ लालच देकर और कुछ दवाव देकर अपने दल की सदस्य संख्या के अन्दर बढ़ोतरी की है दल बदलाव को बढ़ावा दिया है इसके लिए मैं उनकी निन्दा करता हूं।

श्री ओंकार लाल चौहान : आप भी तो आने वाले थे।

श्री मनोहरलाल : यह तो मेरा आरोप है, लिख कर आरोप लगाया है माननीय सदस्यों को लालच देकर....

(व्यवधान-अश्रव्य)

पार्टी छोड़ कर आपके साथ गये हैं मैं इस बात की निन्दा करता हूं और उसकी सफाई देने का अवसर है, उनको अधिकार है, और वे सफाई देना चाहें तो दें, मेरा आरोप स्टेंड करेगा और उन पर आरोप लगाया है उसका वे जवाब दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप भी तो इधर आने वाले थे।

श्री मनोहरलाल : मैं आऊंगा उधर तब आप इधर बैठेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह दिन भी स्वागत योग्य है।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि बजट में तारीफ करने लायक कोई बात नहीं है। मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा। मैं भरतपुर जिले के कामां स्थान से आता हूं जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर है। हरियाणा की सीमा कामां कस्बे से दस किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की सीमा 5 किलोमीटर है।

सभापति महोदय, रेगिस्तानी इलाकों का विकास हो, पर्वतीय इलाकों का विकास हो, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं। मंत्री महोदय, इसलिए और प्रावधान बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए बधाई दूंगा, स्वागत करूंगा। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आप वहां से कर लेते हैं परन्तु उन करों का हिस्सा उन इलाकों को नहीं देते हैं। कर आबादी और क्षेत्र के हिसाब से लेते हैं सभापति महोदय आप अच्छी तरह से जानते होंगे फाइनेन्स कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक और संविधान के प्रावधानों के मुताबिक केन्द्रीय करों का हिस्सा हर प्रदेश और हर प्रान्त को मिलता है। इस तथ्य को आप छिपा नहीं सकते। लेकिन ले लेगें आबादी और क्षेत्र के हिसाब से और उसको देने में भी आप भेदभाव बरतते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप वहां पर कर नहीं लगावें। लेकिन आपको यह मानकर चलना चाहिए कि भरतपुर जिला भी राजस्थान का जिला है। विकसित होते हुए भी उसके विकास की आवश्यकता है। सभापति महोदय आप चाहें तो विकास कर

(श्री मनोहर लाल)

लगा सकते हैं और इस तरह से जो पैसा आवे वह उधर लगावें। और मामलों की बात समझ में आ सकती है। उद्योगों की बात समझ में आ सकती है। राजस्थान नहर और दूसरी योजनाओं की बात समझ में आ सकती है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि क्योंकि भरतपुर में ज्यादा पैदावार होती है, इसलिए उसकी पैदावार नहीं बढ़े। अगर एक खेत में दस मन के बजाय बीस मन पैदा हो सकता है तो उस पैदावार की मदद से, सहायता से, और अन्य किसी सरकारी तरीकों से बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें आपको क्या परेशानी हो सकती है। सभापति महोदय मैं सरकार की इस बात के लिए निन्दा करता हूं कि आप खेती के मामले में, पैदावार बढ़ाने के मामले में, उत्पादन के बारे में पक्षपात करते हैं। आप एक जगह का खून निकाल कर दूसरी जगह खून देना चाहते हैं। यह बरदाश्त के काबिल नहीं है। लोग तैयार हो चुके हैं आन्दोलन के लिए। वे चाहते हैं कि उन से विकास कर लिया जाये और वहां पर कार्य हो। हमारे मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें राजस्थान नहर पर मजदूर नहीं मिलते हैं। रेगिस्तानी हिस्सों में मजदूर नहीं मिलते हैं। आपके यहां पर मजदूरों की कमी है। लेकिन बिहार में काफी मजदूर हैं। वहां पर संकट पैदा हो गया है। आपकी देवी की कुर्सी हिल गई है। वहां के लोग भूखे मरते हैं। कांग्रेसी लोग भूखे मरते हैं। आप उनको वहां से लाकर बसा लीजिए। आपको मजदूरों की दिक्कत नहीं होगी। ये मजदूर आपको पचास पैसे, एक रुपये में मल जाएंगे। वहां के मजदूर, कांग्रेस के लोग भूखे मर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और सारी बातें छोड़ दीजिए, स्कूल हमको मत दीजिए। स्कूल हम नहीं चाहते हैं। एक स्कूल से हम काम चला लेंगे परन्तु यह कौनसा तरीका है कि आप खेत में अनाज पैदा नहीं होने देना चाहते। खेती के लिए आप पानी नहीं दे सकते आप हमें ट्यूबवेल्स, छोटे बांध दीजिए। मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार पाप का घड़ा भर रहा है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान में रह कर हम इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस सरकार के अधिकारी, कर्मचारी 11 महीनों तक तनख्वाह बांटने का काम करते हैं। और बजट रिलीज करते हैं मार्च के महीने में। अभी कल परसों सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियन्ता गये जयपुर से कामां और डीग को और यह कह कर आये कि इस बन्ध के लिए चार लाख रुपया रिलीज कर दिया है। गुडगांवा केनाल के लिए कामां, डीग के लिए 5 लाख रुपया रिलीज कर दिया है। अधिक्षक अभियन्ता इसलिए वहां गये थे कि उनका भत्ता सीधा होता है। ग्यारह महीने तक वे बैठे-बैठे तनख्वाह खा रहे थे, भत्ता उठा रहे थे। इस प्रकार ये लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पांच मार्च को जाकर यह कह रहे हैं कि पांच लाख रुपया मिल रहा है और 15 मार्च तक यह खर्च होने का है वरना यह लेप्स हो जायगा। यह बजटरी सरप्लस क्या है। यह कहां से आ गया है। यह ब्यूरोक्रेसी की उपज है। नये नये शीर्षक इस बजट में निकाल कर लाते हैं। बजटरी सरप्लस का क्या सवाल है? यह राजस्थान की जनता के साथ बेईमानी है।

(श्री मनोहर लाल)

आप मार्च के महीने में पैसा देते हैं और मार्च में ही खर्च करने के लिए कहते हैं । आप लोगों को बेईमानी सिखाते हैं । 15 मार्च तक 15 लाख रुपया खर्च कराना चाहते हैं । 30–31 मार्च की रात्रि को ट्रेजरी खोलेंगे और पेमेन्ट करेंगे । इस तरह काम होगा तो आप फर्जी दस्तखत करवायेंगे, फर्जी बिल बनवायेंगे । क्या राजस्थान की जनता की कमाई को आप इस तरह उड़ाना चाहते हैं । यह बजट पाप का घड़ा है । जनता के विकास के काम में आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अमीर को गरीब बनाना चाहते हैं, गरीब को गुलाम बनाना चाहते हैं और नेताओं को आप मालदार बनाना चाहते हैं । 15 मार्च तक आप पैसा खत्म कराना चाहते हैं । मंत्री महोदय, विशेषकर वित्त मंत्री महोदय जरा खयाल करें, यह सोचने की बात है । आप कहते हैं सिंचाई का खर्च बढ़ गया । गुडगांवा केनाल पर आपने तीन करोड़ रुपया खर्च कर दिया । हरियाणा ने भी केनाल बनाई है सारा पानी गुड़गांवा का वहां पर चला जाता है और कामां, डीग को एक बूंद पानी नहीं मिलता है । नहरें खुदी हुई हैं, पानी नहीं मिलता, काश्तकार रोते फिरते हैं । अबकी बार वहां के लोग इन नहरों को तुड़वायेंगे । काश्तकार अपनी गाढ़ी कमाई में से सरकार को टैक्स देते हैं और आप पांच लाख रुपया 15 दिन में खर्च करवाना चाहते हैं । यह कैसे हो सकेगा ! ओवरसियर, इन्जीनियर जो बिल बनायेंगे वह फर्जी होंगे । तो यह कब तक चलेगा ? मैं यह नहीं कहता कि आप हरियाणा की तरह गांव गांव में बिजली लगा दें । मैं यह नहीं कहता कि हरियाणा की तरह गांव गांव में सड़कें बना दें । हरियाणा अपने प्रदेश से आगे है मैं उसका मुकाबला नहीं करना चाहता । परन्तु राजस्थान का एक गांव हरियाणा के पास स्थित है । तीन हजार की आबादी है । वहां पर अच्छी खेती होती है । हरियाणा ने अपनी सीमा तक सड़क बना दी है । उत्तर प्रदेश की सीमा इस गांव से दो फर्लांग है । उसने भी सड़क बना दी है लेकिन कामां से इस गांव को आज तक नहीं जोड़ा गया है । इस गांव का हरियाणा, उत्तर प्रदेश से संबंध है और 6 महीने तक यह गांव राजस्थान से कटा रहता है । राजस्थान सरकार तीन, चार किलोमीटर सड़क तक नहीं दे सकती है । मंत्री महोदय के घर जाकर खुशामद की जाये तो काम हो सकता है; अधिकारियों की चमचागीरी की जाये तो काम होगा, सदन के अन्दर भाषण करें, कोई बात उठावें तो उसका कोई महत्व नहीं है । सदन में कहने से, लिखने से, पढ़ने, आन्दोलन करने से कोई काम नहीं होगा । मंत्री महोदय की चरणपोशी करें, चमचागीरी करने से काम हो सकता है । मैं सिर्फ खेती के सिलसिले में ही कह रहा हूं । डीग और कामां बड़े कस्बे हैं । एक उदाहरण दूंगा । ट्यूबवेल के लिए 20 दरख्वास्तें आई तीन साल से पैंडिंग हैं । बिजली गांव के पास से होकर गुजर गई है किन्तु वहां के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं । इस गांव को नहीं मिलती है । ऐसे कितने ही गांव हैं । राजबहादुरजी ने इसका उद्‌घाटन किया है मुझ से छिपाया गया है कि कहीं मनोहरलाल बिजली के लट्टू न देख ले वरना बिजली के नजर लग जायगी । बिजली का उदघाटन कराया, लेकिन आज आठ

(श्री मनोहर लाल)

महिने हो गये, उस गांव में एक बल्व टांग आये थे राजबहादुरजी वही टंगा हुआ है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं ज्यादातर उसमें। बड़े लोग जिन मोहल्लों में रहते हैं उनमें न लगायें तो कोई बात नहीं है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के मोहल्ले में तो लगायें। मैंने आपको गोपालवाड़ी की स्थिति बतलायी कि एक बल्व राज बहादुरजी टांग आये हैं वही टंगा हुआ है। हो सकता कि आपकी राज बहादुरजी से कोई नाराजगी हो या देवपुरा साहब से नाराजगी हो सकती है। यह आपके घर की लड़ाई है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मेरा तो केवल एक ही निवेदन है कि जहां पर बिजली की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं ....

श्री दिनेश डांगी: आप दिल्ली नहीं गये क्या? आप यहां कैसे रह गये?

श्री मनोहरलाल: मैं स्थान नहीं छोड़ना चाहता हूं। आपकी रखवाली करता रहना चाहता हूं क्योंकि गुल-गपाड़े का भ्रम हो जाता है। आपके साथ कई गपाड़े हुए हैं, और कई गपाड़े होने वाले हैं आपके साथ। केवल यही नहीं, इसके साथ और है।

सभापतिजी मैं बिजली की बात अर्ज कर रहा था कि गांवों को बिजली मिलनी चाहिए।

भरतपुर और अलवर की एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कृषि विद्यालय खोल दें। अगर आप भरतपुर और अलवर को यह मानते हैं कि कृषि-प्रधान जिले हैं और वहां पर अच्छी खेती होती है तो अलवर और भरतपुर के बीच में खेरथल एक स्थान है वहां पर कृषि कालेज खोल सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन हो गया है। माननीय सदस्य वहां से आने वाले बैठे हैं। वहां पर गवर्नर साहब के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हो गया। वहां पर राज-बहादुरजी ने वायदा किया था और आप यह जानते हैं कि अगर वह पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आप सोचेंगे। रायबहादुरजी का अन्त 1976 में होने वाला है और आपका नम्बर 1977 में आने वाला है। इसलिए राज-बहादुरजी अगर अपना वायदा पूरा नहीं करेंगे तो देखा जायगा इसके बाद। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजबहादुरजी तो दिखता है पूरा नहीं कराने वाले हैं अपना वायदा। उनको तो यहां पर पूरा हो चुका है। लेकिन गजट में छप चुका है और आप घोषणा कर चुके हैं। आप (श्री सम्पतराम) कालेज खुलवाने की कोशिश करें। कितना बड़ा कस्बा है यह वैसे बता दूं माननीय सदस्य को कि उनके नाम से कालेज खुल जायगा और वही उसका उद्घाटन करेंगे।

सभापति महोदय, कुछ बातें और हैं। भरतपुर और अलवर में पाकिस्तान से आये हुए पुरुषार्थी भाई बसे हुए हैं और ज्यादातर वे किसान हैं। उनको कौन सी तो सहायता दी गई? पाकिस्तान से आकर बसे थे। कुछ कर्जा उनको दिया गया उसको 25 साल हो गये तो कौन सी बड़ी बात हो गई। 25 साल पुराना कर्जा है तो उसको समाप्त करो। वैसे भी कानून से 12 साल पुराना खाता रहता है तो वसूल नहीं कर सकते हैं। उनसे आप 25 साल पुराना कर्जा वसूल कर रहे हैं और 25 साल का ब्याज और ले रहे हैं।

(श्री मनोहरलाल)

लालाजी को कहते हैं, सेठजी को आप कहते हैं कि दुगुने से ज्यादा ब्याज न लो, और आप इतना अन्याय कर रहे हैं कि उनसे चौगुने से ज्यादा ब्याज वसूल कर रहे हैं। मेरे पास नोटिसेज हैं, 100 पर 700 रुपये ब्याज। ऐसे 700 नोटिसेज की जानकारी मुझको है भरतपुर जिले की। अलवर की बात मैं नहीं जानता हूं। 100 रुपया मूल और 700 रुपया ब्याज। यह काश्तकारों के साथ अन्याय है। जो पुरुषार्थी काश्तकार हैं उनको आप भारत के लोग नहीं मानते हैं। यह जो स्पीच है माननीय वित्त मंत्रीजी इसमें कई जगहों पर लिखा है कि दुगुने से ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे। इसके बावजूद दुगुने से ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के साथ आप भेदभाव करते हैं और खास तौर से अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के साथ। आप टैक्स तो वहां से वसूल करते हैं और खर्च करेंगे रेगिस्तान में और पर्वतों में। हमारे यहां खर्च करने के अलावा अगर आप चाहते हैं कि रेगिस्तान और पर्वतों का विकास करें तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन भरतपुर जिले के विकास का रुपया वहां पर लगा देंगे तो कैसे होगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा अन्त में, सभापति महोदय। यहां एक परम्परा राजस्थान में यह बनी हुई है कि मार्च के महीने में जब बजट ईअर खत्म होने लगता है तो 30–31 की रात को बजट स्केन्डल होता है। सारे ठेकेदार और अधिकारी मार्च के महीने में सारे फर्जी कागजात तैयार करके खजाने में बैठ कर रात को अनैतिक रूप से पेमेन्ट लेते हैं और करवाते हैं। इससे सारा भ्रष्टाचार बढ़ता है और अधिकारियों में निकम्मापन बढ़ता है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अन्त में कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है लेकिन आबादी थोड़ी है। भरतपुर की आबादी ज्यादा है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और वहां के लोग जोधपुर, जैसलमेर और बाडमेर के जिले में भरतपुर से 500 मील की दूरी पर पड़े हुए हैं, सभापति महोदय। भरतपुर के ग्रामसेवक और अध्यापक 500 मील की दूरी पर 15 साल से हैं. सभापति महोदय। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जयपुर में पैदा हुआ, जयपुर में पढा, जयपुर में आई. ए. एस. हुआ और जयपुर में सेक्रेटरी हो गया सैक्रेटेरियेट में, चीफ सैक्रेटरी हो गया, पैन्शन हो गई और किसी बोर्ड का अध्यक्ष बन गया। लेकिन एक अध्यापक जो धौलपुर के एक कौने से आता है वह 600 मील की दूरी पर पड़ा हुआ है। उसकी मां मर जाय, औरत मर जाय, बच्चे मर जायं लेकिन वहां से आ नहीं सकते। ऐसे कितने ही मामले हैं, सभापति महोदय। और यह एक धन्धा हो गया, सभापति महोदय, कि 5 हजार रुपया लेकर जयपुर के चक्कर काटो। राजस्थान के नेताओं ने एक धन्धा समझ लिया है और वे धन्धा करते हैं ट्रान्सफर को कैन्सिल कराने का। (समय-समाप्ति–सूचक घंटी) जितने भी यहां पर अधिकारी लोग हैं, सभापति महोदय, उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं। एक एक अधिकारी 20–20 साल से जयपुर में रह रहा है। बड़ी–बड़ी जगहों पर रहते हैं और छोटा कर्मचारी राजस्थान के किसी कौने में सड़ता है। उनके घर वाले मर भले ही जायं लेकिन उनको देखने तक वे नहीं

(श्री मनोहर लाल)

आ सकते हैं। ट्रान्सफर का प्रश्न आज कल मंत्रीजी की डिजायर का प्रश्न हो गया है। राजाओं की भी डिजायर नहीं चला करती है, राजाओं के पास में भी कानून था। बहुत बढ़िया बात थी और आप लोग उनको प्रतिक्रियावादी···

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : कहते हैं। डिजायर के मायने चाह है, डिजायर का मतलब वासना है। तो हर चीज में डिजायर चलेगी। यह एक धन्धे का महकमा खुल गया है। सभापति महोदय, तबादलों के लिए एक बोर्ड तैयार होना चाहिए। सब कर्मचारी रेगिस्तान में जायेंगे, 2–3 साल के लिए सारे लोग जायेंगे। और मैं इस सदन में, माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों के नेताओं की भी निन्दा करना चाहता हूं। वह सैक्शन सम्भाले हुए बैठे हैं। कर्मचारी नेता जयपुर में बैठे हुए हैं और छोटे कर्मचारी और अध्यापक, पटवारी राजस्थान के दूर दराज कौनों में सड़ रहे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जितना समय मांगा था मैंने पूरा समय दिया है। आप कृपया समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : मैं दो मिनिट लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : एक मिनिट में समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : जहां तक ट्रांसफर का सवाल है उसमें इस प्रकार का घपला है। घपले राजस्थान में और हैं। एक घपला यह है कि गुण्डा एक्ट लागू कर दिया गया है, सभापति महोदय, और गुण्डागर्दी पुलिस करती है। कल जब मैं एक मीटिंग कर रहा था तो पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि गुण्डा एक्ट लागू हो गया है, मनोहरलाल जी आपको गुण्डा एक्ट में बन्द कर देंगे। मैंने कहा कि कर दो। मैं तो तैयार हूं। लेकिन मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार XXX की सरकार है। यह गुण्डों को पालती है। मैंने अदालत का फैसला देखा है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान सरकार XXX की सरकार है। यह हाई ली आब्जेक्शनेबल है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि 'XXX की सरकार' यह शब्द एक्सपन्ज किये जायं।

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि "XXX" शब्द एक्सपन्ज किया जा सकता है।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

(4.51 मध्यान्ह पश्चात्)

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'XXX की सरकार' है। अनपालियामेंट्री वर्ड है। इसको एक्सपन्ज किया जाये।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो कहा गया है, यह 'XXX की सरकार' है। यह 'XXX' शब्द वास्तव से असंसदीय है। इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 25 अप्रेल, 1966 को भरतपुर में हत्या हुई। उस समय वहां के एस.पी. श्रीशराम शर्मा, ने गुण्डे को बुलाकर जो विजयबहादुर था उसको पुलिस लाइन में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाई, उसको राइफल और रिवाल्वर चलाना सिखाया गया है। उसको 6 महिने तक ट्रेनिंग दी गई। उसका प्रशिक्षण हुआ, होमगार्ड के नाम पर उसको हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। सभी रजिस्टरों में उसकी हाजिरी हुई।

एक माननीय सदस्य : उसको सुधारा गया।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग होने के बाद, उस आदमी के बारे में उस एस. पी. ने लिखा है कि यह गुण्डा है। उसको गलती से ट्रेनिंग दी गई है। यह लिखा महीने की ट्रेनिंग देने के बाद। तो यह सारा मामला अदालत में पहुंचा। उस आदमी ने क्या किया। रिवाल्वर सीखी और सरे बाजार एस. पी. के इशारे पर और एक नेता के इशारे पर एक मजदूर नेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसको सजा हुई है। हाईकोर्ट के फैसले में इसका जिक्र है कि पुलिस ने इसको ट्रेनिंग दी है, उस विजय बहादुर नामक व्यक्ति को।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

माननीय मंत्री जी।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक 5 मार्च, 1975 को अपरान्ह 4.00 बजे हुई। समिति 20वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि दिनांक 8, 10, 14, 25, 29 एवं 31 मार्च, 1975 के लिए कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाये :--

शनिवार, दिनांक 8 मार्च, 1975	–आय-व्ययक, 1975–76 की (निर्धारित) मांगों पर विचार व उनका पारण।
रविवार, दिनांक 9 मार्च, 1975	
सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1975	
मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1975	–बैठक नहीं होगी।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1975 —(1) अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प पर विचार।

(2) आय-व्ययक 1975–76 की निर्धारित मांगों पर विचार व उनका पारण

मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 1975 —अनुपूरक अनुदान 1974–75 व इनसे संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार व पारण।

शनिवार, दिनांक 29 मार्च, 1975 —गैर सरकारी सदस्य कार्य।

सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1975 —बैठक नहीं होगी।

रविवार, दिनाक 31 मार्च, 1975 —राजस्थान का निरसन तथा संशोधन विधेयक 1972 पर विचार व पारण।

नोटः—दिनांक 7 व 8 अप्रेल, 1975 को सदन की बैठक नहीं होगी।
दिनांक 8 मार्च, 1975 को प्रश्नकाल नहीं होगा।
दिनांक 15, 22 व 29 मार्च, 1975 को प्रश्नकाल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, उस एस. पी. के द्वारा उस गुण्डे को पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दिलाई गई। उस गुण्डे ने हत्या की लेकिन उसके बाद की उस एस. पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि उस एस. पी. के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चले लेकिन गोली चलवाने वाले एस. पी. के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चले। उसने हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई 16 महीने तक ट्रेनिंग ली और फिर हत्या की। उस एस. पी. शीशराम के लिखाफ मुकदमा चलाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मनोहर लाल)

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि मेरा समय पूरा हो गया है और आपका भी पूरा होने वाला है।

एक माननीय सदस्य : आपका तो पूरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चिमनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह चौधरी।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हम यह उम्मीद किये हुए बैठे थे, कुछ कर बढ़ायेंगे। लेकिन उन्होंने बजट को संतुलित किया है। आर्थिक दबाव के बावजूद बजट के अन्दर टैक्स नहीं लगाये गये हैं। इसके कारण से आज राजस्थान के सारे हलकों में इस बात की खुशी है टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद श्री राजस्थान सरकार ने जो पहले से टैक्स लगा रखे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो टैक्स लगाये गये हैं, यदि उनकी वसूली सही तरीके से की जाये तो जो टैक्स लगाने पड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो वित्त मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर जो जो काम करने की व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि वह सराहनीय है, स्वागत के योग्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर जिले की समस्याओं की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। हमारे सीकर के अन्दर हर साल अकाल एक दो साल के बाद पड़ता ही रहता है। लेकिन पिछले सालों के अकालों के मुकाबले इस साल जो अकाल पड़ा है, ऐसा पिछले कई सालों से नहीं पड़ता था। सीकर के 820 गांवों में भयंकर अकाल है। राजस्थान सरकार ने जो छोटे-छोटे कार्य जो योजना के अन्तर्गत आते थे, उन कार्यों को शुरू किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5–00 बजे वृहस्पतिवार कल दिनांक 6 मार्च, 1975 के प्रातः 11–00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

	नाम	सम्बद्धता वर्ष
1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	1967
2.	दयानन्द कालेज, अजमेर	1970
3.	राज कृषि महाविद्यालय, अलवर	1970
4.	डूंगर कालेज, बीकानेर	1967
5.	बी. जे. एस. आर. जैन कालेज, बीकानेर	1973
6.	एस. डी. गवर्नमेंट कालेज, ब्यावर	1971
7.	श्री माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट कालेज, भीलवाड़ा	1971
8.	एम. एस. जे. कालेज, भरतपुर	1971
9.	अग्रवाल कालेज, जयपुर	1973
10.	श्री लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	1972
11.	गवर्नमेंट कालेज, कोटा	1967
12.	सेठ जी. एल. बिहाणी एस. डी. कालेज, श्री गंगानगर	1969
13.	एस. जी. एन. खालसा कालेज, श्री गंगानगर	1974

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न सं. 322 की सूची)

सं. 2031 में फसल खरीफ में खराबा का जिलेवार प्रतिशत

क्रम सं.	नाम जिला	फसल अनुमानित खराबा प्रतिशत में
1.	उदयपुर	91%
2.	अलवर	44%
3.	बाड़मेर	100%
4.	भीलवाड़ा	86%
5.	बूंदी	41%
6.	जोधपुर	99%
7.	जैसलमेर	100%
8.	नागौर	85 %
9.	श्री गंगानगर	83% इसमें तीन तहसीलों में 83% काश्तकार का नुकसान हुआ है।
10.	चूरू	66%
11.	सवाई माधोपुर	22%
12.	सिरोही	90%
13.	डूंगरपुर	82%
14.	टोंक	76%
15.	बीकानेर	88%
16.	जालौर	98%
17.	सीकर	75%
18.	चित्तौड़गढ़	37%
19.	बांसवाड़ा	98
20.	जयपुर	90
21.	भरतपुर	21%
22.	अजमेर	95%
23.	पाली	90%
24.	झुंझुनू	80%

122

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 331 की सूची)

रतवाड़ा व नया तालाब बांधों की सिंचाई का विवरण

राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक के रतवाड़ा व नया तालाब बांधों से पिछले पांच वर्षों में हुई सिंचाई कर शुल्क निर्धारण की रकम निम्न प्रकार से है—

वर्ष	रतवाड़ा बांध का सिंचाई कर निर्धारण रुपयों में	नया तालाब पबालिया का सिंचाई कर निर्धारण रुपयों में
1	2	3
1969–70	419/–	316/–
1970–71	463/–	809/–
1971–72	446/–	727/–
1972–73	193/–	2/–
1973–74	418/–	999/–

परिशिष्ट -4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

अस्पतालों के समय में परिवर्तन और बड़े डाक्टरों की सेवाएं

332. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बड़े अस्पतालों में समय परिवर्तन के पश्चात् सायंकाल 5 से प्रात: 9.00 बजे तक गम्भीर रूप से बीमारों के लिये किसी बड़े डाक्टर की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार गम्भीर रूप से पीड़ित बीमारों के लिये चौबीसों घंटे बड़े डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बड़े डाक्टरों की सेवायें गम्भीर रूप से पीड़ित बीमारों के लिए चौबीसों घन्टे उपलब्ध हैं।

शिक्षा संस्थाओं को एड देने की प्रक्रिया

333. श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

एडेड शिक्षा संस्थाओं को एड देने के लिये सरकार ने क्या कोई प्रक्रिया संहिता बना रखी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

संस्थाओं को अनुदान देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 1963 से अनुदान नियम बनाये गये हैं। इन नियमों के अनुसार निम्न प्रक्रिया के अनुसार किसी भी संस्था को अनुदान सूची पर लेने की कार्यवाही की जाती है:—

(1) संस्था को कार्य करते हुए पूर्ण तीन वर्षों का होना आवश्यक है।

(2) संस्था का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

(3) संस्था मान्यता प्राप्त होनी चाहिये एवं नियमित छात्र संख्या का होना आवश्यक है।

(4) संस्था की प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट संतोषप्रद होनी चाहिये।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अनुदान समिति की बैठक में मामला प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्थाओं की सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय एवं अनुदान सूची पर ली गई संस्थाओं को निर्धारित प्रतिशत से अनुदान दिया जाता है।

राज्य में भिक्षा वृत्ति

334. **श्री जनार्दनसिंह** (गांधीनगर) **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं? भिक्षा वृत्ति पूरी तरह बन्द करने की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य के बड़े बड़े शहरों को देखने के स्थानों पर जहां देशी व विदेशी दर्शक आते हैं भिखारियों द्वारा उनको तंग किया जाता है इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से 1967 में अजमेर और पुष्कर नगरों के लिये एक पाईलेट प्रोजेक्ट स्थापित दिया गया जिसे 1969 में जयपुर तथा 1973 में उदयपुर नगरों में विस्तृत किया गया। इस योजना के अधीन जयपुर, अजमेर और उदयपुर में सेवा सदन और अजमेर में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य भिक्षुकों को सामाजिक स्तर पर भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिये तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता के माध्यम से पुनर्स्थापित करना है।

(2) यह सही है कि पर्यटन स्थानों में भिक्षुक पर्यटकों के लिये परेशानी का कारण है। भिक्षुकों के लिये संस्थात्मक कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त इस समस्या के प्रति जन चेतना जागृत करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। अभी हाल ही में इस उद्देश्य से पर्यटन विभाग के सहयोग से जयपुर में एक अभियान चलाया गया जिसका अच्छा प्रभाव रहा।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

335. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि 26 जनवरी, 1975 को सूरतगढ़ में सी. एस. एफ. सैन्टर में गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर सी.एस.एफ. कार्यालय में एक वर्ग के लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का प्रयत्न किया गया व पुलिस की सहायता पहुंचने पर पत्थरों से कार्यालय के कीमती शीशे तोड़ दिये गये ?

(ख) क्या यह भी सही है कि वहां इसी अवसर पर पी. डब्ल्यू. डी. में लाए गए मजदूरों को जो दैनिक भत्ता देने का आश्वासन दिया था वह समय पर न देने के कारण उपद्रव हुआ जिसमें ईंटों-पत्थरों व बेलचों का प्रयोग किया गया और ऐसी स्थिति में श्रीगंगानगर से पुलिस बुलानी पड़ी ?

(ग) उपरोक्त सभी अनियमितताओं का क्या कारण था जबकि उपरोक्त दोनों समारोहों में जनता को जाने की अनुमति नहीं थी ?

(घ) सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे शुभ आयोजनों में जनता को सम्मिलित होने

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

का मौका न दिये जाने और ऐसी बेहुदी कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

(ङ) क्या सरकार आजादी दिवस और गणतन्त्र दिवस समारोह केवल सरकारी एजेन्सियों द्वारा मनाये जाने और उनमें गुन्डागर्दी को उचित समझती है ?

(च) क्या सरकार इस मामले में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 26 जनवरी, 1975 को प्रातः 10 बजे गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में वहां के निदेशक की अध्यक्षता में शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय ध्वज का किसी व्यक्ति द्वारा अपमान नहीं किया गया। समारोह के सम्पन्न होने के पश्चात् इस फर्म के कर्मचारी गण, जो पूर्व से ही हड़ताल पर थे, के द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई मगर पुलिस के वहां पहुंचने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।

(2) जी नहीं।

(3) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में जो ध्वजारोहण समारोह हुआ था वह वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये था इसलिए आम जनता को आमन्त्रित नहीं किया गया। इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारियों द्वारा भी ध्वजारोहण समारोह अलग से शांतिपूर्वक सूरतगढ़ में आयोजित किया गया था।

(4) इस मामले में अधिकारियों की कोई गलती न होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 9 दिनांक 26-1-75 धारा 452, 147, 148, 427, 454, 440 ता. हिन्द के अन्तर्गत पुलिस थाना सूरतगढ़ में पंजीबद्ध किया जा चुका है जो जेर तफतीश है।

मर्दाना अस्पताल राजगढ़

336. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मर्दाना अस्पताल, राजगढ़ (अलवर) में एक्सरे मशीन कई वर्षों से खराब हो गई है जिसको बार-बार निवेदन करने पर अभी तक ठीक नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ? इसे अब कब तक ठीक कराने का इरादा है ?

(2) क्या यह सही है कि मर्दाना अस्पताल में पुराने व नवीन निर्मित वार्डों में बिजली के पंखों, फ्लश की लेटरीन एवं बाथरूम नहीं हैं जिससे मरीजों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कई सालों से लिखित में निवेदन करने पर, मरीजों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि मर्दाना-अस्पताल में एप्रोचरोड, फाटक व लान भी नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इनकी व्यवस्था कब तक करेगी ?

(श्री हरिकिशन)

(4) क्या यह सही है कि मर्दाना-अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर है लेकिन इसमें अभी तक (आवश्यक औजार) की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो कब सरकार इसकी व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) मर्दाना अस्पताल, राजगढ़ को एक्सरे मशीन खराब होने की सूचना दिनांक 9-4-1974 को प्राप्त हुई । इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ने विभिन्न फर्मों द्वारा इसकी मरम्मत का प्रयास किया था । मरम्मत में विलम्ब का कारण यह है कि यह मशीन पिकर्स कम्पनी की है, जिनका अब कोई भी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर देश में कार्यरत नहीं है । अतः अब इस मशीन को विभागीय स्तर पर मरम्मत कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । यदि यह भी सम्भव नहीं हुआ तो राजगढ़ के लिये नई एक्सरे मशीन आर्थिक सुविधानुसार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । मरम्मत हो जाने की अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां । योजना मद में प्रावधान सुलभ होने पर अथवा जन सहयोग प्राप्त होने पर ही सुविधा प्रदान कराई जा सकेगी ।

(3) अप्रोचरोड है, लेकिन डामर बिछी हुई नहीं है, फाटक नहीं है । पानी की कमी के कारण लोन लगाना भी सम्भव नहीं है । योजना मद में आर्थिक सुविधा होने पर ही उक्त कार्य कराया जा सकेगा ।

(4) जी नहीं । ऑपरेशन के सामान्य औजार उपलब्ध हैं ।

पंचायत समिति पीपलखूंट में लिफ्ट इरिगेशन के लिए इन्जिन व पाइप

337. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, पंचायत समिति पीपलखूंट में लिफ्ट इर्रिगेशन के लिये इन्जिन व पाइप दिये हैं ? यदि हां, तो किस 2 पंचायत में किन 2 गांव में इन्जिन लगाये गये हैं और प्रत्येक इन्जिन व पाइप पर कितनी 2 धनराशि दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ पंचायतों में इन्जिन व पाइपों का दुरुपयोग हुआ है ?

(3) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) हां । 17 पंचायतों को सिंचाई उत्पादन योजना के अन्तर्गत अपने अपने पंचायत क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पम्पिंग सैट एवं पाइप खरीदने के वास्ते 21900) रु. अनुदान एवं ऋण रुपया 1,22,265) कुल 1,44,165) रु. की राशि वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में पंचायत समिति पीपलखूंट द्वारा दी गई । जिस जिस पंचायत को जितनी जितनी धनराशि दी गई उसका ब्यौरा सलग्न सूची में है ।

(2) इंजिन व पाइप के दुरुपयोग के संबंध में पंचायत समिति में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूची ग्राम पंचायतों की जिन्हें पम्प सैट (वाटर) व पाइप खरीदने हेतु ऋण व अनुदान दिया गया

पंचायत समिति, पीपलखूंट

क्र. स.	नाम ग्राम पंचायत	अनुदान का विवरण: कार्य	अनुदान का विवरण: फ्रीफंड अनुदान की राशि	अनुदान का विवरण: भुगतान का दिनांक	ऋण का विवरण: पाईलेट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत	ऋण का विवरण: राशि ऋण	ऋण का विवरण: भुगतान दिनांक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	सेमलिया	पम्पसेट हेतु	1500)	18–12–68	पम्पसेट	5000)	13–12–68	9243)	10 एच पी किर्लोस्कर
					,,	2743)	18–12–68		
						7743)			
2.	घंटाली	,,	1500)	7–2–69	,,	5000)	19–12–68	9776)	,,
						1500)	7–2–69		
						1776)	20–3–69		
						8276)			
3.	पीपलखूंट	,,	1400)	6–4–68	,,	2100)	6–4–68	3500)	5 एच पी कुमर
4.	वेडामेला	,,	1500)	18–10–68	,,	12000)	18–12–68	13500)	15 एच पी किर्लोस्कर
5.	बोरी	,,	1500)	18–12–68	,,	5500)	18–10–68	10100)	10 एच पी
					पाइप	3100)	7–2–69		अजीत
						8600)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	परखीपुरा	पम्पसेट हेतु	1400)	16-8-67	पम्पसेट	2100)	16-8-67		दो वाटर
			1500)	4-2-69	,,	5000)	5-12-68	14496)	पम्प सेट
						3000)	4-2-69		
						1496)			
						11596)			
7.	घोडी तेजपुर	,,	—	—	,,	6000)	8-11-68		10 एच पी
					,,	4000)	17-1-69	12500)	व पाइप
					पाइप	2500)	7-2-69		
						12500)			
8.	खजूरी	,,	1500)	17-1-69	पम्पसेट	5000)	8-11-68	7000)	10 एच पी
						500)	17-1-69		प्रजीत
9.	कोटड़ा	,,	1500)	,,	,,	5000)	8-11-68	10250)	
						3750)	12-1-69		,,
					पाइप	1000)	7-2-69		पाइप
						9750)			
10	पीपलवासा	,,	1500)	18-12-68	पम्पसेट	5000)	30-11-68	7800)	10 एच पी
						1300)	18-12-68		किर्लोस्कर
						6300)			
11.	नायला	,,	—	—	पाइप	3500)	16-8-67	4500)	5 एच पी
						1000)	14-10-68		पम्पसेट
						4500)			

12.	सखन	छोटी पम्प सैट	1400)	17–8–67	पम्पसैट	2100)	17–8–67	4500)	5 एच पी
					पाइपहेतु	1000)	14–10–68		पम्प सैट
						3100)			
13.	फेफर	,,	1400)	16–8–67	पम्पसैट	2100)	16–8–67	4500)	,,
					पाइपहेतु	1000)	14–10–68		
						3100)			
14.	दानपुर	,,	1400)	16–8–67	पम्पसैट	2100)	16–8–67		10 एच पी
		पाइप	1500)	14–2–69	पाईप	1000)	14–10–68		प्रजीत व
					पम्प	6000)	8–11–68	15700)	पाईप
					पाईप	3700)	14–2–69		
						12800)			
15.	जहांपुरा	–	–	–	पम्पसैट	3500)	16–8–67	3500)	5 एच पी
16.	मकनपुरा	पम्पसैट	1400)	16–8–67	,,	2100)	16–8–67	4500)	,,
					पाईप	1000)	14–10–68		
						3100)			
17.	फदुम्वी	–	–	–	पम्प सैट	5000)	30–11–68	7800)	10 एच पी
					,,	2800	5–12–68		किर्लोस्कर
			21900)			1,22,265)		1,44,165)	

जावर माइन्स मजदूर संघ

338. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनरल सेक्रेटरी जावर माइन्स मजदूर संघ उदयपुर ने दिसम्बर, 1968 से लगाकर दिसम्बर, 74 को समाप्त होने वाले वर्षों में भी उक्त श्रमिक संघ से ग्रानरेरियम प्राप्त किया ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त की ?

(2) क्या यह सही है कि इन्टक के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी अन्य इन्टक के अधीनस्थ श्रमिक संगठनों के जनरल सेक्रेटरी अथवा अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो किस किस के और कब कब से ?

उत्तर

(1) जी हां, जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर से वार्षिक रिटर्न्स के अनुसार जनरल सेक्रेटरी द्वारा वर्ष 1968 से 1972 तक प्रत्येक वर्ष में क्रमशः 5400/-, 5400/-, 5400/-, 9000/-, एवं 9000/-, रुपये आनरेरियम के रूप में प्राप्त किया गया है। सन् 1973 व 1974 के वार्षिक रिटर्न्स प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार इन्टक के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी (1) जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर तथा जावर माइन्स, उदयपुर के भी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सन् 1966 से कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वे सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौडगढ़ के 1970 से, मिल मजदूर संघ भीलवाड़ा के 24-12-72 से, उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर के सन् 1971 से तथा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर के 15-8-71 से अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्र में विद्युतिकरण का आधार

339. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रेगिस्तानी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये नार्म्स में क्या छूट दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या नये नार्म्स के आधार पर चूरू जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनाओं का पुनः निरीक्षण किया जाकर संशोधन कर लिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक कर लिया जायेगा ?

(3) आगामी वर्ष में चूरू जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी क्षेत्र में योजनाओं के लिये ग्रामीण विद्युतिकरण निगम ने जो छूट दी है उसकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, चूरू जिले की राजगढ़ पंचायत समिति की योजना का संशोधित प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(3) आगामी वर्ष में चूरू जिले की कौनसी पंचायत समिति की योजना निगम को और भेजी जायगी इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सूची 'अ'

1. योजना की आर्थिक साध्यता जांचने के लिये 11-के. वी. लाइनों की कीमत योजना की पूरी कीमत में शामिल नहीं की जायगी। यद्यपि 11000 वोल्टेज लाइनों की कीमत का ऋण निगम द्वारा मण्डल को दिया जायगा।

2. योजना क्षेत्र में विद्युत पहुंचाने के लिये जो 33 के. वी. लाइन व सब-स्टेशन की आवश्यकता हो तो उसकी कीमत भी योजना की आर्थिक साध्यता जांचने के लिये शामिल नहीं की जायगी। यद्यपि उसका ऋण भी निगम द्वारा ही दिया जाय अगर 33 के. वी. कार्यों की लागत, योजना की कुल लागत का 25% हो।

3. पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ग्रामीण विद्युतिकरण निगम केवल उन स्पेशल ट्रान्समीशन योजनाओं के लिये ऋण देती थी जिनकी अनुमानित लागत रुपये 100.00 लाख की हो। निगम द्वारा दिया गया ऋण इस रकम का 80% रहता था। शेष सारी रकम का प्रबन्ध मण्डल को अपनी ओर से करना पड़ता था। इस प्रकार की योजना मंजूर करते समय निगम की मुख्य शर्त यह रहती थी कि इस प्रकार ट्रान्समीशन लाइन इस लागत से दुगनी लागत वाली ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं को लाभान्वित करें अर्थात करीब 4 ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं के लिये ऐसी ट्रान्समीशन योजना मंजूर की जा सकती थी। सेमीनार के बाद निगम ने ट्रान्समीशन स्कीम की अनुमानित लागत की सीमा 150.00 लाख रुपये तक की कर दी है। यह कन्सेशन सामान की कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण दिया गया है। दूसरी शर्त साधारण जिलों के लिये पहले जैसी ही रहेगी। यद्यपि ट्राईबल व डेजर्ट जिलों के लिये जो मिनीमम नीड प्रोग्राम के लिये चयनित है, दूसरी शर्त में यह अतिरिक्त कन्सेशन दिया गया है कि इन जिलों के लिये इस प्रकार की ट्रान्समीशन योजना यदि वह दो या अधिक ऐसी ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं को लाभान्वित करे जिनकी अनुमानित लागत 150.00 लाख रुपये है तो वह ट्रान्समीशन स्कीम निगम द्वारा स्वीकृति योग्य समझी जायगी।

राज्य में अपराधों की संख्या

340. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 72–73 के मुकाबले में सन् 73-74 में राज्य में अपराधों का प्रतिशत बढ़ा है?

(2) क्या यह सही है कि अपराधों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस फोर्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है?

(3) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों का क्षेत्रफल कम होते हुए भी राजस्थान के मुकाबले वहां पुलिस फोर्स अधिक है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(132)

गंगानगर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत कार्य

341. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण आबादी के हिसाब से आज तक हो गया है ? तथा आगे कितने ग्रामों का विद्युतिकरण करने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील की मण्डी गोलू वाला और अनेकों बड़े गांव जैसे ढांवा के विद्युतिकरण के प्रार्थना-पत्र अनेकों वर्षों से चल रहे हैं तथा विद्युत लाइनें भी मण्डी और ग्रामों के पास से गुजरती हैं फिर भी इनके विद्युतिकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त गोलूवाला मन्डी और बड़े ग्रामों जैसे ढांवा का विद्युतिकरण करने के लिये तुरन्त कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले के 345 ग्रामों व कस्बों का विद्युतिकरण जनवरी, 1975 तक हो चुका है। आबादी के हिसाब से विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या की स्थिति संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

(2) जी हां, 11 के. वी. की लाइनें करीब ढाई तीन किलो मीटर की दूरी पर हैं जो और अधिक लोड लेने के सक्षम नहीं हैं। इन लाइनों के ओवर लोडिंग व धनाभाव के कारण आसपास के गांवों का विद्युतिकरण संभव नहीं हो पाया है।

(3) अगले वर्ष में सूरतगढ़ पंचायत समिति की प्रस्तावित एम. एन. पी. स्कीम में इन गांवों को लेने की संभावना है।

List of localities including towns electrified in Sri Ganganagar District Population-wise.

Population Group.	Number of localities electrified.
0 to 499	180
500 to 999	67
1000 to 1999	58
2000 to 4999	27
5000 to 9999	5
10000 to above	8
Total	345

अकाल राहत कार्यों की शिकायत

342. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अकाल राहत सड़क श्री डूंगरगढ़ से कालू पर 1973 में कराए गए कार्य में धांधले, पत्थर के स्थान पर मिट्टी डालने, पेटियां कम वजन की डालने एवं बिना पानी सड़क कुटाई के लिए भुगतान करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश, चूरू व उप-जिलाधीश, रतनगढ़ को 22–8–1973 को की गई थी। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई। अगर नहीं, तो, क्यों ?

उत्तर

यह ठीक है कि शिकायत उप-जिलाधीश रतनगढ़ को मिली थी। उसकी जांच उप जिलाधीश, रतनगढ़ ने की थी। जांच के निर्णयों के अनुसार तहसीलदार, डूंगरगढ़ श्री भौंरीलाल के खिलाफ चार्जशीट भेजी जा चुकी है।

राजगढ़ में दुकानों के पट्टे बनाने की कीमत

343. **श्री मोहर सिंह** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) मे म्युनिसिपल क्षेत्र के तहत तह बाजारी के दुकानदारों से पट्टे बनाने हेतु 360 रुपये मीटर कीमत मांगी जा रही है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि अब तक यह फीस केवल 60 रुपये मीटर थी ? यदि हां, तो क्या इतनी कीमत वाजिब है ? अगर नहीं, तो सरकार इस हेतु क्या सोच रही है ?

उत्तर

(क) नगरपालिका के वार्ड नं. 3, 4, 5, 6, 7 व 13 में स्थित व्यवसायिक उद्देश्य के काम आने वाली सभी प्रकार की भूमियों के लिए नजूल कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 3–12–74 में न्यूनतम दर 360–00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है।

वार्ड नं. 1, 2, 9, 10, 11 व 12 में स्थित व्यवसायिक उद्देश्य के काम आने वाली उक्त सभी प्रकार की भूमियों के लिए न्यूनतम दर 120–00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है।

(ख) जी नहीं।

60/– प्रति वर्गमीटर की दर खांचों की जमीनों के लिए थी व्यवसायिक उद्देश्य की भूमियों के लिए नहीं।

व्यवसायिक उद्देश्य की भूमियों के लिए न्यूनतम दरें दिनांक 3–12–74 की बैठक में ही नजूल कमेटी ने पहली बार निर्धारित की है।

कोटा-शिवपुरी मार्ग पर पुलिया एवं सड़क पर डामर का कार्य

344. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा–शिवपुरी पर मील न. 49/50 का पुलिया निर्माण एवं

(श्री शिवनारायण)
डामर का कार्य पूरा करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? और यह कार्य अब कब तक करा दिया जावेगा? इस सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी।

उत्तर

कार्य पूरा नहीं हुआ है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। मील 48/2 की पुलिया का कार्य ठेकेदार की गलती से पूरा नहीं हुआ है। उक्त पुल का कार्य विभागीय स्तर पर प्रगति पर है और वर्ष 1975–76 में पूर्ण होने की आशा है। वर्ष 1974–75 में क्रोस ड्रिनेज कार्य हेतु 30,000) रुपये का प्रावधान है।

पावरलूम का कोटा

345. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में केन्द्र सरकार से किस वर्ष में पावरलूम का कोटा आखरी में स्वीकार किया गया तथा आखरी बार के कोटे में कितने पावरलूम का कोटा दिया गया?

(2) राजस्थान सरकार ने केन्द्र से और कोटा लेने का क्या प्रयास किया और कोटा क्यों नहीं लिया? अन्य राज्यों को 7 वर्ष के दौरान केन्द्र ने कितने कितने पावरलूम का कोटा दिया और 7 वर्ष में राजस्थान को कितने पावरलूम का कोटा दिया?

(3) राज्य सरकार ने केन्द्र से पावरलूम का कोटा लेने में क्यों कोताही की? क्या राज्य सरकार को आशा है कि केन्द्र से कोटा मिल जायेगा? यदि हां, तो कब तक और कितने लूम का?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राजस्थान को अंतिम बार वर्ष 1966 में 3100 पावरलूम का आवंटन किया गया था।

(2) कोटा प्राप्त करने के लिये उद्योग मंत्री तथा मुख्य मंत्री के स्तर पर कई बार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री को निवेदन किया गया, परन्तु पावरलूम का कोई भी आवंटन राजस्थान को 1966 के बाद नहीं मिला है। अन्य राज्यों को गत 7 वर्षों में कितना पावरलूम का कोटा दिया यह सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(3) कोई कोताही नहीं की है। यह प्रश्न भारत सरकार से मुख्य मंत्री के स्तर पर कई बार उठाये जाने के बावजूद भी भारत सरकार ने अतिरिक्त पावरलूम आवंटन करने से इन्कार किया है।

हिन्डौन प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक, लि.

346. श्री चेतराम (टोड़ाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्डौन प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि. हिन्डौन (जिला सवाई माधोपुर) की स्थापना कब हुई थी और स्थापना के समय इसके कितने सदस्य थे? इस समय कितने सदस्य हैं और क्या इनके

(श्री चेतराम)

सदस्यता फार्म (मेम्बरशिप फार्मस्) विधिवत बैंक के कार्यालय में भरकर रखे गये थे और आज भी हैं ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त बैंक में सदस्यता फर्जी ऋण प्रार्थना-पत्रों की सहकारिता विभाग द्वारा जांच न करने के बावजूद भी ऋण की स्वीकृति, मरे हुए आदमियों के नाम फर्जी ऋण, भूमिधारी न होते हुए भी बैंक का सदस्य-आदि 2 आरोप बैंक के संचालन में हैं ? यदि हां, तो क्या इनका निराकरण करा लिया गया है और अब बैंक का रिकार्ड पूर्ण है जिसमें चुनाव विधिवत हो सकें ? यदि नहीं, तो कितना समय लगेगा ? इन आरोपों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त आरोपों को मद्देनजर रखते हुए और उनके निराकरण के पश्चात् संचालक मण्डल का चुनाव कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हिण्डौन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि: हिण्डोन का पंजीयन दिनांक 31–8–65 को हुआ और पंजीयन के समय 4113 सदस्य थे इस समय 6019 सदस्य हैं।

पंजीयन के पश्चात् बनाये गये सदस्यों के सदस्यता फार्म बैंक में उपलब्ध हैं।

(2) जी हां, उक्त बैंक में 2 सदस्यों सर्व-श्री भौंरेलाल पुत्र कोदेराम निवासी रूपोड एवं श्री ठंडी पुत्र रामफूल निवासी भावती तहसील करोली द्वारा क्रमशः 7000 एवं 8000 रुपये का ऋण फर्जी नाम से प्राप्त करने के मामले सामने आये हैं इन दोनों सदस्यों से क्रमशः 4956.69 रुपये एवं 7360.00 वसूल किये जा चुके हैं ? शेष राशि वसूल करने की कार्यवाही जारी है। पंजीयन के समय बने सदस्यों में से जिनके फार्म्स व उपनियमानुसार सूचना उपलब्ध नहीं है उनकी जांच चालू है और समस्त ऐसे सदस्यों की जांच करने में लगभग एक वर्ष का समय और लगने की सम्भावना है। जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(3) जांच पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् संचालक मण्डल का चुनाव कराया जाना संभव हो सकेगा।

धौलपुर जेल से फरार कैदी

347. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जेल से 6 कैदी सन् 1965 में सरकारी बन्दूकें लेकर दिन को 1.30 बजे भाग गये ?

(2) क्या यह सही है कि उन भागने वाले कैदियों को हैड वार्डर भगवानसिंह ने सरकारी आर्मरी की चाबियां दीं और कारागार के मुख्य द्वार से बाहर जाने की सुविधाएं दीं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री छीतरिया वार्डर जो राइफल के साथ बाहर ड्यूटी पर था उसे अन्दर बुलाया गया और भागने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
वाले कैदी उसकी भी राइफल छीन कर ले गये ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त काण्ड की जांच डी. आई. जी., जेल्स द्वारा करवाई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी जाय।

(5) क्या यह सही है कि जांच के बाद भी दोषी अधिकारियों को किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री भगवानसिंह, हैड वार्डर ने चाबियां (कनविक्ट ओवरसियर) ग्यारसा को दे रखी थीं, जिसके कारण उनको आउटर गेट से भागने में सफलता मिली।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सभी सम्बन्धित कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये थे और मुख्य अपराधी भगवानसिंह हैड वार्डर का अदालत में चालान भी किया गया था, अदालत ने अपराधी को बरी कर दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बंगाणी विज्ञान कालेज, जसवन्तगढ़

348. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बंगाणी विज्ञान कालेज, जसवंतगढ़ में वाचनालय भवन आज करीब चार साल से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विज्ञान कालेज भवन में विज्ञान की कक्षाएं 2-3 साल से चल रही हैं और भवन टूट-फूट के कारण मरम्मत मांगने की स्थिति में आ गया है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही है ? अगर सरकार मरम्मत कराने का इरादा रखती है तो कार्य कब तक हो जायगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि जसवन्तगढ़ रेल्वे स्टेशन पर जहां कि विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के तीनों कालेज चल रहे हैं वहां बाहर के छात्रों के रहने हेतु श्री जीवनमल तापड़िया जसवन्तगढ़ तथा श्री नथमल सेठी लाडनूं दोनों ने दो छात्रावास भवन बनाने की घोषणाएं इन कालेज भवनों की आधारशिला रखते समय की थी ? अगर हां, तो इन दानदाताओं से रकम ली जाकर छात्रावास क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ? सरकार ने अब तक इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ? पत्रांक की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि पूनमचन्द भंवरलाल भुतोड़िया लाडनूं ने इन कालेजों

(श्री दीपंकर)

में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक विशेष प्रकार की लाइब्रेरी भवन बनाने की घोषणा की थी तथा इस लाइब्रेरी भवन में गरीब छात्रों के लिए किताबें मंगाने हेतु दानवीर सेठ श्री सोहनलाल दूगड़ ने पच्चीस हजार रुपये का चैक दिया था ? यदि हां, तो वह रकम इस समय किसके पास है और इस चैक की रकम से सरकार ने समय पर किताबें क्यों नहीं खरीदी। लाइब्रेरी भवन बनाने वाले दानदाता से क्या सरकार ने सम्पर्क कायम किया है ? अगर हां, तो भवन अब तक न बनने का क्या कारण रहा है ? राज्य सरकार द्वारा इस विषय में दानदाता से किये गये पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। धनराशि के अभाव के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

(2) जी हां। यह सही है कि विज्ञान कालेज भवन में विज्ञान की कक्षाएं 2-3 साल से चल रही है। भवन का निर्माण हुये 2-3 साल ही हुये हैं और यदि आवश्यकता हुई तो भवन की मरम्मत भी करादी जावेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दोनों दानदाताओं को पत्र लिखा गया था जिसमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि 102 छात्रों के रहने के छात्रावास बनाने में करीबन 5 लाख रुपये का एस्टीमेट है। एस्टीमेट की प्रति उन्हें भेज दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा उन्हें यह भी लिखा गया था कि एक एक लाख रुपया दानदाता 2 छात्रावास बनाने के लिये दे रहे हैं वह रकम बहुत कम है। राज्य सरकार उस समय ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो उक्त छात्रावासों हेतु 8 लाख रु. की रकम खर्च कर सके। अतः उन्हें लिखा गया था कि वे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान के माफिक स्वयं के खर्चे पर छात्रावासों को बना कर देवें या दान देने की रकम बढाकर देने पर दुबारा विचार करें। तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में दानदाता से कोई जवाब राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही कोई धनराशि दानदाताओं से प्राप्त हुई है।

4. ऐसा राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है। सेठ श्री सोहनलाल दूगड़ ने पच्चीस हजार रुपये का चैक गरीब छात्रों के लिए किताबें मंगाने हेतु दिया था। इसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

तहसील चाकसू के अकालग्रस्त ग्राम

349. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील चाकसू में कुल कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में जितने ग्राम अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किये गए उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा जिन ग्रामों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया

(श्री जयकिशनलाल)

गया है, उनका पुनः सर्वे करवा कर अकालग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील चाकसू में 202 ग्रामों को इस वर्ष फसल खरीफ सं. 2031 में अभावग्रस्त घोषित किया गया है सूची संलग्न है।

(2) 87 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया क्योंकि 83 ग्राम रबी प्रधान होने के कारण एवं 4 ग्रामों में खराबा निर्धारित सीमा से कम होने के कारण अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(3) 87 ग्रामों को फिर से विचार कर घोषित करने का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि अभाव घोषित करने की सीमा में नहीं है।

तहसील--चाकसू

1. कुम्हारीया वास
2. बाजडोल
3. स. जयसिंहपुरा
4. गोग्यावास
5. सीमल्यावास वाटका
6. फतहपुरिया
7. जयचन्दपुरा
8. जयआनन्दपुरा
9. प्रहलादपुरा
10. नानजीपुरा
11. चक वाटका
12. चन्दलाई
13. श्योदासपुरा
14. बाढ रमजानीपुरा
15. चक चन्दलाई 1
16. चक चन्दलाई 2
17. नरिया का वास
18. मलवा
19. चक लक्ष्मीपुरा 2
20. किलकीपुरा
21. खेड़ा जगन्नाथपुरा
22. चक लक्ष्मीपुरा 1
23. रानीपुरा
24. रामपुरा वास गोनेर
25. चतरभुजपुरा
26. धर्मपुरा
27. संतोषपुरा
28. चक शिवदासपुरा 1
29. पाचूडा 2
30. माधोसिंहपुरा
31. धोलरा
32. रामपुरा खुर्द
33. चक शिवदासपुरा 2
34. गोरधनपुरा
35. देवकीनन्दनपुरा
36. पीपला वाई का बाढ
87. बलुपुरा
38. वाडा मकसूदनपुरा
39. नागलपूर्ण
40. पारखीपुरा
41. भवानीपुरा
42. वरसोडा
43. गोपीरामपुरा
44. मानपुर डूंगरी
45. चोखला
46. कोटावाला
47. दादनापुरा डूंगरी
48. जानकीवल्लभपुरा
49. बिहारीपुरा
50. शील की डूंगरी

51. करेड़ा खुर्द
52. कुतुकेपुरा
53. रामपुरा बुजर्ग
54. डिगपालपुरा
55. कल्याणपुरा
56. नहरपुरा
57. कालीवास
58. उदयपुरिया
59. नागरिया
60. खाजलपुरा
61. भादडवास
62. सीतारामपुरा
63. बाढ गुडाहेरी
64. बाड बलदेवपुरा
65. हरीपुरा
66. अचलपुरा
67. चक थूनी
68. थूनी मंगलवास
69. देवकिशनपुरा
70. श्रीकिशनपुरा
71. चक श्रीकिशनपुरा
72. भोजादण्ड
73. तोतरिया
74. श्री दौलतपुरा
75. टूटोली
76. मोनसर
77. कीरतपुरा
78. सेवापुरा
79. खोजडी बुजुर्ग
80. तामडिया
81. कृपारामपुरा
82. श्री वल्लभपुरा
83. सनन्दरामपुरा
84. श्री सहायपुरा
85. दलपतपुरा
86. टूटली का वास
87. लदाना खुर्द
88. चांप
89. थली
90. रसूलपुरा
91. बाड बागपुरा
92. हंसराजपुरा
93. चकमुरारपुरा
94. मुरारपुरा
95. सवा रामपुरा
96. बडली
97. शंकर खावदा
98. मोहम्मदपुरा
99. नंवगांव बांसडी
100. जयसिंहपुरा
101. स्यामी कावास
102. महाचन्दपुरा
103. लसाडिया
104. छादेलकलां
105. छादेल खुर्द
106. गनेशपुरा
107. बीडमीनारपुरा
108. भगवानपुरा
109. बाड महावतान
110. राघोपुरा
111. बाड संतोषपुरा
112. रूप निवासपुरा उर्फ थूनी
113. लाखावास
114. बापूगांव
115. सवाई जयसिंहपुरा
116. आवतसर
117. आवतपुरा
118. बृजराजपुरा
119. महारामपुरा
120. बोदा का बाड

121. वडोदिया
122. रूपवास वृदावनपुरा
123. फिरोजी बी. का वाड
124. कंवरपुरा
125. खेडा जगन्नाथपुरा
126. महादेवपुरा
127. सोलया
128. देवकीनन्दनपुरा
129. भण्डालिया
130. श्री चांदपुरा
131. रीकरवाडा
132. रूपहोड़ीकला
133. हरिनारायणपुरा
134. गोडकावास
135. रमजानीपुरा
136 वाड चांदपुरा
137 चकचांदपुरा
138. माधोपुरा
139 महादेवपुरा
140. हिमोती
141. कृपाकावास
142. ताजा का वास
143. दामोदर का वास
144. खेड़ा रानीवास
145. श्री किशनपुरा
146. श्री किशनपुरा-चक नं. 1
147. श्री किशनपुरा-चक नं. 2
148. श्री किशनपुरा-चक 84
149. बलरामपुरा
150. बलरामपुरा चक नं. 1
151. ,, चक नं. 2
152. इन्द्रपुरी
153. चकताजा का वास
154. रामचन्द्रपुरा
155. जगदीशपुरा
156. वाढमहाराजपुरा
157. चक महाराजपुरा
158. मंडावरी
159. कोल्या
160. महेशपुरा
161. नन्दलालपुरा
162. जगरामपुरा
163. नेनुपुरा
164. राडोली
165. देहलाला
166. तालू कपुर डूंगरी
167. थूनी मदनमोहनपुरा
168. वाढ केसापुरा
169. कोटखावदा
170. रामनगर
171. रूप नगर
172. विनोदी लाल पुरा
173. चक विनोदी लाल पुरा-1
174. महाराजपुरा
175. श्रोरंगपुरा
176. भीमापुरा
177. हीरापुरा
178. कुशलपुरा
179. रघुनाथपुरा उर्फ-गौद का वास
180. ठीकरिया गुजरान
181. किशनपुरा
182. कुशालपुरा
183. जेतपुरा
184. चक बावनपुरा
185. बावनपुरा
186. नृसिंहपुरा
187. नागललाड
188. भापदा कलां
189. तलोकीनाथपुरा
190. दिमलपुरा

191. गढ का पाडा
192. खोजड़ी खुर्द
193. भीडकपावास
194. चक सम्पदपुरा
195. वाढ फतेहपुरा
196. वाढ बावनपुरा
197. गुजरहेडा
198. चक वावमपुरा बाध
199. वाढ मुररीपुरा
200. वाढ राजपुरा
201. गढी लस्करी
202. महाराजपुरा

खेड़ली में उच्च माध्यमिक विद्यालय

350. श्री गोकुल चन्द (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और कालेज कितने हैं ?

(2) प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है ?

(4) खेड़ली माध्यमिक विद्यालय कब बना था ? क्या इसको इन्टर कॉलेज बनाने का आश्वासन सरकार ने कभी दिया था ?

(5) क्या यह सही है कि खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र है और वहां पर माध्यमिक विद्यालय काफी पुराना है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 18 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं एवं 3 महा० विद्यालय हैं।

(2) पंचायत समिति वार उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) खेडली 1950 का हाई स्कूल है। ऐसी सूचना राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है। इन्टर कालेज की स्कीम समाप्त हो गई है।

(5) जी हां, अभी सरकार ने इस विषय पर निर्णय नहीं लिया है।

Panchayat Samitiwise No. of Hr. Secondary Schools in Alwar District (as on 31-1-1974)

1. Bansur	1
2. Behror	2
3. Govindgarh	2
4. Khathumar	—
5. Kishangarhbas	1
6. Kotkasim	3
7. Mandawar	1
8. Neemrama	—
9. Rajgarh	—
10. Reni	1
11. Thanagazi	1
12. Tizara	2
13. Umrain	1

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य

351. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500 आबादी के ग्रामों को मेटल रोड़ से जोड़ने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी, सीमावर्ती एवं पिछड़े जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में जहां की आबादी का फैलाव क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत कम है और जहां 2500 आबादी में बहुत ही कम ग्राम हैं वहां पर भी इसी सिद्धांत के परिपालन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह निर्णय इन पिछड़े हुये जिलों को और पिछड़े हुए रखना है और उनकी उपेक्षा करना है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन पिछड़े रेगिस्तानी जिलों में 2500 की आबादी के बजाय 1500 की आबादी के गांवों को जोड़ने का निर्णय लेकर इन जिलों की जनता के प्रति न्याय करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष विभिन्न जिलों में 2500 आबादी के ग्रामों की संख्या को मद्देनजर रखते हुये उन्हीं के अनुपात में सड़कों के निर्माण के लिये राशि स्वीकृत की जिससे जैसलमेर जिले को सिर्फ 15000 रुपये की राशि और बाड़मेर जिले के लिये 3।। लाख रुपये की राशि की स्वीकृति हुई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी, हां । यह सिद्धान्त राजस्थान के सभी जिलों पर लागू है ।

(3) सरकार की उपेक्षा की नीति नहीं है । अभी वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये 2500 व उससे ऊपर की जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की ही योजना है ।

(4) जी हां, जैसलमेर व वाड़मेर जिलों को क्रमश: 12,000 तथा 3.52 लाख रुपया वर्ष 1974-75 में आवंटित किया गया है ।

लालसोट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग

352. श्री मोठालाल (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि लालसोट (जयपुर) में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा बराबर मांग की जा रही है ?

(2) क्या यह सच है कि लालसोट में लघु उद्योग स्थापित करने के लिये कई लोगों ने जिला उद्योग अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करवा रखे हैं जो अलग औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये पर्याप्त हैं ?

(3) क्या यह सच है कि वर्तमान अधिकांश लघु उद्योग कस्बे के अन्दर घनी बस्ती में स्थापित हैं ? जिसके फलस्वरूप जनता के स्वास्थ्य पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ता है ?

(4) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये कस्बे के पास ही उपयुक्त भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो वहां औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है ? यदि किया जा रहा है, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, पर्याप्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट 5

ता. प्र. सं. 323 की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम	अनुमानित स्वीकृति लाख रु. में	व्यय राशि लाख रुपये में
1	2	3	4	5
1.	तरसिंगड़ी खड़ीन	तरसिंगड़ी	0-68	0-85
2.	सरन किटनोर खड़ीन	कुपावास	1-24	1-26
3.	बोरिया खड़ीन	टायरा	0-86	1-04
4.	भीलों की ढाणी खड़ीन	भीलों की ढाणी	0-86	1-09
5.	तिलवाड़ा खड़ीन	तिलवाड़ा	0-63	0-91
6.	बालू जाटी खड़ीन	बालूजाटी	0-85	0-36

नोट:--अनुमानित स्वीकृति व व्यय राशि के अन्तर का कारण यह है कि अनुमानित स्वीकृति 68-69 के बी. एण्ड आर. के आधार पर है किन्तु कार्य 71-72 में शुरू करने के दौरान मेटेरियल व लेबर की दर बढ़ गई ।

परिशिष्ट-6

(अता. प्र. सं 169 की सूची)

सम्बन्धित श्रमिक संघों द्वारा यूनियन डिसप्यूट्स की पैरवी पर वर्ष 1967 से 1974 तक किये गये खर्च सम्बन्धी तालिका

क्र. सं.	श्रमिक संघ का नाम व पंजीयन संख्या	सन् 1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर 129/66	4861/–	285/–	2664/–	6370/–	103/–	रिटर्न में सूचना नहीं दी गई।	रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।	रिटर्न प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31-3-75 है, अभी तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।
2.	राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर 137/65	1000/–	रिटर्न में सूचना नहीं दी।	1434/–	1879/–	3771/–	675/–	,,	,,
3.	उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर	पंजीकरण सन् 1968 में हुआ।		सूचना नहीं दी गई है।	5456/–	रिटर्न में सूचना नहीं दी गई।	610/–		

Page No 146

(146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	सीमेन्ट माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर 82/71	पंजीकरण वर्ष 1971 में हुआ				5138/-	737/-	रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।	रिटर्न प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31-3-75 है, अभी तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।
5.	सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़ 119/65	106/-	117/-	769/-	18566/-*	2029/-	रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।	,,	,,
6.	मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा	शून्य	138/-	64/-	6/-	-	†2337/- ††2690	172/-	,,
7.	पेन्टिसाइड मजदूर संघ, उदयपुर 146/58	पंजीकरण 68 में हुआ।	रिटर्न में सूचना नहीं दी गई			973/-	रिटर्न में सूचना नहीं दी गई।	रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।	,,

※ मंत्री खुरशीद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार श्री बी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में सूचना नहीं दी गई है।

* इस राशि में हड़ताल के समय मजदूरों को दी गई सहायता सम्मिलित है।

† श्री परमानन्द त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार।

†† श्री बी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार।

परिशिष्ट-7

(अता. प्र. सं. 170 की सूची)

वर्ष 1972–73 में फोडर को रखने हेतु बनवाये गये बाड़ों की सूची

क्र. सं.	नाम स्थान जहां बाड़े (कांटों की बाड़े छपवाई थीं)	नाम व्यक्ति जिससे बाड़े बनवाये गये	राशि	चुकारा हुआ था नहीं
1.	कानासर	श्री नानूराम	300.00	चुकारा किया जा चुका है।
2.	नालबड़ी	श्री आसाराम	300.00	,,
3.	रामसर	श्री फूसाराम	300.00	,,
4.	गजनेर	श्री भेराराम	100.00	,,
5.	बीकमपुर	श्री मानाराम	100.00	,,
6.	बज	श्री जगमालराम	100.00	,,
7.	रणजीतपुरा	श्री लूणाराम	188.00	,,
8.	गडियाला	श्री दाऊराम	100.00	,,
9.	दियासरा	श्री लालूराम	100.00	,,
10.	गोडू	श्री लालूराम	100.00	,,
11.	वरसलपुर	श्री चान्दाराम	200.00	,,
12.	बीठनोक	श्री गुलाबखां	200.00	,,
13.	श्री मलूरी	श्री जयनारायण	200.00	,,
14.	सरजंडा	श्री नारायणराम	100.00	,,
15.	माणोकासर	श्री जैराम	100.00	,,
16.	सुरपुरा	श्री प्रभुराम पुत्र आसाराम जाट सा. सुरपुरा	292.50	चुकारा किया जाना है।
17.	नोखामण्डी	श्री हेतुराम पुत्र धुंडाराम विश्नोई		

(148)

ठेकेदारों की बकाया राशि की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	राशि (रुपये)
1.	बीकानेर से झुंझुनूं वाया बच्छासर सड़क	श्री लाला ठेकेदार	555.00
2.	देशनोक से नापासर सड़क कि. मी. 0/0 से 18/0	श्री रहमत अली	5,085.00
3.	नोखा नोखडा सड़क कि. मी. 40/0 से 50/0	श्री आसा राम	4,000.00
4.	पलाना से सिभाणा सड़क कि. मी. 9/0 से 18/0	श्री इलमुदीन	10,000.00
		योग..	19,640/- रुपये

तहसीलदारों को बकाया मजदूरी के चुकारे हेतु आवंटित की गई राशि की सूची

क्र. सं.	तहसील	राशि
1.	बीकानेर	119.16 चुकारा हो चुका। 51.90 चुकारा अब होगा।
2.	कोलायत	8,952.27 चुकारा के लिये राशि दी हुई है।
3.	लूणकरणसर	11,163.33 चुकारा अब होगा।
4.	नोखा	2,862.65 चुकारा हो चुका।

परिशिष्ट-8

(श्रता. प्र. सं. 173 की सूची)

(सूची-श्र)

क्रमांक	नाम सड़क
1.	कोलायत से राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 वाया मूड
2.	रणजीतपुरा से बीकानेर
3.	राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 कि. मी. 69 से गढियाला वाया मुण्डल
4.	राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 से खारी छारणा
5.	उदय रामसर से श्रम्बासर
6.	बी. एस. एफ. से बीकानेर शहर
7.	राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 से गरसर ग्राम
8.	लूणकरणसर से कालू
9.	कोलायत से रणजीतपुरा
10.	लिंक रोड़ बीकानेर शहर
11.	ग्रेवल रोड़ नोखा पेंट्रोल पम्प से गजनेर
12.	बीटी रोड़ गंगा शहर, मीना शहर, लक्ष्मी नाथजी का मन्दिर
13.	पूगल बेरीवाला सड़क

श्रकाल राहत सड़कें

1. गुसाईसर से धीरीरा वाया कतरीयासर
2. बीकानेर से भमू वाया बाछासर श्रकासर
3. पालना से सियाना वाया बरसिंहसर जयसिंह देसर मगरा
4. नापासर से बम्बलू वाया नारंगदेसर
5. नापासर से देशनोक
6. लिंक रोड़ वाया शिव बाडी घरसीसर किसमीदेसर—श्री रामसर राष्ट्रीय मार्ग 15 से 18 किलोमीटर को जोड़ते हुये
7. कोडमदेसर से मानीपुरा वाया जयमलसर
8. गजनेर से श्रकासर वाया चन्दासर
9. गढवाला से केसर देसर वाया जतन वाया किल्चू
10. नलबारी से नाइयों की वस्ती
11. उदयरामसर से श्रम्बासर
12. खारी चरण से शेरूवाला वाया सुरजडा 45 कि.मी.

Page No 150

150

क्रमांक	नाम सड़क
13.	बम्बलूस रजेरा वाया हमेरा 16 कि.मी.
14.	बज्जू से गिधा
15.	नोखा नाखरा एप्रोच रोड़ से धारनोक और खिडासर 72 कि.मी.
16.	एप्रोच रोड़ फलासर विलेज
17.	रणजीतपुरा से बरसलपुर 23 कि. मी.
18.	कोलायत से भामतसर वाया हज्जू जगलू
19.	बेयनोक से गडियाला
20.	गडियाला से गिर्राजसर
21.	खिड़ासर से देसूरी
22.	जज्जू से दायत्रा
23.	रणजीतपुरा से बीकमपुर

परिशिष्ट–9

(अता. प्र. सं. 181 की सूची)

कुमारी शैला भटनागर को नियुक्ति के पश्चात् जहां जहां रखा गया, वे स्थान :–

(क) कुमारी शैला भटनागर की नियुक्ति एवजी तौर पर आदेश संख्या व. उ. वि. नि./ब्या./संस्था/2(5)/नियु./72/20801–811 दिनांक 28-11-72 के द्वारा बी. एड. में गये अध्यापक श्री रामजीलाल वर्मा के स्थान पर रा.प्रा.वि., ओल्ड मेवाड़ी गेट, ब्यावर में की गई थी। उक्त अध्यापक के प्रशिक्षण से लौटने पर उक्त अध्यापिका को राजकीय नियमानुसार रा.प्रा.वि., ओल्ड मेवाड़ी गेट, ब्यावर से अन्य विद्यालय में पदस्थापित करना आवश्यक था।

(ख) वरिष्ठ उप विद्यालय निरीक्षक, ब्यावर के आदेशांक वउविनि/ब्या./संस्था 2(5)/नियु./स्पे./73/ दिनांक 30-6-73 के द्वारा अध्यापिका के सेवाकाल में अग्रिम आदेश तक वृद्धि करते हुए स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध रा. उ. प्रा. वि. अशोक नगर, ब्यावर में पदस्थापन किया गया।

(ग) वरिष्ठ उप विद्यालय निरीक्षक, ब्यावर के आदेशांक वउविनि/ब्या./संस्था/4(4)/982–1082/7 दिनांक 13-12-73 के द्वारा उक्त अध्यापिका का स्थानान्तरण सत्र 73–74 में राज्य सरकार द्वारा सेन्द्रा रोड, जमालपुरा, ब्यावर में खोली गई नवीन प्राथ. विद्यालय (रा.प्रा.वि., कुमारानन्द पार्क, ब्यावर में) अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु प्रशासकीय दृष्टिकोण से किया गया। विभाग द्वारा उक्त नवीन विद्यालय हेतु, केवल एक अध्यापक का पद आवंटित किया गया जो छात्रों की संख्या व वर्गों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं था, अतः नवीन विद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु अन्य विद्यालयों से अध्यापकों का स्थानान्तरण कर व्यवस्था की गई।

(152)

परिशिष्ट—10

(अता. प्र. सं. 185 की सूची)

परिशिष्ट—'क'

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उपलब्ध सुविधायें

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राजस्थान में 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया गया है। इन जिलों का कुल क्षेत्रफल राज्य का 62 प्रतिशत व जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 54 प्रतिशत है। ये जिले निम्न हैं :—1. अलवर 2. बाड़मेर 3. बांसवाड़ा 4. झालावाड़ 5. भीलवाड़ा 6. चूरू 7. डूंगरपुर 8. जैसलमेर 9. जालौर 10. झुन्झुनू 11. नागौर 12 सीकर 13. सिरोही 14. टोंक 15. उदयपुर 16. जोधपुर।

इन पिछड़े जिलों में सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधायें उपलब्ध हैं :—

(क) केन्द्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कोरपोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेन्ट कोरपोरेशन आफ इण्डिया आदि से लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को (जिनमें कुल लागत एक करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है) उदारतापूर्वक शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जो रियायतें उपलब्ध हैं वे निम्न हैं :—

1. ब्याज की निम्न दर :—

इन क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को ऋण 7% ब्याज की दर से दिया जाता है। इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया ने धन देने वाली उन संस्थाओं व बैंकों के मामले में फिर धन लगाने के लिये ब्याज की दर कम करदी है जो पिछले इलाकों के छोटे कारखानों को 7% दर पर कर्ज मंजूर करेंगे।

2. ऋण की किश्तों की अदायगी की शुरूआत में दी गई मोहलत की प्रारम्भिक अवधि को सामान्यतः 2-3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है।

3. ऋण की अदायगी की सामान्यतः अनुबद्ध अवधि 10-12 वर्ष से बढ़ाकर 15-20 वर्ष कर दी गई है।

4. इण्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया के मामले में जमानत की गुंजाइश को मौजूदा 50% से घटाकर 30-35% कर दिया है।

5. सेवा प्रभार में 50% की कमी करदी गई है।

(ख) राजस्थान वित्त निगम द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में ऋण साढ़े छः प्रतिशत की दर से दिया जाता है। इस ऋण का भुगतान साधारण से अधिक समय में किया जा सकता है और प्रतिभू के समय में विशेष उदारता बरती जाती है।

विशेष अनुदान के लिए चुने हुए जिले

उपरोक्त पिछड़े जिलों में से 6 जिले भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुदान देने हेतु स्वीकृत किये गये हैं। ये जिले निम्न हैं :—1. अलवर 2. जोधपुर 3 उदयपुर 4 भीलवाड़ा 5 नागौर 6 चूरू। इन जिलों में निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं :–

1. उद्योगों को सीधा अनुदान :—

इन जिलों में लगे उद्योगों को स्थिर पूंजी के दसवें हिस्से के मूल्य के बराबर अनुदान दिया जाता था। दिनांक 1-3-73 के पश्चात् लगने वाले उद्योगों पर यह अनुदान 15% की दर से दिया जाता है। ऐसे उद्योगों में, जिनमें स्थिर पूंजी एक करोड़ रुपयों से अधिक लगने का प्रस्ताव है, अनुदान की राशि 15 लाख रुपयों से अधिक नहीं होगी।

2. मशीनरी व कच्चे माल का उदारतापूर्वक आयात :—

(क) प्राथमिकता प्राप्त प्रस्तावित उद्योगों को कच्चे माल संघठकों व अतिरिक्त पुर्जों को आयात सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये मशीनों के मूल्य के आधार पर अधिक से अधिक एक लाख रुपयों का आयात लाईसेन्स छः माही दिया जा सकता है।

(ख) प्राथमिकता वाले उद्योगों में लगे हुये कारखानों की मशीन के मूल्य आधार पर अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपये वार्षिक तक का आयात लाइसेन्स दिया जा सकता है। ये सुविधा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित सिर्फ 124 प्रकार के उद्योगों के लिये ही उपलब्ध है।

3. मशीनों की सप्लाई में प्राथमिकता :—

स्वदेशी और आयातित दोनों किस्म की मशीनरी के वितरण के मामलों में चुने हुए पिछड़े जिलों से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राथमिकता के आधार पर विचार करता है।

इन उद्योगों से बयाना राशि 20 प्रतिशत की बजाय स्वदेशी मशीन पर 10 प्रतिशत व आयातित मशीन पर 5 प्रतिशत ही ली जाती है।

(154)

4. कच्चे माल की उपलब्धि:–

प्राथमिकता वाले उद्योगों को उत्पादन क्षमता के आधार पर कच्चे माल का आयात लाइसेन्स, विशेष रूप से आरक्षित कोटे में से, अधिक मूल्य का दिया जा सकता है।

5. ग्रामीण उद्योग परियोजना:–

राजस्थान के निम्न पांच जिलों में उद्योग परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, ये सभी जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भी घोषित हो चुके हैं:– 1.नागौर 2.चूरू 3.टोंक 4. बांसवाड़ा 5. झालावाड़।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना में निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं:–

1. ग्रामीण औद्योगिक परियोजना द्वारा उपलब्ध धनराशि से ऋण घटी हुई दर की ब्याज पर उद्योगों को दिया जाता है।

2. ग्रामीण दस्तकारों को बैंकों द्वारा 5 हजार रुपयों तक का ऋण बिना किसी प्रतिभू के दिया जाता है।

3 ग्रामीण दस्तकारों को औजार खरीदने हेतु कुल लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

4. कच्चे माल व बने हुए माल को अधिकृत प्रयोगशालाओं में जांच करवाने हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।

5. औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रबन्धक रखने हेतु अनुदान दिया जाता है।

6. कुछ कच्चे माल का कोटा इन जिलों के लिये आरक्षित रहता है।

परिशिष्ट 'ख'

सूची

1. लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण किया गया — 1920 इकाईयां

2. आर्थिक सहायता ऋण:—

(क) विभागीय मद से 92 इकाइयों को — 98,000/-

(ख) केन्द्रीय मद से 876 इकाइयों को — 22,01,559/-

(ग) बैंकों द्वारा 368 इकाइयों को — 6 13,300/-

(घ) राजस्थान वित्त निगम द्वारा — 15,23,000/-

(ङ) किराया खरीद प्रणाली पर मशीनों की उपलब्धि। पांच इकाइयों को — 13,89,350/-

3. अनुदान:—

क.सं.	योजना का नाम	लाभान्वित इकाईयों की संख्या	आर्थिक अनुदान रुपया
1.	कार्यशाला निर्माण	61	69,913/-
2.	सुधरे हुए औजार एवं उपकरण	40	14 894/
3.	औद्योगिक सहकारी समिति को विस्थापित अनुदान	22	24,000/-

4. प्रशिक्षण योजना में 73 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिलाया गया।

5. प्राविधिक सहायता:—

विभिन्न व्यवसायों में प्राविधिक सहायता निम्न प्रकार की गयी है:—

व्यवसाय का नाम	लाभान्वित इकाईयां
चर्म उद्योग	142
वस्त्र उत्पादन	530
यांत्रिक उद्योग	440
रसायन उद्योग	70

6. 15% अनुदान इकाई को 22,118 रु. स्वीकृत किये गये।

(156)

(परिशिष्ट 11 देखिये)

(अता. प्र. स. 187 का विवरण)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
द्वारा 31–3–74 तक बांसवाड़ा जिले में वितरित धनराशि का
विवरण

क्रमांक	सहकारी समितियों की संख्या	31–3–74 तक दी गई धनराशि		
		ऋण	सहायता	योग
1–खादी	3	10,27,074)	79,500	11,06,574)
2–तेल उद्योग	5	13,645)	1,762	15,4 7)
3–साबुन उद्योग	2	44,875)	9,875	54,750)
4–चर्म उद्योग		24,117)	11,050	35,167)
5–कुम्हारी उद्योग	2	6,400)	–	6,400)
6–गुड़ खंडसारी	2	26,503)	2,228	28,731)
7–अनाज दाल प्रशोधन	10	1,52,654)	7,100	1,59,754)
		12,95,268)	1,11,515	14,06,783)

परिशिष्ट—12

(प्रता. प्र. सं. 189 की सूची)

राज्य में डेढ़ साल के अन्दर चोरियाँ डकैतियाँ व हत्याएं हुई व जाँच पूर्ण की गई की सूची :—

जुर्म	दर्ज हुये	झूठे पाये	157 बी	अदम पता	अदम सबूत	512 जा. फो.	चालान	योग	जाँच पूर्ण की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डकैती	236	54	—	33	8	3	90	188	
हत्या	1,092	75	—	88	13	8	750	934	
चोरियाँ	28,471	2,915	184	13,069	452	101	8,413	26,074	

(158)

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 5 मार्च, 1975)

क्र. सं.	स्तम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	50	ऊपर से 18	रिक्ख	रिक्त
2.	54	नीचे से 3	सदन की पटल पर	सदन के पटल पर
3.	61	ऊपर से 14	सकारी	सरकारी
4.	67	,, 9	सक्त	सत्र
5.	72	,, 1	मार्च 7 तक	मार्च, 74 तक
6.	77	,, 15	प्रतावों	प्रस्तावों
7.	81	नीचे से 9	मार्च कल	मार्च तक
8.	89	नीचे से ...	पविचार	पर विचार
9.	96	ऊपर से 1	मखोख	मखोल
10.	99	ऊपर से 12	उलब्ध	उपलब्ध
11.	101	,, 13	भेजे पे	भेजे गये
12.	104	नीचे से एक	सर्के	सकेंगे
13.	109	नीचे से 17	विद्युत	विद्युत्
14.	129	नीचे से 16	कुव	कुए.
15.	133	नीचे से 1	कुल	कुछ
16.	137	,, 19	ह	यह
17.	149	ऊपर से 1	(श्री माणक चन्द सोगानी)	श्री मानक चन्द सोगानी
18.	149	नीचे से 3	इट्ठा	इकट्ठा
19.	151	ऊपर से 5	इसमें दूध के लोग काफी मिलावट केसेज	लेकिन दूध में काफी मिलावट के केसेज
20.	158	ऊपर से 14	उठ है	उठता है
21.	162	नीचे से 3	अन्द	अन्दर
22.	177	,, 15	जस	जिस
23.	191	,, 4	उनको कपड़े उनके पास नहीं है	कपड़े उनके पास नहीं हैं,
24.	195	नीचे से 1	बारे	बारे में
25.	196	ऊपर से 5	नहीं पायी है	नहीं मिल पायी है,

1	2	3	4	5
26.	208	नीचे से 12	उसलब्ध	उपलब्ध
27.	210	ऊपर से 4	ररे	रही
28.	213	नीचे से 3	बकास	विकास
29.	217	ऊपर से 10	बर	बजट
30.	229	ऊपर से 4	मन्याय	अन्याय
31.	242	ऊपर से 3	ति ये	लिये
32.	243	ऊपर 8	गुर दयाल सिह संधु	श्री गुरदयालसिंह संधु
33.	275	शीर्ष	1976	1975